उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

अठारहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2021 2022

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

दिनांक **31.03.2022** को तुलन पत्र

एवं

दिनांक **01.04.2021** से दिनांक **31.03.2022** तक की अवधि का लाभ एवं हानि विवरण

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, **14**-अशोक मार्ग, लखनऊ–**226 001**

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2022)

अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा)

श्री एम॰ देवराज

निदेशक

- श्री गुरू प्रसाद पोराला
- श्री पंकज कुमार
- श्री अनिल जैन
- श्री नील रतन कुमार
- श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा
- श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव
- श्री अजय कुमार पुरवार
- श्री टी॰एस॰सी॰ बोस
- श्री रवीन्द्र नागपाल
- श्री जावेद असलम

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री अनिल कुमार गुप्ता

कम्पनी सचिव

श्री ऋषि टण्डन

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
मुख्यालय : 4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक	इंडियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन
14 अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

अनुक्रमणिका

क्र॰सं॰	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1 - 24
2.	निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के अनुलग्नक	25 - 72
3.	तुलन–पत्र	73
4.	लाभ एवं हानि का विवरण	74 - 75
5.	समता परिवर्तन विवरण	76 - 77
6.	रोकड़ प्रवाह विवरण	78 - 79
7.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (नोट संख्या–1)	80 - 86
8.	नोट्स (2-32)	87 - 106
9.	लेखों पर टिप्पणियाँ (नोट संख्या–33)	107 - 118
10.	तुलनपत्र के आंकड़ों हेतु पुनर्स्थापन की अनुसूची	119 - 120
11.	स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	121 - 142
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	143 - 147
13.	सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	148 - 150

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

आपके निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन एवं क्रिया कलापों पर 18वीं वार्षिक प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखा विवरणों की समीक्षाधीन अवधि की समीक्षा प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है।

प्रस्तावना :–

उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० से उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० का उद्गम हुआ। अन्तरण योजना के अन्तर्गत पारेषण गतिविधियाँ जिसमें सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2007 की प्रभावी तिथि से उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० को अंतरित कर दी गई। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

वित्तीय निष्पादन :–

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
ऊर्जा के पारेषण से राजस्व	3,408.27	3,297.72
अन्य आय	281.94	273.29
योग (अ)	**3,690.21**	**3,571.01**
व्यय		
परिचालन व्यय :		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	391.05	451.73
कर्मचारी लागत	521.60	348.61
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	79.41	64.22
योग (ब)	**992.06**	**864.56**

अवक्षयण, ब्याज एवं प्रावधान के पूर्व परिचालन लाभ/(हानि) स=(अ–ब)	**2,698.15**	**2,706.45**
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,214.57	1,190.78
अवक्षयण	1,561.67	1,429.36
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	20.65	–
योग (द)	**2,796.89**	**2,620.14**
असाधारण वस्तुओं और कर से पूर्व लाभ/(हानि) य=(स–द)	**(98.74)**	86.31
असाधारण वस्तुओं	**(334.44)**	**–**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**(433.18)**	**86.31**
अस्थगित कर	**123.08**	136.85
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	**(556.26)**	**(50.54)**

पूंजी संरचना :–

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 82,41,332 की संख्या में समता अंश उ०प्र० सरकार को ₹ 1000 प्रति अंश के मूल्य पर निर्गत किये थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी की समता अंशपूंजी ₹ 1,75,23,14,05,000/- से बढ़कर ₹ 1,83,47,27,37,000/- हो गयी है जिसमें ₹ 1000 प्रति के 18,34,72,737 के समता अंश सम्मिलित है।

धारा 134 (3)(बी) के अनुरूप निदेशक मण्डल की बैठकों से सम्बन्धित सूचनाएं :–

कम्पनी द्वारा बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने एवं बुलाने से सम्बन्धित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है एवं तदनुसार, वर्ष के दौरान 7(सात) बोर्ड की सभाऐं की गयी तथा किन्हीं दो बोर्ड की सभाओं के मध्य 120 दिनो से अधिक का अन्तराल नहीं था।

I. 05 जुलाई, 2021
II. 27 जुलाई, 2021
III. 29 सितम्बर, 2021
IV. 18 अक्टूबर, 2021
V. 18 नवम्बर, 2021
VI. 05 जनवरी, 2022
VII. 25 फरवरी, 2022

दो बैठकों के मध्य के अंतराल के निर्धारण में बोर्ड की बैठको से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय मानक–1 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

बोर्ड की कार्य प्रणाली

निदेशक मण्डल ने हमारे हितधारकों के प्रति निगमित दायित्व की पूर्ति करने के लिये निगमित अभिशासन प्रथाओं एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया है। ये दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड के पास क्रिया कलापों की समीक्षा व मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यान्वयन का आवश्यक अधिकार एवं प्रक्रियायें होंगी। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये अनेकों समितियां भी गठित की हैं।

सामान्यतया निदेशक मण्डल की बैठके कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आहूत की जाती हैं। बोर्ड बैठक की तिथियां काफी पहले निश्चित कर ली जाती हैं तथा बोर्ड के सदस्यों को सूचित कर दी जाती है जिससे वे तदनुसार अपने कार्यक्रमों की योजना बना सकें। एजेन्डा व एजेन्डा पर टिप्पणियां निर्धारित एजेन्डा प्रारूप में निदेशको को पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित कर दी जाती हैं। बैठक में सार्थक व केन्द्रित विचार विमर्श में सहायता करने के लिये एजेन्डा में सभी महत्वपूर्ण सूचनायें शामिल की जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में एजेन्डा को बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से भी शामिल किया जाता है, सिवाय उन मदों को जो मूल्य संवेदनशील प्रकृति के हैं। एजेन्डे की मदें विभिन्न वैधानिक व गैर वैधानिक मामलों से सम्बन्धित बोर्ड की बैठकों तथा अन्य बैठकों के लिए विचार विमर्श एवं उपयुक्त निर्णय लेने हेतु विस्तृत एवं सूचनात्मक है। कभी–कभी कुछ अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान हेतु कुछ व्यवसायिक संव्यवहार परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित करके किये जाते हैं। आपकी कम्पनी ने बोर्ड बैठक व साधारण बैठक के सम्बन्ध में भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया, द्वारा निर्गत लागू सचिवीय मानकों के पालन करने का पूर्ण प्रयास किया है।

सभी वैधानिक, महत्वपूर्ण व आवश्यक सूचना बोर्ड के सम्मुख रखी जाती है। बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है। कभी कभी बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किये जा रहे मदों पर अतिरिक्त सूचना देने के लिये प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बोर्ड बैठक में आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड के सम्मुख कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक व परिचालन क्षेत्र जैसे वित्तीय विशिष्टताएं, प्रमुख परियोजनायें व उनकी प्रगति, परिचालन आदि का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त, बैठक के बाद यथाशीघ्र तैयार किये जाते हैं व तत्पश्चात सभी निदेशकों को इस पर उनकी टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाता है। निदेशकों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर हेतु अध्यक्ष को अग्रसारित किया जाता है। संगत कार्यवृत्त सम्बन्धित विभाग/समूह को कार्यान्वयन हेतु तथा सभी निदेशकों को टिप्पणी हेतु प्रसारित किये जाते हैं। बोर्ड के निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ए॰टी॰आर॰) प्राप्त किया जाता है तथा समीक्षा हेतु अगली बोर्ड बैठक में रखा जाता है।

निदेशको के उत्तरदायित्व का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(सी) एवं 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते है किः–

(अ) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों मे, जो कि विद्युत (प्रदाय) (वार्षिक लेखे) नियम, 1985 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं जिनपर तद्नुसार लेखांकन नीतियाँ निर्धारित करते हुये उनका लेखों पर टिप्पणियों में समुचित प्रकटन देते हुये अनुपालन किया गया है।

(ब) निदेशकगण द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं लगातार लागू किया गया है सिवाय उन विचलनों के जिनका अलग से उल्लेख किया गया है तथा निर्णय एवं अनुमान निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के क्रियाकलापों तथा समीक्षाधीन कथित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की यथार्थ एवं उचित स्थिति परिलक्षित हो।

विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना सं॰ एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम 2019 के ''परिशिष्ट–I'' में दी गई पद्धति के अनुसार अवक्षयण भारित किया गया है। कथित विनियम दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि हेतु प्रभावी है। अवक्षयण सीधी रेखा पद्धति पर मूल लागत के 10% बचे मूल्य के साथ निर्धारित दरों से भारित किया गया है (सिवाय अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी की संरचना के मामले में, जहां अवक्षयण की दर 100% है तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी उपकरण व साफ्टवेयर के मामले में, जहां अवक्षयण योग्य मूल्य 100% व बचा हुआ मूल्य शून्य है)। वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के परिवर्धनों/घटाव पर अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह से/उस माह तक जिसमें परिसम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोग में लायी गई है/बेची गयी है, भारित किया गया है।

(स) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है। अग्रेतर, अंशधारकों को सूचित करना है कि विभिन्न कमियां जो प्रबन्धन द्वारा पायी गई तथा वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ द्वारा इंगित की गई, उन्हें संज्ञान में लिया जायेगा तथा आवश्यकता हुई तो उसका लेखांकन अग्रेतर वर्षों में कर लिया जायेगा।

(द) निदेशको द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे सतत व्यापार आधार पर तैयार किये गये हैं।

(य) समस्त प्रभावी विधियों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशकगण द्वारा समुचित प्रणाली तैयार की गई है तथा कथित प्रणाली यथोचित एवं प्रभावशाली रूप से क्रियाशील थी।

<u>स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा</u> :–

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने से सम्बन्धित धारा 149 के प्रावधान कम्पनी पर लागू है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

<u>निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान व कर्तव्यों के निर्वाह से सम्बन्धित कम्पनी की नीतियाँ</u> :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से नामांकन व पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धित धारा 178(2),(3) एवं (4) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत प्रावधानित अर्हताएँ, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य सम्बन्धित मामले सहित नियुक्ति एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी कोई नीति कम्पनी द्वारा तैयार नही की गई है।

सम्प्रेक्षकों तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में दिये गये प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी :–

सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ एण्ड ए॰जी॰ तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा स्पष्टीकरण/टिप्पणी क्रमशः वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में प्रस्तुत किये गये है तथा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारण्टी व विनियोगों का विवरण :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से धारा 186 में नियत ऋण, गारण्टी व विनियोगों के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नही हैं।

सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण :–

चूँकि कम्पनी के नित्य क्रियाकलापों के दौरान ऐसे कोई भी समव्यवहार नहीं किये गये जो कि निष्पक्ष आधार पर न हों अतएव धारा 188 के आलोक में सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं हेतु प्रावधान कम्पनी पर लागू नही हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तथापि ओपीजीडब्ल्यू लाइनों को पट्टे पर देने से राजस्व प्राप्त होने से राजस्व में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में 25-10-2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी के एम॰ओ॰ए॰ में संशोधन किया गया है।

परिचालन प्रदर्शन

अ. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास एक विशाल विद्युत पारेषण नेटवर्क है। वर्ष 2021–22 के दौरान निगम के पास 765केवी से 132केवी तक के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के 619 सबस्टेशन थे और कुल परिवर्तन क्षमता 1,38,536 एमवीए थी। यह बिजली के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाने वाली राज्य की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैली लाइनों की 48,524 सर्किट किलोमीटर की दूरी तय करती है। वर्ष 2021–22 के दौरान पारेषण प्रणाली द्वारा 24,795 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया गया। जबकि वर्ष 2022–23 (31 जनवरी, 2023 तक) के दौरान 26,589 मेगावाट की अधिकतम मांग को पारेषण प्रणाली से पूरा किया गया। इतने बड़े नेटवर्क के संचालन और रखरखाव हेतु काफी प्रयास और सतर्क निगरानी की आवश्यकता होती है।

ब. अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन घाटे में कमी, वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार, उपलब्ध पारेषण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए यूपीपीटीसीएल ने प्राथमिकता के आधार पर, 33 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तरों पर कैपेसिटर बैंकों की स्थापना शुरू की है। वर्ष 2021–22 में 110 एमवीएआर कैपेसिटर स्थापित किये गये है।

परिचालन प्रमुखताएँ

अ. वर्ष 2021–22 के दौरान 400केवी का 2 सबस्टेशन, 220केवी का 6 सबस्टेशन एवं 132केवी के 07 सबस्टेशन को उर्जीकृत किया गया तथा 400केवी का 1 सबस्टेशन, 220केवी का 18 सबस्टेशन एवं 132केवी के 100 सबस्टेशनो

की क्षमता बढानें का काम पूरा किया गया। 765केवी का 426 सीकेएमएस, 400केवी का 242 सीकेएमएस, 220केवी का 415 सीकेएमएस तथा 132केवी के 1379 सीकेएमएस लाईनों में उर्जीकृत किया गया। 33केवी स्तर पर 110 एमवीएआर को उर्जीकृत किया जा चुका है।

ब. वर्ष 2021–22 के दौरान, फरवरी 2023 तक 400केवी का 2 सबस्टेशन, 220केवी का 14 सबस्टेशन एवं 132केवी के 5 सबस्टेशन को उर्जीकृत किया गया तथा 400केवी का 1 सबस्टेशन, 220केवी के 18 सबस्टेशन एवं 132केवी के 61 सबस्टेशनो की क्षमता बढानें का काम पूरा किया गया। 400केवी का 145 सीकेएमएस, 220केवी के 1107 सीकेएमएस तथा 132केवी के 1098 सीकेएमएस लाईनों को उर्जीकृत किया गया। 33केवी स्तर पर 30 एमवीएआर कैपीसिटर बैंकों को उर्जीकृत किया गया है।

स. वर्ष 2021–22 के दौरान–पारेषण की उपलब्धता 99.52% थी एवं पारेषण हानियाँ 3.33% थी।

द. विशेष रूप से सोलर ओपन एक्सेस परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाईन कनेक्टिविटी पोर्टल लांच किया गया है जो यूपीईआरसी नियमों के अनुसार 24x7 खुला रहेगा।

परियोजनाओं की निगरानी निदेशक (कार्य एवं परियोजना), यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ द्वारा की जा रही है। लाईनों और सब स्टेशनों के चालू होने के बाद निदेशक (संचालन) कार्यालय उनके उचित संचालन और रखरखाव की निगरानी करता है।

<u>संचालन की स्थिरता–</u>

पिछले कुछ गत वर्षों के दौरान, पारेषण तंत्र का काफी विस्तार किया गया है। इसलिए, कम से कम दोषों के साथ विश्वसनीय संचालन के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम को नियमित आधार पर लाइनों और उप–केन्द्रों के सुरक्षात्मक और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, निम्न प्रमुख कदम लिए गए :–

अ. ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ परावर्तक की क्षमता ने मौजूदा अधिभारित प्रणाली को सामान्य मापदंडो के भीतर बना दिया है। विभिन्न उपकेन्द्रों पर 220 केवी, 132 केवी और 33 केवी वोल्टेज स्तर के मौजूदा बस बारों को सुदृण किया गया। नई लाईनों/वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण से 6 सब–स्टेशनों रेडियलनेस को हटा दिया जायेगा, इसके अलावा एस/एस की 20 रीडायल सुविधा को भी हटा दिया जायेगा।

ब. अन्य उपलब्ध लाइनों को समकालिक तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई। इससे पारेषण नेटवर्क की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई और साथ ही पारेषण हानियों में कमी आई।

स. पारेषण लाइनों की गश्त, गलियारा निकासी का उचित रखरखाव, जम्पर कसना, विसंवाहको की सफाई और दोषपूर्ण विसंवाहको, टूटे हुए जमीनी तारों और लापता टावर सदस्य को बदलना। ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाईन विसंवाहको की सफाई की गई।

द. ढीले जोड़ों का पता लगाने के लिए पारेषण लाइनों और स्विच यार्ड की थर्मोविजन स्कैनिंग। कंडक्टर या उपकरण की विफलता से बचाने हेतु अधिक सीमा से ऊपर ताप वाले समस्त जोड़ो को शटडाउन प्राप्त होने के बाद तुरंत ध्यान दिया जाता है।

य. परावर्तक के स्वास्थ्य की निगरानी और किसी भी समस्या का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर विद्युत परावर्तक के तेल की जांच। विद्युत परावर्तक का रखरखाव जिसमें तेल का निस्पंदन, तेल रिसाव की जांच, शीतलन प्रणाली का रखरखाव आदि शामिल है। व्यवस्था सुचारू/परेशानी मुक्त संचालन के लिए स्विचयार्ड अर्थिंग की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

र. स्विचगियर्स एवं आइसोलेटर्स तथा सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण और रखरखाव।

ल. ओ एंड एम आउटसोर्सिंग/लागत अनुकूलन–लाइनों और उप–स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के लिए एकीकृत निविदा प्रणाली। नवनिर्मित सब–स्टेशनों के संचालन और रखरखाव को दो साल के लिए आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 400केवी के 08 नग सब–स्टेशन और 220केवी के 21 नग सब–स्टेशन को आउटसोर्स किया जा चुका है एवं 220केवी के 05 नग सब–स्टेशन और 132केवी के 07 नग सब–स्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। आउटसोर्सिंग में चौबीसों घंटे संचालन और रखरखाव (शेड्यूल और ब्रेकडाउन के अनुसार निवारक) और पर्याप्त कुशल और अकुशल जनशक्ति की तैनाती द्वारा सब स्टेशन का परीक्षण कार्य, परीक्षण और मापने वाले उपकरणों, उपकरणों और संयंत्रों, उपभोग्य सामग्रियों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आउटसोर्सिंग भी शामिल है। आउटसोर्सिंग से व्यय की लागत कम हो जाती है, उदाहरण के लिए विभागीय संचालन और रखरखाव के लिए 400केवी एस/एस व्यय का अनुमान सालाना ₹ 2.33 करोड़ है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसका अनुमान ₹ 1.02 करोड़ है।

पारेषण सर्कल स्तर पर सब–स्टेशनों और लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए एकीकृत निविदा को अपनाया गया है। प्रत्येक सर्कल को उसके नियंत्रण के अन्तर्गत सभी सब–स्टेशनों और लाइनों के लिए एकीकृत निविदा और अलग से एजेंसी नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। इससे निविदाओं की संख्या सीमित हो जाती है और समय की बचत होती है जिसका उपयोग सिस्टम के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए किया जाता है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी–

अ. **एसएएमएएसटी (शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग और लेनदेन का निपटान) परियोजना–** माननीय यूपीईआरसी ने उप्रपाट्रांकालि में एसएएमएएसटी योजना के कार्यान्वयन की इच्छा जताई, एसएएमएएसटी तेजी से लेखांकन और विद्युत लेनदेन के निपटान के लिए है। इस परियोजना में, सीईए नियमों के अनुसार टी–डी इंटरफेस बिंदु पर एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं। लोड वृद्धि, आरई एकीकरण आदि के कारण इंटरफेस पिंट में वृद्धि के साथ, मीटर डेटा को मैन्युअल रूप से एकत्र करना बेहद कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया बन गई है। तदनुसार, तेज ऊर्जा लेखांकन/निपटान के लिए एएमआर/एबीटी मीटर और आवश्यक संचार प्रणाली के बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से डेटा संग्रह की प्रक्रिया को स्वचालित करना नितांत आवश्यक हो गया है। विभिन्न सब–स्टेशनों पर 4573 नग एबीटी ऊर्जा मीटरों की स्थापना के लिए, मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड को एलओआई जारी किया गया है। एबीटी मीटर स्थापना कार्य प्रगति पर है और 20.03.2023 तक विभिन्न सब–स्टेशनों पर 488 नग एबीटी मीटर स्थापित किए गए हैं।

ब. **विश्वसनीय संचार योजना –** एससीएडीए डेटा की उपलब्धता, ग्रिड स्थिरता और बेहतर लोड प्रबंधन के उद्देश्य से उप्रपाट्रांकालि के पुराने 132 केवी सब–स्टेशनों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से, ऐसे सभी सब–स्टेशनों के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अलावा उप्रपाट्रांकालि में विश्वसनीय संचार योजना लागू की गई है। यह राज्य के भीतर ग्राम पंचायत और तहसील स्तरों के साथ कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के रूप में भी कार्य करेगा। विकसित की गई ऐसी मजबूत संचार प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और

राज्य के सुदूर कोनों को जोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। यह भारत सरकार का भी एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसके अलावा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के एक हिस्से के रूप में, ओपीजीडब्ल्यू की लगभग 14609 किलोमीटर फाइबर जोड़ी को दूरसंचार कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है, जिससे लगभग ₹ 70 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

स. **पारेषण लाइन पेट्रोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पेट्रोलिंग सॉफ्टवेयर)–** यह एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफार्म है जिसमें मोबाइल ऐप है। टावर से टावर लाइन पेट्रोलिंग डेटा लेने के साथ–साथ पाररेषण लाइन पेट्रोलिंग के शेड्यूल के लिए वेब एप्लिकेशन, पदानुक्रम आधारित एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करना, जैसे टावर की पेट्रोलिंग पूरी होने का प्रतिशत, कॉरिडोर की स्थिति, लाइनों में असामान्यताएं, कमजोर टावर, विक्रेता प्रदर्शन, महत्वपूर्ण टावर स्थान, वर्तमान दोष विश्लेषण आदि। यह निम्नलिखित तरीकों से यूपीपीटीसीएल के लिए सहायक होगाः

1) ओ एंड एम गतिविधियों के लिए पारेषण लाइन की सटीक निगरानी और बेहतर प्रबंधन।
2) प्रारंभिक दोषों का समय पर निवारण करना।
3) पारेषण लाइनों के टूटने में कमी।
4) पारेषण सिस्टम की उपलब्धता में वृद्धि।
5) प्रबंधन के लिए ऑनलाइन एमआईएस।

उपरोक्त कार्य के लिए एलओआई मेसर्स साइबर स्विफ्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को प्रदान किया गया है।

द. **ड्रोन पेट्रोलिंग–** यह क्लाउड आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है और इसमें समय और लागत को कम करने, सुरक्षा में सुधार करने और निर्णय निर्माताओं को वास्तविक समय डेटा संचालित अंतर्दष्टि प्रदान करके ओ एंड एम कार्यों में तेजी से निर्णय लेने के लिए कार्यवाही योग्य हवाई खुफिया जानकारी है। ड्रोन आधारित तकनीक का उपयोग करके ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ–साथ इसकी बुनियादी सुविधाओं का हवाई निरीक्षण, ट्रांसमिशन लाइनों का एक हवाई वीडियो (थर्मल/विजुअल) कैप्चर करता है और हॉटस्पाट, पतंग स्ट्रिंग आदि के संदर्भ में रिपोर्ट की गई विसंगतियों के लिए एक पीडीएफ/एक्सेल शीट रिपोर्ट तैयार करता है। उप्रपाट्रांकालि में, यह प्रत्येक जोन में नमूना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 06 नग में से 04 नग जोन ने फर्मों को एलओआई जारी कर दिया है और काम शुरू हो गया है।

य. **उप्रपाट्रांकालि में ईआरपी का कार्यान्वयन–** 01.09.2022 से उप्रपाट्रांकालि में ईआरपी पूरी तरह से चालू हो गया है। सभी पांच मॉड्यूल अर्थात संयंत्र और रखरखाव (पीएम), सामग्री प्रबंधन (एमएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), मानव संसाधन (एचआर) और वित्तीय और नियंत्रण (एफआई) मॉड्यूल उक्त तिथि से लाइव हो गए हैं।

वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान भौतिक उपलब्धियां :–

अ. लाइनें :–

क्रम संख्या	वोल्टेज क्षमता (के॰वी॰)	वित्तीय वर्ष **2021–22** में कुल लाइन–लम्बाई निर्माण (सर्किट किमी)	दिनांक **31.03.2022** को कुल लाइन–लम्बाई (सर्किट किमी)
1	765 के॰वी॰	425.810	1511.180
2	400 के॰वी॰	241.694	6776.691
3	220 के॰वी॰	414.690	13848.827
4	132 के॰वी॰	1379.087	26387.298

ब. (i) उप केन्द्र :–

वोल्टेज	नये संस्थापित		क्षमता वृद्धि		दिनांक **31.03.2022** को कुल परिवर्तक क्षमता (एम॰वी॰ए॰)
	उप केन्द्रों की संख्या	क्षमता (एम॰वी॰ए॰)	उप केन्द्रों की संख्या	क्षमता (एम॰वी॰ए॰)	
765 के॰वी॰	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6000
400 के॰वी॰	02	2000	01	500	23850
220 के॰वी॰	06	1140	18	2160	50780
132 के॰वी॰	07	440	100	3671	57906

ब. **(ii)** कैपिसिटर्स

33 के॰वी॰ – 110 एम॰वी॰ए॰आर॰

ब. **(iii)** बे (ऊर्जीकृत)

1. 765 के॰वी॰ – 01 नग
2. 400 के॰वी॰ – 11 नग
3. 220 के॰वी॰ – 19 नग
4. 132 के॰वी॰ – 49 नग
5. 33 के॰वी॰ – 98 नग

संस्थापित एवं परिचालित **400** के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1.	400 के॰वी॰ जीआईएस एस/एस जेहटा, लखनऊ
2.	400 के॰वी॰ जीआईएस एस/एस बस्ती

संस्थापित एवं परिचालित 220 के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1.	220 के॰वी॰ एस/एस जीआईएस आइआइटीजीएनएल, जी॰बी॰ नगर
2.	220 के॰वी॰ एस/एस अजीजपुर, शाहजहाँनपुर
3.	220 के॰वी॰ एस/एस गोला लखीमपुर
4.	220 के॰वी॰ एस/एस टुण्डला
5.	220 के॰वी॰ एस/एस सतरिख रोड, लखनऊ
6.	220 के॰वी॰ एस/एस दूल्हीपार

संस्थापित एवं परिचालित 132 के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1.	132 के॰वी॰ एस/एस माधोगढ़
2.	132 के॰वी॰ एस/एस कैपियरगंज
3.	132 के॰वी॰ एस/एस कोसीकलाँ (यूपीएसआईडीसी)
4.	132 के॰वी॰ एस/एस जीआईएस बीएसआर–II, गाजियाबाद
5.	132 के॰वी॰ एस/एस बिल्लौचपुरा
6.	132 के॰वी॰ एस/एस मनधाता
7.	132 के॰वी॰ एस/एस छन्बे

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी)

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) की स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। तदनुसार, यूपीएसएलडीसी यूपी राज्य में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन के लिए शीर्ष संस्था है। इसके कार्यों में बिजली का सारणीयन और प्रेषण, ग्रिड संचालन की निगरानी, ऊर्जा लेखांकन, अंतःराज्यीय ग्रिड का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, वास्तविक समय आपूर्ति सूचीयन द्वारा ग्रिड संचालन आदि शामिल हैं। यूपीएसएलडीसी प्रशासनिक/ग्रिड सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की रोस्टरिंग द्वारा मांग का प्रबंधन भी कर रहा है। एसएलडीसी केन्द्रीय और राज्य नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदेशित है। ग्रिड संचालन केंद्र और राज्य आयोग द्वारा जारी ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाता है। उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग ने अधिनियम के तहत कई अन्य विनियम बनाए हैं और एसएलडीसी इस के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एसएलडीसी की मुख्य रूप से गतिविधियां निम्नवत हैं:

- **वास्तविक समय ग्रिड संचालन :** ग्रिड सुरक्षा के हित में, यह आवश्यक है कि सूचीकृत निकासी और वास्तविक निकासी के बीच का अंतर हर समय न्यूनतम हो, पारेषण लाइनों की अतिभारिता से बचा जाए, सभी उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों पर निर्दिष्ट सीमा तक वोल्टेज को बनाए रखा जाए, बिजली का प्रेषण इस तरह से किया जाए कि बिजली उत्पादन की लागत न्यूनतम हो। एसएलडीसी और एएलडीसी (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र) में बिजली प्रणाली के मापदंडों की सतत निगरानी से मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखा जाता है। एएलडीसी की जिम्मेदारी डिस्कॉम के भौगोलिक क्षेत्र के साथ जोड़ दी गई है। एसएलडीसी के अंतर्गत चार एएलडीसी हैं, अर्थात् पूर्वांचल के

लिए सारनाथ, मध्यांचल के लिए मुरादाबाद, दक्षिणाचल और केस्को के लिए पनकी तथा पश्चिमांचल के लिए मोदीपुरम और एनपीसीएल डिस्कॉम। आईटी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, एएलडीसी जो सारनाथ, पनकी और मुरादाबाद में स्थित थे, लेकिन उनके कामकाज से समझौता किए बिना, उन्हें संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2021-22 में एसएलडीसी लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है। बैक अप एसएलडीसी पश्चिमांचल के लिए एएलडीसी के साथ मोदीपुरम में स्थित है।

- संकुलता प्रबंधन और प्रतिक्रियात्मक बिजली प्रबंधन बिजली व्यवस्था के संचालन के अन्य पहलू हैं जिन्हें ग्रिड के सुरक्षित संचालन के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। एसएलडीसी उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी), उत्पादन केन्द्रों, यूपी की बिजली वितरण कंपनियों और पारेषण प्रणाली प्राधिकरणों के समन्वय से ग्रिड मापदंडों की 24 x 7 निगरानी द्वारा सुरक्षित ग्रिड संचालन सुनिश्चित करता है। ग्रामीण, बुंदेलखंड और तहसील स्तर पर अधिसूचित घंटे के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली की रोस्टरिंग लागू की गई है। जब भी ग्रिड से निश्चित सीमा से निकासी अधिक हो जाती है तो आपातकालीन रोस्टरिंग की भी आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन अठारह घंटे, बुंदेलखंड क्षेत्र में बीस घंटे, तहसील स्तर पर साढ़े इक्कीस घंटे बिजली आपूर्ति एसएलडीसी स्तर पर सुनिश्चित की गई है। एसएलडीसी स्तर से सभी जिला मुख्यालयों एवं उससे ऊपर के कस्बों में 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी गयी है। डिस्कॉम के एमडी/निदेशक(टी) द्वारा अनुशंसा किए जाने पर कुछ फीडरों को लोड शेडिंग से छूट दी गई है। वर्ष के दौरान 25071 मेगावाट और 128276 मिलियन यूनिट की अधिकतम मांग बिना किसी नेटवर्क बाधा के पूरी की गई।
- सीईआरसी विनियमन के अनुसार एनआरएलडीसी को ग्रिड सुरक्षा के हित में सुधारात्मक कार्यवाही के लिए एसएलडीसी को निर्देश जारी करने को आदेशित है। ग्रिड कोड के अनुपालन में एनआरएलडीसी के निर्देशों के अनुसार जब भी आवश्यक हो आपातकालीन रोस्टरिंग की जाती है। वर्ष के दौरान आपातकालीन रोस्टरिंग को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। वास्तविक समय संचालन के लिए, एससीएडीए उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के वास्तविक समय के संग्रहण के लिए एक आवश्यक उपकरण है। मार्च 2021 में सीईआरटी के साईबर सुरक्षा दिशा निर्देशों और ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिकारियों के सभी दिशानिर्देशों, निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
- एसएलडीसी रखरखाव के लिए नवीन घटको को ऊजीकृत करने और पारेषण घटकों/उत्पादक इकाइयों को बंद करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, एसएलडीसी ने लगभग 410 नए घटकों को ऊजीकृत करने की सुविधा प्रदान की।
- एसएलडीसी अल्पकालीन निर्बाध अभिगम के लिए केन्द्रीय अभिकरण है, 2021–22 के दौरान 86 नए ग्राहकों को अल्पकालीन निर्बाध अभिगम की अनुमति दी गई है। ओपन एक्सेस अप्रूवल की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, ग्राहकों की मदद के लिए एसओपी और शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस प्रक्रिया का वीडियो प्रदर्शन वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। एसएलडीसी राज्य ग्रिड पर प्रसारित बिजली के ऊर्जा लेखांकन के लिए भी उत्तरदायी है, यह ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ओपेन एक्सेस ग्राहकों और नवीकरणीय जनरेटर को जोडने के कारण ऊर्जा लेखा विवरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मार्च, 22 माह में 981 और वर्ष 2021-22 में लगभग 9900 ऊर्जा लेखे निर्गत किये गए।

- सभी 765केवी, 400केवी और 270 केवी सबस्टेशनों के साथ–साथ समस्त जनरेटिंग स्टेशन पूरी तरह से यूपीएसएलडीसी के एससीएडीए प्रणाली में एकीकृत हैं। उपरोक्त के अलावा, 132केवी सबस्टेशनों में से 30% भी एससीएडीए प्रणाली में एकीकृत हैं जो ग्रिड प्रबंधन के लिए प्रासंगिक हैं। यूपीपीटीसीएल की संचार इकाई ने एसएलडीसी लखनऊ और बैकअप एसएलयूजी मोदीपुरम तक डेटा संचारित करने के लिए संचार प्रणाली के साथ–साथ सबस्टेशनों पर डेटा कैप्चरिंग इकाइयों को चालू करके शेष 132 केवी सबस्टेशनों को एकीकृत करने का कार्य किया है।
- वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसएलडीसी को कई निर्देश दिए हैं। यूपीएसएलडीसी को एनसीआईआईपीसी (नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर) द्वारा आईटी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे की पहचान की गई है। एनसीआईआईपीसी की सममति प्राप्त करने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार से यूपीएसएलडीसी को महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है। साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी अनुपालन सुनिश्चित किये जा रहे हैं।
- ओपन एक्सेस और ऊर्जा लेखांकन की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ओपन एक्सेस आवेदकों को सभी स्वीकृतियां ऑनलाइन दी जा रही हैं।

1. <u>नियोजन व वाणिज्यिक गतिविधियाँ :–</u>

(अ) <u>प्रमुख नियोजन गतिविधियाँ हैः–</u>

(i) एक तकनीकी–आर्थिक अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करना।

(ii) डिस्काम/यूपीपीसीएल/एसएलडीसी से मुख्य निविष्ट आंकड़ों अर्थात् भार, मांग, उत्पादन योजना का संग्रहण और तदनुसार भार प्रवाह अध्ययन।

(iii) विकसित प्रणाली में विभिन्न भार और उत्पादन के परिदृश्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए।

(iv) सीईए पारेषण योजना मानदंड–2013 के अनुसार योजना और अनुमोदन (आमतौर पर 5 साल की सीमा के लिए), जिसे यूपीपीटीसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत किया गया है।

(v) आयात आवश्यकताओं के अनुरूप कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी) सुनिश्चित करना।

(vi) प्रमुख कार्यों के लिए सीईए, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) का अनुमोदन प्राप्त करना।

उपरोक्त के अलावा, इस वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे, यूपीईआरसी एमवाईटी विनियम, 2019 के अनुसार, ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी नई परियोजनाओं के लिए तिमाही आधार पर यूपीईआरसी से पूर्व निवेश अनुमोदन लिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,793.62 करोड़ की लागत के विभिन्न पारेषण कार्यों को मंजूरी दी गई। यूपीईआरसी विनियमन के अनुपालन में, ₹ 524.90 करोड़ (₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत) की परियोजनाओं को निवेश अनुमोदन के लिए यूपीईआरसी को प्रस्तुत किया गया थाः–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	वि॰व॰ 2021–22 का तिमाही	यूपीईआरसी की तिथि
1.	3x60 एमवीए, 220/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन, किदवई नगर, गोविंद नगर (कानपुर) और एसोसिएटेड लाइनों का निर्माण	प्रथम	26-10-2021
2.	132 केवी/मऊरानीपुर–गुरुसराय एस/सी लाइन और एसोसिएटेड बेज का निर्माण	द्वितीय	07-04-2022
3.	2x40 एमवीए, 132/33 केवी शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर) और एसोसिएटेड लाइनों का निर्माण		
4.	2x63 एमवीए, 132 केवी बुढाना–II (मुजफ्फरनगर) एसध्एस और इसकी एसोसिएटेड लाइनों का निर्माण	तृतीय	28-07-2022
5.	2x40 एमवीए, 132 केवी नरैनी (बांदा) एसध्एस और इसकी एसोसिएटेड लाइनों का निर्माण		
6.	2x40 एमवीए, 132 केवी राम नगर (बाराबंकी) एस/एस और इसकी एसोसिएटेड लाइनों का निर्माण		
7.	220 केवी तिर्वा (कन्नौज) (2x160+2x63 एमवीए) एस/एस और इसकी एसोसिएटेड लाइनों का निर्माण	चतुर्थ	23-09-2022
8.	132 केवी मवाना (2x63 एमवीए) एस/एस से 220 केवी मवाना (मेरठ) (2x160+3x63 एमवीए) एस/एस और इसकी संबद्ध लाइनों का उन्नयन		
9.	132 केवी नोएडा सेक्टर–62 (3x63 एमवीए) एस/एस से 220 केवी नोएडा सेक्टर–62 (गौतम बौद्ध नगर) (2x160+3x63 एमवीए) एस/एस और इसकी संबद्ध लाइनों का उन्नयन		

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 13 टीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई और ₹ 9700.91 करोड़ की लागत वाले विभिन्न ट्रांसमिशन कार्य स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए यूपीईआरसी द्वारा दी गई निवेश मंजूरी की स्थिति निम्नवत् है–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	वि॰व॰ 2021–22 का तिमाही	यूपीईआरसी की तिथि
1.	हरित ऊर्जा गलियारा–II परियोजनाएं।	प्रथम	याचिका दायर की जाएगी

2.	400 केवी जीआईएस मेट्रो डिपो सबस्टेशन और संबंधित लाइनें	द्वितीय	याचिका दायर की जाएगी
3.	400 केवी/जीआईएस जलपुरा सबस्टेशन और संबंधित लाइनें		
4.	400 केवी जीआईएस जेवर सबस्टेशन और संबंधित लाइनें		
5.	400 केवी जीआईएस सेक्टर–148 (गौतम बौद्ध नगर) में अतिरिक्त 1x500 एमवीए का विस्तार		
6.	400 केवी बरेली 3x315 एमवीए पर अतिरिक्त 2x50 एमवीए का विस्तार कुल क्षमता (2x500+1x315) एमवीए		
7.	132 केवी 2x40 एस/एस एमवीए ढोलाना		
8.	132 केवी सरोजनी नगर (400)–कुंदन रोड (132) एससी लाइन में एचटीएलएस द्वारा पैंथर कंडक्टर का प्रतिस्थापन		
9.	220/33 केवी 3x60 एमवीए वसुंधरा (गाजियाबाद) जीआईएस सबस्टेशन और संबंधित लाइनें	तृतीय	याचिका दायर की जाएगी
10.	220/33 केवी 2x60 एमवीए कैंट चौकाघाट वाराणसी जीआईएस सबस्टेशन और संबंधित लाइनें		
11.	220/132/33 केवी 2x160+2x40 एमवीए खागा (फतेहपुर) सबस्टेशन और संबंधित लाइनें		
12.	132 केवी दर्शन नगर अयोध्या का 220 केवी 1x160+2x40 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन में उन्नयन		
13.	132x33 केवी 2x63 एमवीए भंगेल (एक्सटेंशन) गौतम बुद्ध नगर जीआईएस सबस्टेशन और संबंधित लाइनें		
14.	132 केवी 2x40 एमवीए धनौरा (अमरोहा) सबस्टेशन और संबंधित लाइनें		
15.	132 केवी आजमगढ़ (220)–लालगंज लाइन और 132 केवी आजमगढ़ (220) कोयलसा लाइन के लिए पुराने ब्लैक स्टील टॉवर को नए टॉवर से बदलना		
16.	पुराने ब्लैक टॉवर और डॉग कंडक्टर का प्रतिस्थापन– i. 132 केवी आजमगढ़ (220) मोहम्मदाबाद लाइन ii. 132 केवी मोहम्मदाबाद–बड़ागांव iii. 132 केवी बड़ागांव–मऊ पुरानी लाइन		

17.	400 केवी बस्ती सबस्टेशन पर 220 केवी सोहावल–गोंडा लाइन का ट्रांसमिशन संबंधी कार्य		
18.	400/220केवी 3x500एमवीए जीआईएस एस/एस सेक्ट॰–28 वाईआईईडीए गौतमबुधनगर आईएनसी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर		
19.	132 केवी (1x63+1x40) एमवीए सेसैन बेल्थेरा रोड (बलिया) डबल मेन ट्रांसफर एस/एस		
20.	220केवी ग्रेटर नोएडा (पाली)–नोएडा सेक्टर–20 डीसी लाइन के दूसरे सर्किट के जेब्रा कंडक्टर को एचटीएलएस कंडक्टर (एसीसीसी ड्रेक) से बदलना–30 किमी	तृतीय	याचिका दायर की जाएगी
21.	खुर्जा बुलन्दशहर से 220/132/33केवी का एल/सी (2x200+2x63+1x40) एमवीए से (2x200+1x160+3x63) एमवीए आईएनसी बे		
22.	132 केवी 2x40 एमवीए एस/एस नेवाजगंज (रायबरेली) का निर्माण कार्य	चतुर्थ	याचिका दायर की जाएगी
23.	132 केवी 2x40 एमवीए एस/एस दूधली (सहारनपुर) एवं संबंधित लाइन का निर्माण कार्य		

ब) <u>प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियां</u>:

(i) बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2019 के अनुसार यूटिलिटी को 5 साल के लिए अपनी व्यवसाय योजना और पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप याचिका जिसके लिए सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखें उपलब्ध हैं, पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर चालू वर्ष के लिए वार्षिक सम्पादन की समीक्षा (एपीआर) याचिका और अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका फाइल करनी होगी।

(ii) टीबीयू इकाई द्वारा डिस्कॉम और निर्बाध अभिगम उपभोक्ता के लिए पारेषण शुल्क मासिक बीजक जारी करने की नियमित निगरानी।

<u>निर्गत टैरिफ आदेश</u>

- यूपीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2021 (याचिका संख्या 1656/2020) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर/टैरिफ को अनुमोदन दिया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रांसमिशन दर

विवरण	अनुमोदित
शुद्ध एआरआर (₹ करोड़)	2,720.50
संभाली गई ऊर्जा (मेवा॰)	1,12,360.21
पारेषण दर (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2421

- **यूपीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 20.07.2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर को मंजूरी दे दी है। (याचिका 1839/2022)**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पारेषण दर

विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2022–23 के लिये एआरआर (₹ करोड़)	3,097.17
सम्भाली गई ऊर्जा (एमयू)	1,25,638.50
पारेषण दर (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2465

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप पारेषण दर

विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2020–21 के लिये ट्रू–अप एआरआर (₹ करोड़)	2,791.66
संभाली गई ऊर्जा (मेवा॰)	1,19,091.98
वि॰व॰ 2020–21 से सम्बन्धित परिचालनों से राजस्व	2,434.28
शुद्ध अन्तर (₹ करोड़ में)	357.38
पारेषण शुल्क (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2344

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप पर ₹ 357.38 करोड़ के शुद्ध अंतर की वसूली की अनुमति दी थी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ/एआरआर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू–अप के लिए याचिका 23.11.2022 को दायर की गई। यूपीईआरसी द्वारा प्रवेश आदेश 28.02.2023 को जारी किया गया था और सार्वजनिक सुनवाई 21.04.2023 को आयोजित की गई है।

भविष्य के लिए पारेषण योजनाः–

20वीं ईपीएस के लिए डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य के लिए वर्षवार अनुमानित अधिकतम बिजली मांग का पूर्वानुमान उद्धृत किया गया है।

20वीं ईपीएस रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित पेक पावर मांग

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
पेक पावर मांग (मे॰वा॰)	26028*	27531	29235	31061	33017	35082

*वित्त वर्ष 2022–23 में वास्तविक 26589 मेगावाट

बिजली की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2027–28 तक 35,082 मेगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 75,131 एमवीए परिवर्तन क्षमता के साथ वित्त वर्ष 2022–23 से वित्त वर्ष 2027–28 तक 143 सबस्टेशन जोड़ने की योजना बनाई गई है।

प्रगति एवं उपलब्धियाँ :

वित्त वर्ष 2021–22 में यूपीपीटीसीएल ने 16 नए सबस्टेशन (03 नग 400 केवी, 06 नग 220 केवी और 07 नग 132 केवी सबस्टेशन सहित), 2,688 सीकेटी किमी लाइनें और 10,861 एमवीए परिवर्तन क्षमता जोड़े।

मार्च 2022 तक इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क

	वोल्टेज	मार्च, 2021 तक	वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अतिरिक्त	मार्च 2022 तक
सबस्टेशनों की संख्या	765	5	00	05
	400	30	03	33
	220	131	06	137
	132	449	07	456
कुल		**615**	**16**	**631**
परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	765	615	00	13000
	400	13,000	3,130	32,065
	220	28,935	3,620	52,060
	132	48,440	4,111	57,906
कुल		**1,44,170**	**10,861**	**1,55,031**
पारेषण लाइन की लंबाई (सीकेटी किमी)	765	1,878	654	2,532
	400	7,486	242	7,728
	220	13,429	415	13,844
	132	25,159	1,377	26,536
कुल		**47,952**	**2,688**	**50,640**

मार्च 2023 तक इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क

	वोल्टेज	मार्च, 2022 तक	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अतिरिक्त	मार्च 2023 तक
सबस्टेशनों की संख्या	765	05	1	6
	400	33	4	37
	220	137	16	153
	132	456	7	463
कुल		**631**	**28**	**659**

परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	765	13,000	4,500	17,500
	400	32,065	5,015	37,080
	220	52,060	6,680	58,740
	132	57,906	3,461	61,367
कुल		**1,55,031**	**19,056**	**1,74,687**
पारेषण लाइन की लंबाई (सीकेटी किमी)	765	2,532	533	3,065
	400	7,728	833	8,561
	220	13,844	1,291	15,135
	132	26,536	1,189	27,725
कुल		**50,640**	**3,846**	**54,486**

परिचालन उपलब्धियाँ :

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए परिचालन उपलब्धियों का सारांश

पैरामीटर	यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत	हासिल किया
अधिकतम पूरी मांग (मेगावाट)	25,486	24,795
टीटीसी (मेगावाट)	14,000	13,000
पारेषण हानियाँ	3.33%	3.33%
पारेषण सिस्टम उपलब्धता	98%	99.51%

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए परिचालन उपलब्धियों का सारांश

पैरामीटर	यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृत	हासिल किया
अधिकतम पूरी मांग (मेगावाट)	27,212	26,589
टीटीसी (मेगावाट)	14,000	14,000
पारेषण हानियाँ	3.27%	3.31%
पारेषण सिस्टम उपलब्धता	98%	99.44%

नियामक द्वारा पारित आदेश :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 में टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा जारी आदेश को मंजूरी

क्र॰सं॰	प्रकार	नाम	आदेश की तिथि
1.	टैरिफ आदेश	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष के लिए एपीआर 2020–21, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और टैरिफ	29-06-2021
2.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2020–21 की तीसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर।	06-05-2021
3.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2020–21 की चौथी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	12-07-2021
4.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	26-10-2021

वित्त वर्ष 2022–23 में टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा जारी आदेश को मंजूरी

क्र॰सं॰	प्रकार	नाम	आदेश की तिथि
1.	टैरिफ आदेश	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष के लिए एपीआर 2021–22, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर और टैरिफ	20-07-2022
2.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर।	07-04-2022
3.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की तीसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	28-07-2022
4.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2021–22 की चौथी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	23-09-2022
5.	तिमाही निवेश	वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही में निवेश ₹ 20 करोड़ से ऊपर	20-03-2023

मण्डल द्वारा संचय में अन्तरित करने हेतु प्रस्तावित की गई धनराशि, यदि कोई हो :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध हानि ₹ 556.26 करोड़ और वर्ष तक ₹ 1401.42 करोड़ की संचित हानियां रही। किसी विशिष्ट संचय में धनराशि अन्तरित किया जाना प्रस्तावित नही है।

धनराशि, जो कि लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिये संस्तुत की गई, यदि कोई हो :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध हानि ₹ 556.26 करोड़ और वर्ष तक ₹ 1401.42 करोड़ की संचित हानियां रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशकगणों ने लाभांश के लिये कोई धनराशि संस्तुत नही की है।

तुलन पत्र से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा प्रतिवेदन की तिथि के मध्य हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों :–

सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा कारपोरेट लेखा कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार तुलनपत्र से सम्बन्धित कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं घटित नही हुये हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन तथा व्यय :–

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सपठित नियम 8(3) कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 की आवश्यकतानुसार सूचनाएं इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–IV में वर्णित हैं।

कम्पनी के जोखिम प्रबन्धन नीति के विकास तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी विवरण :–

कम्पनी में जोखिम प्रबन्धन नीति निर्धारित नहीं है क्यूंकि कम्पनी के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले तत्वों की मौजूदगी न्यूनतम है।

कम्पनी द्वारा निगमीय समाजिक दायित्व उपक्रम अन्तर्गत विकसित तथा क्रियान्वित नीतियों का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के प्राविधानानुसार कम्पनी द्वारा सी॰एस॰आर॰ नीति अंगीकृत की गई है, (अनुलग्नक–V)। अधिनियम के अन्तर्गत गठित सी॰एस॰आर॰ समिति में निम्नवत् निदेशक शामिल हैं :–

1. प्रबन्ध निदेशक–अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त)–सदस्य
3. निदेशक (नियोजन व वाणिज्य)–सदस्य
4. निदेशक (परिचालन) – सदस्य
5. निदेशक (कार्य एवं परियोजना) – सदस्य

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन, अनुबंध–V के रूप में संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत निक्षेपों का विवरण :–

वार्षिक लेखे 2021–22 से ली गयी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जनता से कोई निक्षेप याचित/स्वीकार नहीं किये गये।

सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कम्पनी के सापेक्ष पारित आदेशों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई वस्तुगत आदेश नहीं पारित किये गये जिसका कम्पनी के सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव हो।

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण :–

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना निम्नवत् है :–

अध्यक्ष, उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ – अध्यक्ष

निदेशक (परिचालन) – सदस्य

विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश सरकार – सदस्य

नामित निदेशक, पावरग्रिड – सदस्य

निदेशक (वित्त) सम्प्रेक्षा समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होता है जबकि कम्पनी सचिव समिति की बैठकों का समन्वयक होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथावर्णित निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व सम्प्रेक्षा समिति द्वारा वार्षिक वित्तीय प्रपत्रों, सांविधिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ के प्रतिवेदनों तथा उन पर उत्तरों की समीक्षा करती है तथा उनको निदेशक मण्डल में अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है।

सतर्कता तंत्र :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सतर्कता तन्त्र का उद्देश्य ऐसे तन्त्र का उपयोग करने वालों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना तथा उचित अथवा आपवादिक प्रकरणों में सम्प्रेक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हेतु प्राविधान करना है। संगठन के अंतर्गत सतर्कता तन्त्र के अस्तित्व का उचित सम्प्रेषण कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल एवं शीर्ष प्रबंधन कार्मिको में परिवर्तन :–

समीक्षाधीन वर्ष में निदेशक मण्डल में विचाराधीन परिवर्तन निम्नवत् रहा :

क्र॰ सं॰	नाम	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ / दौरान पदनाम	अवधि (2021-22)	
			नियुक्ति की तिथि / पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति, पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति)
1.	श्री गुरूप्रसाद पोराला	प्रबन्ध निदेशक	23.07.2021	नियुक्ति
2.	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव	पूर्णकालिक निदेशक	22.05.2021	नियुक्ति
3.	श्री अजय कुमार पुरवाल	पूर्णकालिक निदेशक	12.10.2021	नियुक्ति
4.	श्री रवीन्द्र नागपाल	नामित निदेशक	18.11.2021	नियुक्ति
5.	श्री सेन्थिल पाण्डियन सी	प्रबन्ध निदेशक	23.07.2021	समाप्ति
6.	श्री बिभु प्रसाद महापात्रा	पूर्णकालिक निदेशक	22.05.2021	समाप्ति
7.	श्री संजय गुप्ता	नामित निदेशक	30.09.2021	समाप्ति
8.	श्री राकेश कुमार सिंह	पूर्णकालिक निदेशक	04.06.2021	समाप्ति
9.	श्री विनोद कुमार खरे	पूर्णकालिक निदेशक	07.10.2021	समाप्ति

निदेशक मण्डल निदेशकों द्वारा कम्पनी के साथ उनके एसोसिएशन के दौरान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिये आभार व्यक्त करता है।

सांविधिक सम्प्रेक्षक :–

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कं॰, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को कम्पनी में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये सांविधिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण किया गया।

लागत सम्प्रेक्षक :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की उपधारा 148 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना कम्पनी का दायित्व है। लागत लेखे एवं अभिलेख परिक्षेत्र कार्यालय पर बनाए एवं अनुरक्षित इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किए गये है।

निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टीवाईपीएसजीओ एण्ड कं॰, लागत सम्प्रेक्षक, 38ए, सर्कुलर रोड, मैत्रीपुरम् बिछिया, गोरखपुर–273012 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये लागत सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सचिवीय सम्प्रेक्षक :–

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 सपठित कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में, कम्पनी के बोर्ड ने सीएस मर्दन सिंह, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये सचिवीय सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन, टिप्पणियों पर प्रबन्धन के स्पष्टीकरण सहित इस प्रतिवेदन का भाग है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखों की समीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अंतिम टिप्पणियां, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखों के साथ–साथ उस पर प्रबंधन के उत्तर भी इस प्रतिवेदन में संलग्न हैं।

सम्प्रेक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सांविधिक सम्प्रेक्षकों या सचिवीय सम्प्रेक्षकों ने अधिनियम की धारा 143(12) के तहत सम्प्रेक्षा समिति या निदेशक मंडल को इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों सहित किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

कर्मचारियों का विवरण :–

कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, निगम में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भी भाग हेतु नियुक्त नहीं था जिसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 1.20 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा ₹ 8.5 लाख प्रतिमाह से अधिक वेतन आहरित किया हो।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित प्रकटीकरण :–

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और कार्य अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। कम्पनी ने तद्नुसार पूर्वोक्त अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दो प्रकरण प्रत्यावेदित किये गये है एवं उन दोनो का कम्पनी द्वारा सफलतापूर्वक निपटान कर दिया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण :–

कम्पनी में वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान है व उसके अग्रेतर सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय भी किये जा रहे हैं।

सहायक कम्पनियाँ :–

वर्ष 2021–22 के दौरान कोई भी कम्पनी उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ की सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी कम्पनी नही बनी।

औद्योगिक सम्बन्ध :–

समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहे है।

मानव संसाधन विकास :–

आपकी कम्पनी का मानना है कि, वर्तमान परिवर्तनशील परिदृश्य में, उभरती हुई व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन आवश्यकता एवं कौशल स्थिति का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तद्नुसार, प्रबंधन लगातार स्थिति की सतत निगरानी करता है तथा सेवानिवृत्ति के कारण कमी के साथ–साथ नवीन कौशल की आवश्यकता के कारण हुई कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियाँ रखता है।

मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार हैः–

अ) भर्ती और जनशक्ति वृद्धि :

यूपीपीटीसीएल के लिए सभी प्रकार की भर्ती यूपीपीसीएल द्वारा 2021–22 में की गई थी। जनशक्ति को जोड़ने के लिए यूपीपीटीसीएल को कुल 35 सहायक अभियंताओं को आवंटित किया गया।

ब) पदोन्नति :

1. सामान्य कैडर यानी एई, ईई और उससे ऊपर की पदोन्नति यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है और फिर यूपीपीटीसीएल को आवंटित की जाती है। पदोन्नति के बाद कुल 53 राजपत्रित कर्मचारियों को यूपीपीटीसीएल को आवंटित किया गया।
2. अकाउंट कैडर यानी एओ और उससे ऊपर की पदोन्नति यूपीपीसीएल द्वारा की जाती है और फिर यूपीपीटीसीएल को आवंटित की जाती है। यूपीपीटीसीएल को लेखा संवर्ग के कुल 03 राजपत्रित कर्मचारी आवंटित किये गये।

स. प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम :

अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी के लिए उनकी क्षमताओं और व्यवहार को बढ़ाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, उदाहरण के लिए : –

1. 22.07.2021 को कुल 91 एई (प्रशिक्षुओं) ने ''जीआईएस और इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफॉर्मर्स'' पर मेसर्स सीजी पॉवर्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
2. 20.07.2021, 26.07.2021 और 27.07.2021 को कुल 30 एई (प्रशिक्षुओं) ने 400 केवी डबल सर्किट (जीआईएस) सब स्टेशन, जेहटा, लखनऊ में ''ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम'' में भाग लिया।

3. दिनांक 12.10.2021 को मेसर्स जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ द्वारा ''प्रबंधकीय प्रभावशीलता, सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार का विकास'' और ''ई–ऑफिस और जेम पोर्टल'' पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 30 एसई/ईई ने भाग लिया।

द) कर्मचारी संबंधों :

इस अवधि के दौरान कर्मचारी–प्रबंधन संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे।

य) कल्याण गतिविधियाँ :

प्रबंधन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम एवं कार्य किये गये। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया गया। कार्यस्थलों का स्वच्छताकरण और सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। सेवाकाल में मृत विभागीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की गई। संविदा कर्मचारियों का भुगतान सुनिश्चित किया गया और प्रबंधन द्वारा काउंटर चेक भी किया गया।

र) पुरस्कार और मान्यता :

समय–समय पर कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र दिये गये।

वार्षिक विवरणी :–

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2021 कंपनी की वेबसाइट–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/एसआईटीई/डब्ल्युआरआईटीईआरईएडीडीएटीए/एएसटीईसीओएनटीईएनटी/एएनएनयुएएल –आरईटीयूआरएन _200423.पीडीएफ पर उपलब्ध है।

अभिस्वीकृति :–

निदेशक मण्डल विभिन्न केन्द्रीय व राजकीय सरकारी विभागों, उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग, सी॰ई॰आर॰सी॰, केन्द्रीय ऊर्जा उपयोगिताओं, पी॰एफ॰सी॰, आर॰ई॰सी॰, बैंको व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये सहयोग तथा सतत समर्थन का आभार व्यक्त करती है। उपरोक्त के अलावा, निगम, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰, एम॰वी॰वी॰एन॰एल॰, डी॰वी॰वी॰एन॰एल॰, पी॰यू॰वी॰वी॰एन॰एल॰, और पी॰वी॰वी॰एन॰एल॰ और केस्को का सहयोग और समर्थन करता है। निदेशक मण्डल ठेकेदारों, विक्रेताओं व सलाहकारों के परियोजनाओं को समय से पूर्ण किये जाने के प्रयास में उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मण्डल सांविधिक सम्प्रेक्षकों, लागत सम्प्रेक्षको, सचिवीय सम्प्रेक्षक और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कार्यालय द्वारा दिये गये सहयोग की भी गहन सराहना करता हैं। निदेशकगण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा करते हैं जो आपकी कम्पनी को उस मंच तक ले गये हैं जहॉ यह आज खड़ी है और विश्वास करते हैं कि उनकी सतत निष्ठा आपकी कम्पनी को भारत में विद्युत पारेषण गतिविधियों में निकट भविष्य में एक और जयपत्र प्राप्त करने में सक्षम होगी।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह॰–	–ह॰–
(निधि कुमार नारंग)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं॰–03473420	डीआईएन नं॰–07979258

दिनांक : 25.08.2023
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ के दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर संवैधानिक सम्प्रेक्षको के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सेवा में, **सदस्यगण,** **उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड,** **शक्ति भवन, लखनऊ।** **<u>एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन</u>** **मर्यादित अभिमत :** हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (''एकल वित्तीय विवरणों'') जिसमें छः पारेषण परिक्षेत्रों (''परिक्षेत्रों'') के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और हानि, अन्य व्यापक आय सहित, इसके हानि, इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समता में परिवर्तन को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम,	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।	
परिमित अभिमत का आधार : हम 'अनुलग्नक–I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।	कोई टिप्पणी नहीं
हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।	कोई टिप्पणी नहीं
सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले : सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' के अलावा इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी सम्प्रेक्षा में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख सम्प्रेक्षा के मामले नहीं हैं।	
विषय का महत्व अनुच्छेद : यूपी पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने अधिशेष संचित निधि को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सावधि जमा में निवेश किया। उक्त कंपनी के दिवालिया होने के कारण, इसमें निवेश की गई राशि, अप्राप्त ब्याज और उस पर अनुमानित ब्याज सहित नष्ट हो गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि डीएचएफएल में खोई गई राशि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड डिस्कॉम, यूपी राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड से ट्रस्ट द्वारा उनके जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के अनुपात में प्राप्त की जाएगी। । इस संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 33,444.27 लाख का प्रावधान किया है और असाधारण मद के रूप में वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। इसे निदेशक मंडल द्वारा 29-08-2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है (टिप्पणी संख्या 33 अनुच्छेद 20 देखें)। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें : कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
में शामिल सूचनाएँ सम्मिलित हैं किन्तु एकल वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन को इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।	
एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उपर्युक्त अभिज्ञात अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा में प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है।	कोई टिप्पणी नहीं
जब हम उपरोक्त अभिज्ञात प्रतिवेदन को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों से संप्रेषित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करेगें।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व : अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन एकल वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, रोकड़ प्रवाह एवं समता में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन, ऐसे अनुमान एवं निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो, हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।	
एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
ऐसे शासन प्रभारित लोग कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व : हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।	
एस॰ए॰ के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :– ● एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं
● ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रकटन समेत एकल वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
परिणाम का मूल्यांकन करने में एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।	
हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
हम नियंत्रण प्रभारियों को विवरण प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवेदन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।	कोई टिप्पणी नहीं
अन्य मामले : कम्पनी के एकल वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र (एल॰सी॰:11 एवं 12), गोरखपुर परिक्षेत्र (एल॰सी॰:13 एवं 14), लखनऊ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 15, 16 एवं 17), मेरठ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 18 एवं 19), आगरा परिक्षेत्र	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
(एल॰सी॰: 20 एवं 21) और झांसी परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 22 एवं 23) में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एवं प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।	
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन : 1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2021 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III (ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर सूचित करते है कि : अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।	
ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों तथा परिक्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों जहाँ हमारे द्वारा यात्रा व सम्प्रेक्षा नहीं की गई से मेल खाते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सपठित निर्गत संगत नियम का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।	कोई टिप्पणी नहीं।
व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–	कोई टिप्पणी नहीं।
i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी।	कोई टिप्पणी नहीं।
iii. कोई राशि नहीं थी जिसे निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।	कोई टिप्पणी नहीं।
iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित में कोई फंड अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ यह करेगा :	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
• कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'')को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या निवेश करें। • अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करे।	
(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि , अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी यह करेगीः • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार दे या निवेश करे या • अंतिम लाभार्थियों से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।	कोई टिप्पणी नहीं।
(सी) निष्पादित सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नीचे दिए गए अभ्यावेदन में उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।	कोई टिप्पणी नहीं।
v. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह०—	—ह०—	—ह०—
(श्रवण बब्बर)	**(निधि कुमार नारंग)**	**(पी० गुरूप्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ० (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–I

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ऐसी जांचें जो हमनें उपयुक्त मानी है के आधार पर तथा हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
1.	कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अर्न्तगत अधिसूचित अधोलिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया हैः	इंडएएस 1 के अनुसार एक इकाई एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत करेगी जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर संपत्ति की वसूली करने की आशा करती है। इस तरह, अपेक्षित वसूली, वास्तविक वसूली/निपटान नहीं, परिचालकीय मदों को चालू या गैर–चालू में वर्गीकृत करने वाला मानदंड है।
अ.	व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–9), अन्य चालू आस्तियां (टिप्पणी–11) और अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी–20) को चालू आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, में अवशेष सम्मलित है, जिसका नकदीकरण एवं निस्तारण गत वित्तीय वर्षों से लम्बित है तथा पर्याप्त जानकारी के आभाव में वसूली/निपटान के लिए बकाया शेष राशि वर्ष की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अन्दर उन्हें गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के कारण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानक 1 के साथ असंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मौजूदा चालू आस्तियाँ/देनदारियाँ अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ अवमूल्यित है।	वास्तव में, चालू संपत्तियों में संपत्तियां (जैसे इन्वेंट्री और व्यापार प्राप्य) शामिल हैं जो सामान्य परिचालन चक्र के एक भाग के रूप में बेची जाती हैं, उपभोग की जाती हैं या वसूल की जाती हैं तब भी जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इनकी वसूली किये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी प्रकार, परिचालन मदों जैसे व्यापार देय, कर्मचारियों के लिए उपार्जन आदि को वर्तमान दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही उनका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीने से अधिक समय के बाद किया जाना हो। इसके अलावा, एमसीए अधिसूचना संख्या 207 (ई) दिनांकित 24.03.2021 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से बकाया चालू व्यापार प्राप्य/देय, का प्रकटन आवश्यक है जो स्थापित करता है कि चालू व्यापार प्राप्य/देय में एक वर्ष से अधिक समय से वसूली/निपटान के लिए बकाया वस्तुएं हो सकती हैं। इसलिए, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंडएएस 1 के अनुरूप है।
ब.	टिप्पणी–8 भण्डार–(अ) सामग्री का भण्डार–पूंजीगत कार्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंश के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति,	इंडएएस 16 स्पेयर पार्ट्स के अनुसार, स्टैंड–बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण को तब मान्यता दी जाती है जब वे पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं। अन्यथा, ऐसी वस्तुओं को इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्य, मापित और उद्घाटित नहीं किया गया है।	सामग्रियों का स्टॉक–कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 8 (ए) में पूंजीगत कार्य, खरीदी गई और प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्यों के लिए जारी की जाने वाली सामग्री हैं, जिन्हें इंडएएस 16 के अनुसार इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
स. टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या–2 (VI)(एफ) द्वारा आवरित बीमा और अन्य दावों की मान्यता, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज, कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज और आय के अन्य मद को नकद आधार पर शामिल किया गया है। यह वित्तीय विवरणों भारतीय लेखांकन मानक 1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।	ऐसा कोई इंड–एएस नहीं है जो विशेष रूप से इन लेनदेनों पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन विशिष्ट लेनदेनों के लिए लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जो भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 10 के अनुरूप है।
द. कर्मचारी लाभ का लेखांकन : जी॰पी॰एफ॰ योजना से आवरित कर्मचारियों के उपादान दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया गया है (संदर्भ टिप्पणी 24 का नितल टिप्पणी 1)। यह भारतीय लेखांकन मानक–19 के साथ असंगत है।	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीपीएफ योजना के तहत आवरित कर्मचारियों के संबंध में पेंशन और उपादान की देयता उ॰प्र॰ सरकार द्वारा वहन की गई है और अंतिम दायित्व कोषागार, उ॰प्र॰ सरकार द्वारा निर्वहन किया जाना है, इसलिए उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ की देयता का उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा सम्पादित बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर अंशदान पर निश्चित प्रतिशत तक सीमित किया गया है और तदनुसार, वेतन और मंहगाई भत्ता का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है।
य. कंपनी द्वारा सम्पत्ति के क्षरण का आकलन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक–36 की परिसम्पत्ति के क्षरण के साथ असंगत है।	जब भी किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम होती है, तो इंडएएस 36 को क्षरण हानि की पहचान की आवश्यकता होती है। पारेषण व्यवसाय में, राजस्व टैरिफ आधारित होने के कारण, परिसंपत्तियों के उपयोग का मूल्य इसकी वहन राशि से अधिक होता है। कोई भी संपत्ति जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे तुरंत उपयोग में न आने वाली संपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अपूरणीय होने पर उसका निपटान कर दिया जाता है। अतः क्षरण हानि उत्पन्न नहीं होगी।
र. वित्तीय परिसंपत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–9), कर्मचारियों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰), प्राप्य (टिप्पणी–11) को	विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार, सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है (टिप्पणी –1 का अनुच्छेद 2(XII) ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' देखें) और भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय साधनों में आवश्यक उचित प्रकटीकरण इसके लिए नहीं किया गया है। (टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 3 ''लेखों पर टिप्पणियाँ'' देखें)	जाना आवश्यक है जिस पर लेनदेन हुआ था और प्रतिस्थापन लागत, वर्तमान लागत आदि पर उन्हें बताने के लिए समायोजन की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, उपरोक्त में से किसी को भी उचित मूल्य पर मापना, विद्युत अधिनियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 1 (4) (डी) के साथ भी असंगत होगा।
2. स्वामित्व/भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिकार और भवनों के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए स्वामित्व के साथ–साथ अवशेषों की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।	विभिन्न आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच के लिए यूपी राज्य भर में फैले खण्डों/उप–खण्डों में भूमि का स्वामित्व/शीर्षक, भूमि अधिकार और भवन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। वे बहुत पुराने और भारी होने के कारण सम्प्रेक्षकों को नमूना आधार पर उपलब्ध कराए गए थे।
3. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को हस्तांतरित की है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है। (टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 16)	इस मामले को यूपी सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है और उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के विरूद्ध प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के अंतिम निर्णय के आधार पर आवश्यक लेखांकन किया जाएगा, जो अभी भी प्रतीक्षित है। भूमि हस्तानान्तरण के विरुद्ध राशि की वसूली के प्रयास नियमित रूप से किये जा रहे हैं। इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों के अधीन वार्षिक लेखों में किया गया है।
4. कंपनी ने ताजमहल, ईस्ट गेट रोड पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।(टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 16)	यूपी सरकार के आदेश संख्या 117/2015/1892/41–2015–92 वाईओ/15 दिनांक 11.08.2015 के अनुपालन में भूमि निःशुल्क प्रदान की गई। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में लेखों में कोई समायोजन नहीं किया गया था। इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों के अधीन वार्षिक लेखों में किया गया है।
5. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर की अपनी भूमि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति,	म॰वि॰वि॰नि॰लि॰ से अब तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों के अधीन वार्षिक लेखों में किया गया है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है। (टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 16)	
6. ₹ 25287.59 लाख़ की राशि के अंतर इकाई अंतरण, (टिप्पणी–11 और 33 के अनुच्छेद 18 देखें) समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।	समाधान प्रगति पर है। तथापि यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सम्पूर्ण कंपनी के आईयूटी लेनदेन के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी नई प्रणाली वित्तीय वर्ष 2017–18 से शुरू की गई है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई असमाधानित लेनदेन नहीं हैं।
7. आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (टिप्पणी–3), व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–9), कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰) और कर्मचारियों और अन्य से प्राप्तियां (टिप्पणी–11), पूंजी के लिए देयता / ओ॰ एंड एम॰ आपूर्तिकर्ता / कार्य, आपूर्तिकर्ताओं से जमाए, डिस्कॉम्स, विद्युतीकरण कार्य, पीएसडीएफ, अंतर कम्पनी अवशेष (टिप्पणी–20) पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।	अवशेष पुष्टि की प्राप्ति, समाधान व समीक्षा की प्रक्रिया प्रगति पर है।
8. यह देखा गया कि पक्षवार व खातावार सहायक बहीखातों का रखरखाव और खातों की प्राथमिक पुस्तकों यानी रोकड़ बही और अनुभागीय जर्नल के साथ इसका मिलान उचित और प्रभावी नहीं है।	अभिलेखों का रख रखाव इकाई स्तर पर किया जाता है।
9. टिप्पणी–29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के अनुच्छेद 6 में प्रकट सम्भाव्य दायित्व के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त अभिलेखीय लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान नहीं किए गए।	नोट 29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के पैरा 6 में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित आकस्मिक देनदारियों के आधार पर किया गया है और इसे केंद्रीय सम्प्रेक्षको के सामने समीक्षा के लिए रखा गया।
10. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी–1 के अनुच्छेद 2(II)(सी) में जमा कार्य के लिए प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को आयगत आय (गैर टैरिफ आय) के रूप में माना गया है और दूसरी ओर इसे पूंजीगत संचय में जमा करके पूंजी प्राप्ति के रूप में भी माना गया है। सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, जब प्राप्ति और संबंधित खर्चों को आयगत प्रकृति के रूप में माना गया है, तो इसे फिर से पूंजी प्रकृति के रूप	कंपनी और यूपीईआरसी नियमों की लेखा नीति के अनुसार जमा कार्यों के विरुद्ध प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को केवल आयगत आय (गैर टैरिफ आय) माना गया है। इसलिए, पूंजी संचय या पूंजीगत व्यय का कोई अधिमूल्यन नहीं है।

<table>
<tr><th>सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>में नहीं माना जा सकता। इसलिए, पूंजीगत संचय और पूंजीगत व्यय दोनों को ₹ 3665.74 लाख़ से अधिमूल्यित है।</td><td></td></tr>
<tr><td>11. ₹ 6,95,180.87 लाख के सीडब्ल्यूआईपी के विरुद्ध (टिप्पणी सं॰ 3), एजिंग शेड्यूल नहीं दिया गया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं (टिप्पणी 33(14)(सी))।</td><td>उम्र के अंतिमीकरण के लिये सीडब्लूआईपी की समीक्षा प्रगति पर है। आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर दिये गये हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="2">12. परिक्षेत्रों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उन्हें छोड़कर जिन्हें अंकेक्षण में कहीं और उचित रूप से निपटाया गया है :</td></tr>
<tr><td>i) प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसी : 11 और 12)
अ. भण्डार सामग्री (एजी–22) में ''भण्डार सामग्री आधिक्य/कमी लंबित जांच'' शामिल है जो समाधान और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के लिए बहुत समय से पुराने लंबित पड़े हैं। इकाईवार भण्डार सामग्री आधिक्य का विवरण निम्नवत है:–
<table>
<tr><th>क्र॰ सं॰</th><th>इकाई का नाम</th><th>नवीन एलसी</th><th>शीर्ष खाता</th><th>धनराशि (₹ में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ई.765 केवी उपकेन्द्र, अनपारा</td><td>113</td><td>22.810</td><td>64,78,120.17 करोड़</td></tr>
</table></td><td>अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 765 केवी उपकेन्द्र अनपरा, को पूर्ण विवरण/इन शीर्षों के अन्तर्गत सामग्री के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। समाधान प्रगति पर है। समाधान पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक समायोजन कर लिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>ब) ₹ 61.48 करोड़ दस वर्ष पुराने पूंजीगत कार्य के संबंध में ऐसे कार्य जहां ठेकेदारों के साथ विवादों के कारण काम बंद करना पड़ा है और अभी तक फिर से शुरू नहीं किया गया है। परियोजना की लागत ऐसी बंद परियोजनाओं से जुड़े जोखिम और दायित्व के अधीन है।</td><td>कार्य की डेबिटेबिल आधार पर पुनः निविदा की गई है। अतः जोखिम व दायित्व, यदि कोई हो, भी संरक्षित हो गया है।</td></tr>
<tr><td>ii) गोरखपुर परिक्षेत्र (एलसी 13 और 14)
सामग्री स्टॉक (एजी–22), में ''सामग्री स्टॉक अधिक/कम जांच के लिए लंबित'' पुराना शामिल है जो समाधान और उससे उत्पन्न होने वाले आवश्यक समायोजन, के अधीन है।</td><td>पिछले वर्षों से सम्बन्धित प्रविष्टियों के समायोजन के लिये आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।</td></tr>
</table>

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
iii) लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 15, 16 और 17) परिक्षेत्र में ₹ 355.32 करोड़ का भण्डार सामग्री है, हालांकि संबंधित इकाइयों द्वारा केवल मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन मूल्यांकन के साथ भण्डार अभिलेख सम्प्रेक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थे और वित्तीय वर्ष के अंत के भण्डार के मूल्यांकन के मदवार विवरण उपलब्ध नहीं थे।	इन्वेन्टरी की मात्रा व मूल्य के साथ व्यापक अभिलेखों की तैयारी प्रगति पर है।
iv) मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 18 और 19) अ) परिक्षेत्र ने ट्रांसमिशन इकाइयों के तहत ₹ 62.71 करोड़ और सिविल इकाइयों के तहत ₹ 0.05 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिया था और ट्रांसमिशन और सिविल परिक्षेत्र के सामग्री भण्डार खाते में, संपत्ति के त्याग के महीने तक मूल्यह्रास चार्ज करने के बाद, क्रमशः ₹ 40.72 करोड़ और ₹ 0.005 करोड़ दिखाया है। हमारे अभिमत में ऐसी विधि परिसंपत्तियों के क्षरण इंडएएस–36 और इन्वेंट्री के इंडएएस–2 का उल्लंघन है। परित्यक्त आस्तियों का मूल्य और ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास परिक्षेत्र में संपूर्ण अभिलेखों के अभाव में अचल संपत्ति अनुसूची से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।	विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार त्यागी गई, रद्द की गई संपत्ति आदि की लागत के साथ–साथ उस पर मूल्यह्रास को अचल संपत्ति आधार से वापस लेना होगा और एक अलग खाते में स्थानांतरित करना होगा। लेखांकन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित केंद्रीय विद्युत अधिनियम और उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।
ब) परिक्षंत्र ने पारेषण खण्ड और जानपदखण्ड में पूंजीगत डब्लूआईपी में क्रमशः ₹ 518.03 करोड़ व ₹ 113.77 करोड़ की धनराशि दिखाई थी। और ऐसे सीडब्ल्यूआईपी में से उस परियोजना के पूरा होने में देरी का कोई कारण ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया है जो ₹ 118.24 करोड़ और ₹ 45.23 करोड़ से 3 साल पहले शुरू की गई थी। इसलिए उपयुक्त प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है	उम्र के अंतिमीकरण के लिये सीडब्लूआईपी की समीक्षा प्रगति पर है। समीक्षा व उम्र पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक प्रावधान, यदि कोई हो, कर लिया जायेगा। आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर दिये गये हैं।
स) सीडब्ल्यूआईपी मूवमेंट यानी, वर्ष की शुरुआत, वर्ष के दौरान किए गए कार्य, पूंजीकरण और समापन का कार्यवार अवशेष विवरण सत्यापन के	सीडब्लूआईपी की समीक्षा प्रगति पर है। समीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध होंगे। आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर दिये गये हैं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
लिए उपलब्ध नहीं था और केवल 31.03.2022 तक सीडब्ल्यूआईपी का समापन शेष और एजिंग उपलब्ध था। परिक्षेत्र में सीडब्ल्यूआईपी में पारेषण खण्ड और जानपद खण्ड में क्रमशः ₹ 245.31 करोड़ और ₹ 47.30 करोड़ 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, सीडब्ल्यूआईपी की वर्तमान स्थिति के अभाव में हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	
द) परिक्षेत्र पारेषण खण्ड में ₹ 348.35 करोड और जानपद खण्ड में ₹ 0.001 करोड़ की इन्वेंट्री दिखा रहा है। सत्यापन के लिए कोई इन्वेंटरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और परिक्षेत्र द्वारा इन्वेंटरी का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अभाव में हम इन्वेंट्री के मूल्यांकन, धीमी/गैर–चलती इन्वेंट्री की पहचान और इन्वेंट्री के अस्तित्व को सत्यापित करने में असमर्थ हैं इसलिए हम इन्वेंट्री की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। परिक्षेत्र इस संबंध में इंडएएस–2 का पालन नहीं कर रहा है।	इन्वेन्टरी की मात्रा व मूल्य के साथ व्यापक अभिलेखों की तैयारी प्रगति पर है। इन्वेन्टरी का भौतिक सत्यापन भी कर लिया गया है।
य) परिक्षेत्र को विभिन्न सरकार/गैर सरकारी संगठन से विभिन्न कार्यों को करने के लिए ट्रांसमिशन इकाइयों में ₹ 577.88 करोड़ जमा/अनुदान प्राप्त हुआ था। सरकारी अनुदान के संबंध में इंडएएस–20 का भी परिक्षेत्र द्वारा पालन नहीं किया गया है। समाधान के समय उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, इस स्तर पर पर पता लगाने योग्य नहीं है।	जमा/अनुदान से प्राप्त राजस्व को, जैसा भी मामला हो, इंडएएस 115/इंडएएस 20 के अनुसार मान्यता दी जा रही है। जमा अवशेष का समाधान एक सतत् प्रक्रिया है और प्रासंगिक कार्य पूरा होने पर इसे अंतिम रूप दिया जाता है और आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं।
र) लीज किराया/भूमि के उपयोग पर किराए के लिये ₹ 0.76 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। कंपनी ने लीज के लेखांकन के लिए इंडएएस–116 का पालन नहीं किया था।	पट्टे का लेखांकन ईएसएएआर नियमों व इंड एएस 116 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
ल) कंपनी की लेखांकन नीति में परिभाषित व्यक्तिगत संपत्ति के अनुसार मूल्यह्रास चार्ज करने के बजाय	परिवर्धन/निपटान के वर्ष में आनुपातिक आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। अन्य सभी मामलों

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
संपत्ति की श्रेणी के आधार पर संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, जो बचाव मूल्य को 10% बनाए रखने और कुल लागत का अधिकतम 90% मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति निर्धारित करता है ।	में, यह मानते हुए कि मूल्यह्रास पूर्व–निर्धारित दरों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाना है, संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति की श्रेणी पर मूल्यह्रास लगाना और फिर उन्हें श्रेणी के अनुसार सारांशित करने में कोई अंतर नहीं है।
13. पूरी जानकारी के अभाव में, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 12 तक और इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह०–	–ह०–	–ह०–
(श्रवण बब्बर)	**(निधि कुमार नारंग)**	**(पी० गुरूप्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ०	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक–II

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
i) अ)	क) कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है। ख) कम्पनी ने अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	दिनांक 01.04.2007 से अब तक प्रारम्भिक अवशेष (लेखों के अनुसार) के साथ वर्षवार समेकित परिसम्पत्ति पंजिका सभी सम्बन्धित परिक्षेत्रों द्वारा तैयार किये जा चुके है। हालांकि, पूर्ण विवरण दर्शाते हुए संयंत्र पंजिका का रख रखाव उपसंस्थान स्तर पर किया जा रहा है। आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं तथा व्यापक स्थाई परिसंपत्ति आंकड़ों का समेकन प्रगति में है। ।
ब)	कम्पनी द्वारा आगरा व झांसी परिक्षेत्र के सिवाय सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही, सिवाय आगरा व झांसी परिक्षेत्र के जहां सम्प्रेक्षको द्वारा निम्नवत प्रतिवेदित किया गया है :– **आगरा परिक्षेत्रः** ''जैसा कि हमें बताया गया, पारेषण परिक्षेत्र (दक्षिण पश्चिम) की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल पर कराया गया है।'' **झांसी परिक्षेत्रः** ''जैसा कि हमें बताया गया, पारेषण परिक्षेत्र (दक्षिण मध्य) की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल पर कराया गया है।''	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश पूर्व में ही निर्गत कर दिये गये है।
स)	आगरा व झांसी परिक्षेत्र को छोड़कर, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, हम इस मामले पर टिप्पणी	सम्प्रेक्षकों द्वारा समीक्षा के लिये अचल सम्पत्तियों के स्वामित्व विलेख इकाइयों में उपलब्ध हैं। इन्हें नमूना आधार पर सम्प्रेक्षकों को उपलब्ध करा दिया गया था।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन		उत्तर
	करने में असमर्थ हैं कि क्या अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।	
द)	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का पुनर्मूल्यांकन कंपनी पर लागू नहीं है (टिप्पणी–1 अनुच्छेद 2.1 ई देखें)। ख) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
य)	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संशोधित) और वित्तीय वर्ष के अंत में उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।(टिप्पणी–33(एफ) देखें)।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii) (अ)	i) भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ii) लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर व प्रयागराज परिक्षेत्रों के सम्प्रेक्षको ने निम्नवत सूचित किया है:– **मेरठ परिक्षेत्र** इन्वेंट्री खंड के भौतिक सत्यापन के अभाव में 10% या उससे अधिक की किसी भी विसंगति के उपचार के सम्बन्ध में पता लगाना संभव नहीं है। **लखनऊ** हम इन्वेंट्री के मूल्यांकन भाग पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह मात्रा के भौतिक सत्यापन के साथ प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। **गोरखपुर एवं प्रयागराज परिक्षेत्र** ''हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भण्डार	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं तथा यह सूचित किया गया है कि भौतिक सत्यापन वर्ष के अन्त में किया गया है। अतः, यह सम्प्रेक्षकों की समीक्षा हेतु उपलब्ध है। इन्वेन्टरी की मात्रा व मूल्य के साथ व्यापक अभिलेखों की तैयारी भी प्रगति पर है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन		उत्तर
	सामग्री का भौतिक सत्यापन प्रबंधन (इकाइयों के एसडीओ) द्वारा किया गया है। भौतिक रूप से सत्यापित अवशेष राशि की तुलना बुक बैलेंस के साथ की जानी चाहिए, विसंगतियों की पहचान करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और उनका समाधान किया जाना चाहिए। प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने वाले भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को इकाइयों के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार मजबूत करने की आवश्यकता है। चूंकि इकाईया/परिक्षेत्र भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख रखाव नहीं कर रही, हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या भण्डार सामग्री के भौतिक और बुक बैलेंस के बीच विसंगतियों को लेखा पुस्तकों के भीतर ठीक से निपटाया गया है'' इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है।	
	ब) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी समय के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
iii)	वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझीदारी या अन्य पक्षों में निवेश नहीं किया है, कोई प्रत्याभूति या सुरक्षा नहीं प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई संरक्षित या असंरक्षित ऋण, कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। अनुच्छेद 3(iii) का ''आदेश'' लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन		उत्तर
iv)	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानानुसार कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति नहीं प्रदान की है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iv) का ''आदेश'' लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
v)	हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी जमा (मानी गई जमा सहित) को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(v) का ''आदेश'' लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
vi)	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा बनाये गए है। हालांकि हमने इसका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
vii)	अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर अविवादित वैधानिक बकाया वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया उपयुक्त प्राधिकारी को जमा करने में नियमित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देयताएं, उपयुक्त प्राधिकारियो को निम्नलिखित बकाये को छोडकर बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये हैः	इन मामलों में मुकदमे प्रत्येक मामले के सामने दर्शाए गए फोरम के समक्ष लंबित हैं। इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन					उत्तर
अधिनियम का नाम	बकाये का नाम	धनराशि (₹)	अवधि जिससे राशि सम्बन्धित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	32,49,201.00	2014–15 से 2017–18	इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज	
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	व्यय	29,87,847.79	1986–87	इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज	
वैट	यूपी वैट	2,22,91,317.00	2011–12 से 2012–13	उप आयुक्त विभाग, वाराणसी	
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,73,045.00	2011–12	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,42,678.00	2012–13	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	47,75,873.00	2014–15	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	46,91,721.00	2015–16	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
viii)	हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने साल के दौरान किसी भी लेनदेन को सरेंडर या प्रकटित नहीं किया है, जो पहले आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में लेखा पुस्तकों में आय के रूप में दर्ज नहीं था। तदनुसार, ''आदेश'' के				कोई टिप्पणी नहीं।

	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	परिच्छेद 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।	
ix)	अ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किसी ऋणदाता के ऋणों या अन्य उधारी की अदायगी अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
	स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
	द) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधि का उपयोग लंबी अवधि उद्देश्य.के लिए नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	य) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों सहयोगी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	र) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतिया गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं उठाया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
x)	अ) उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी गयी।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन		उत्तर
	तदनुसार, अनुच्छेद 3(xअ) का ''आदेश'' लागू नहीं है।	
	ब) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो परिवर्तनीय ऋणपत्र पूर्णतः या अंशतः या वैकल्पिक परिवर्तनीय में परिवर्तित किये गये हैं। तदनुसार, अनुच्छेद 3(xब) का ''आदेश'' लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xi)	अ) एकल वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या प्रतिवेदित नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है	कोई टिप्पणी नहीं।
	स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्हिसिल–ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं की गई हैं;	कोई टिप्पणी नहीं।
xii)	कंपनी निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश का वाक्य 3(xii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xiii)	हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहाँ भी लागू है के अनुपालन में हैं, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन		उत्तर
xiv)	अ) कंपनी के पास उस के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब) लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
xv)	प्रबन्धन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xvi)	अ) हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई॰ए॰ के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना किसी भी गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन कंपनी ने नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	द) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चूंकि कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए पैरा 3(xvi डी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xvii)	कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
xviii)	वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक के इस्तीफे का कोई मामला सामने नहीं आया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xix)	एकल वित्तीय विवरण के नोट 33 (i) में बताए गए वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, बोर्ड के निदेशकों और प्रबंधन योजनाओं के अनुसार लेखा परीक्षक के ज्ञान के आधार पर, हमारी राय में ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
xx)	अ) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का दूसरा परंतुक, के अनुपालन में कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर हस्तांतरित नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब) किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत व्यय न की गई कोई धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
xxi)	चूँकि कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कारो 2020 के अनुच्छेद 3 का परिच्छेद (xxi) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह०—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ०
(वित्त एवं लेखा)

—ह०—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)

—ह०—
(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	आई॰टी॰ प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है। सेक्शनल जर्नल्स अन्तर्गत एस॰जे॰1, एस॰जे॰2, एस॰जे॰3 और एस॰जे॰4 तथा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है, लेकिन बहीखातों/उप बहीखातों का रखरखाव नहीं किया जाता है।	टैली प्रचालन में है और ईआरपी कार्यान्वयन के अधीन है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय आरोपण के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना एवं ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं।

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वि॰व॰ 2021-22 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.33% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ ने वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.33% की है जो कि तुलना में कम तथा राज्य आयोग द्वारा वि॰व॰ 2021-22 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार दिखाते हुए कुल व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–IV

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियय 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के वाक्य (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी सम्प्रेक्षा के साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो का सम्प्रेक्षण किया है।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व कम्पनी का प्रबन्धन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई०सी०ए.आई०) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश लेख टिप्पणी में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर (दिशानिर्देश लेख) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हुए माने गये है तथा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू सीमा तक दोनों ही आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा दोनो ही भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत किये गये हैं। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।	
हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्यसाधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय प्रपत्रों की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।	
वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं प्रबन्धकीय कमियों, नियंत्रण के लंघन तथा आपसी साँठ–गाँठ की सम्भावनाओं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा सम्भव है कि त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण सारभूत मिथ्याकथन विद्यमान हों जिनका पता न लग पाया हो। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आंकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियो या कार्यप्रणालियों के अनुपालन की कोटि/श्रेणी विकृत कर सकता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
अभिमत हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2022 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
अ) प्रयागराज और गोरखपुर परिक्षेत्र (i) परिक्षेत्र की सभी इकाइयों में बैंकिंग और नकद लेनदेन पर दोहरा नियंत्रण आवश्यक है, (ii) किसी विशेष तिथि पर रोकड़ शेष का पता लगाने के लिए रोकड़ बही के दैनिक नकद अवशेष की संस्तुति की जाती है।	परिभाषित प्राधिकरण मैट्रिक्स के साथ केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली लागू की गई है और ईआरपी का कार्यान्वयन प्रगति पर है। ईआरपी लागू होने के बाद इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
ब) प्रयागराज परिक्षेत्र (i) अग्रिमों, देनदारियों, जमाओं, अंतर इकाई लेनदेन/अवशेष राशि से संबंधित उच्च मूल्य वाले पुराने शेषों से संबंधित आवधिक समीक्षा, लेखांकन और समायोजन। (ii) उच्च मूल्य के अनुबंध कार्यों की उचित स्तर पर समय–समय पर समीक्षा, पूर्ण लेकिन लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना/बंद करना और अग्रिमों आदि के समायोजन के साथ संबंधित सामग्रियों के लिए लंबित लेखांकन। (iii) कच्चे माल और तैयार माल का भौतिक सत्यापन उसी इकाई/विभाग के व्यक्तियों के बजाय एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।	सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के शेष, कार्यों, अनुबंधों और इन्वेंटरी की समीक्षा जारी है।
स) लखनऊ परिक्षेत्र (i) परिक्षेत्र में भण्डार सामग्री के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। भण्डार का	सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के शेष, कार्यों, अनुबंधों और इन्वेंटरी की समीक्षा जारी है। आंतरिक लेखापरीक्षा

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
केवल मात्रात्मक भौतिक सत्यापन किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में वस्तुवार भण्डार सामग्री का मूल्यांकन तैयार नहीं किया जाता है। (ii) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के साथ सुलह और/या शेष राशि की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं है और कुछ मामलों में लेखें प्रतिकूल शेष राशि को दर्शाते हैं। यह संभावित रूप से एमटीबी में आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के अवशेषों के मिथ्याकथन का परिणाम हो सकता है। (iii) इकाई/क्षेत्र स्तर पर अंतर–इकाई खातों के समाधान की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले प्रारंभिक बकाया राशि का बड़ा भाग लम्बित है। (iv) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं पर कार्यवाही में सुधार की आवश्यकता है।	रिपोर्ट समय पर प्राप्त हुईं और सभी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं पर समय पर कार्रवाई करने और निगरानी करने के लिए एक तंत्र है। कृत कार्रवाई की रिपोर्ट कंपनी की ऑडिट समिति के समक्ष भी रखी जाती है।

–ह०–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ०
(वित्त एवं लेखा)

–ह०–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)

–ह०–
(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबन्धन के उत्तर

सी॰ए॰जी॰ की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के माध्यम से किया गया होना इंगित है। मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :	कोई टिप्पणी नहीं।

सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
अ. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ **गैर चालू परिसम्पत्तियां** **सम्पत्ति संयत्र एवं उपकरण (नोट–2) :** **₹ 23,772.40 करोड़**	
1. उपरोक्त में किदवई नगर में 220 केवी सबस्टेशन और पनकी–सी थर्मल पावर प्लांट में बीएचईएल यार्ड में तीन मुख्य गैन्ट्री में चल रहे कार्य की लागत ₹ 33.38 करोड़ शामिल है, जिसे उक्त कार्यों/परियोजनाओं को चालू किए बिना गलत तरीके से पूंजीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति संयंत्र और उपकरण का अधिक विवरण और पूंजीगत प्रगतिशील कार्य का प्रत्येक ₹ 33.38 करोड़ कम बताया गया।	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखों में सुधार किया गया है।
ब. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ	
2. कंपनी ने 400 केवी सबस्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन में द्विपक्षीय ट्रांसमिशन शुल्क के संबंध में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को ₹ 48.79 करोड़ की धनराशि का भुगतान (जून 2022) किया, वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में क्रमशः बागपत, शाहजहाँपुर और सोहावल का लेखा–जोखा रखा गया। कंपनी ने विरोध के अन्तर्गत पीजीसीआईएल की राशि का भुगतान किया और विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सीईआरसी के उक्त आदेशों के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर निर्णय लंबित था। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के खातों के नोट्स में इस महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला माननीय एपीटीईएल के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लंबित है, विरोध के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि का वित्तीय वर्ष 2022–23 में उचित लेखाबद्ध किया गया था। इसका खुलासा हस्तगत लेखों की टिप्पणी में भी सुनिश्चित किया जाएगा।

–ह०–	–ह०–	–ह०–
श्रवण बब्बर	**निधि कुमार नारंग**	**पी० गुरुप्रसाद**
सीएफओ एवं उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक खातों पर अवलोकन की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रबंधन पत्र।

अवलोकन	अनुपालन
तुलन पत्र **संपत्ति** **गैर तात्कालिक परिसंपत्ति** **संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण ₹ 23,772.40 करोड़** **(टिप्पणी–2)** 1) उपरोक्त में बीओडी निर्णय (अगस्त 2019) के उल्लंघन में पर्यवेक्षण शुल्क का ₹ 6.60 करोड़ अतिरिक्त पूंजीकरण शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' और 'पूंजी रिजर्व' में से प्रत्येक का विवरण ₹ 6.60 करोड़ से अधिक हो गया।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षण शुल्क की लागू दरों को संबंधित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और अभिलेख की समीक्षा से स्पष्ट रूप से लागू किया गया है और इसे सम्प्रेक्षा द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पर्यवेक्षण शुल्क की उपयुक्त दरें भविष्य में भी लागू की जाये।
लाभ एवं हानि का विवरण **व्यय** **कर्मचारी लाभ व्यय ₹ 521.60 करोड़ (टिप्पणी–24)** 2) उपयोग के लिए उपलब्ध संपत्ति अर्थात भूमि, फर्नीचर कंप्यूटर आदि से संबंधित पूंजीगत व्यय पर कर्मचारी लागत न वसूलने के संबंध में कंपनी की नीति का उल्लंघन करते हुए, 132 केवी सबस्टेशन कैराना और 132 केवी सबस्टेशन बिलोचपुरा की भूमि लागत के संबंध में ₹ 0.35 करोड़ की कर्मचारी लागत का पूंजीकरण किया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय को कम बताया गया और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ₹ 0.35 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष का घाटा भी उसी सीमा तक समझा गया।	वित्तीय वर्ष 2022–23 के खातों में सुधार किया गया है।

–ह०–	–ह०–	–ह०–
श्रवण बब्बर	**निधि कुमार नारंग**	**पी० गुरुप्रसाद**
सीएफओ एवं उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

	टिप्पणी	प्रबन्धन का उत्तर
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2021 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। वार्षिक साधारण सभा 30.09.2021 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में कम्पनी विफल रही है।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक साधारण सभा नियत तिथि से पूर्व बुलाई है, किन्तु सी॰ एण्ड ए॰जी॰ द्वारा लेखों की सम्प्रेक्षा लम्बित होने के कारण, वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखे 20.09.2021 को आहूत वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अंगीकृत नहीं किये जा सके। अंततः, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी॰ एण्ड ए॰जी॰) से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों को 11.08.2022 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किये गये थे और इसे पहले ही कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास दायर किया जा चुका है। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

–ह॰–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक–वित्त
डीआईएन सं॰–03473420

–ह॰–
(गुरूप्रसाद पोराला)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं॰–07979258

दिनांक : 25.08.2023
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन निर्मित कम्पनीज़ (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अधीन प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना

अ. ऊर्जा का संरक्षण–

(i) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव अथवा उठाए गए कदम :–

- सभी उपकेन्द्रो/कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाइट का उपयोग।
- ऊर्जा दक्ष सहायक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने का उपयोग।
- कैपेसिटर बैंक का अनुकूलतम उपयोग और प्रतिक्रियाशील नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए निकट निगरानी।

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम :–

- वर्तमान में 4781 मेगावाट की कुल क्षमता वाले विभिन्न सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही यूपीपीटीसीएल और यूपीपीसीएल के ग्रिड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 31510 मेगावाट है, जिसमें से सौर ऊर्जा उत्पादन सम्पूर्ण स्थापित क्षमता का केवल 15.17% (4781 मेगावाट) है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजीगत विनियोग – शून्य

ब. प्रौद्योगिकी आमेलन

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन की ओर किये गये प्रयास :–

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ।

उपकेन्द्रों हेतु :

विद्यमान पारेषण उपकेन्द्र सर्वाधिक ''वायु प्रतिरोधित'' (ए॰आई॰एस॰) प्रकार के हैं। बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण स्थान उपलब्धता में बाधा से उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता मे बाधा आई है। अग्रेतर ए.आई.एस. प्रकार के उपकेन्द्रों का ट्रिपिंग/व्यवधान हेतु प्रवृत्त हैं। इसलिए, उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ ने इस समस्या का संभावित समाधान चयन द्वारा सुनिश्चित किया है–

- ई॰एच॰वी॰ वर्ग उपकेन्द्रो के लिए उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली।
- 132 केवी से 400 केवी उपकेन्द्रों के लिए गैस इंसुलेटेड उपकेन्द्र (जी॰आई॰एस॰.)।
- 132 केवी और 220 केवी उपकेन्द्रों के लिए हाइब्रिड स्विचगियर तकनीक अंगीकृत की गई।

इन उपकेन्द्रों के परिचालन में काफी स्थायित्व है तथा ट्रिपिंग बाधाओं की सम्भावनाएं कम रहती है।

पारेषण लाइन हेतु:

स्थायित्व बाधाओं के कारण पारेषण लाइनों की संवाहक ऐम्पेसिटी की अपनी सीमाएं हैं। साथ ही, ओवरहेड पारेषण लाइनों की स्थापना भी निश्चित रूप से ''राइट–आफ–वे'' प्रकरणों को आमन्त्रित करती है। इन प्रकरण के तकनीक के प्रयोग द्वारा समाधान हेतु उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

- उच्च एम्पेसिटी एचटीएलएस (उच्च तापमान कम शिथिलता) संवाहकों को विद्यमान कम एम्पेसिटी संवाहकों से बदलना।
- ईएचवी लाइनों के लिए मोनोपोल डिजाइन।
- कुशल सुरक्षा संकेतन और संचार के लिए आप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्लू)

एबीटी मीटरिंग के लिए :

विद्युत लेनदेन के त्वरित लेखांकन और निपटान के लिए ''समस्त'' दिशानिर्देशों के तहत और एएमआर सिस्टम और आवश्यक संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए नियामकों के फोरम का अनुपालन करने के लिए टीडी इंटरफेस मीटर/ओपेन एक्सेस स्थान से डेटा संग्रह को स्वचालित करने और उसी डेटा बेस को स्वचालित तरीके से संग्रहित करने के लिए टीडी इंटरफेस बिंदुओं पर 4007 एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली :

यूपीपीसीएल ने उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं से 500 मेगावाट/1000 मेगावाट विद्युत क्रय करने की योजना बनाई है। तदनुसार, यूपीपीटीसीएल ने बीईएसएस की स्थापना के उद्देश्य से भूमि उपलब्धता और लोड आवश्यकता के आधार पर यूपीपीपीसीएल द्वारा पहचाने गए चयनित 132/33 केवी सबस्टेशनों की व्यवहार्यता की है। इसके उपरान्त, यूपीपीसीएल ने 5x10 मेगावाट/200 मेगावाट की परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक आरएफएस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम" और नीचे उल्लिखित पांच 132/33 केवी सबस्टेशनों पर बीईएसएस तैनात करने का निर्णय लिया है:

- हसायन (हाथरस)
- बोनेर (अलीगढ़)
- जलेसर (एटा)
- वृन्दावन (मथुरा)
- डासना (गाजियाबाद)

(iii) आयतित तकनीक के सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के सापेक्ष विगत तीन वर्षो में आयतित)–

(अ) आयातित तकनीक का विवरण;

(ब) आयात का वर्ष;

(स) क्या तकनीक को पूर्णरूपेण आमेलित कर लिया गया है;

(द) यदि पूर्णरूपेण आमेलित नही किया जा सका है, तो कारणों सहित वह क्षेत्र जहाँ आमेलन नही हो सका है; एवं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय – शून्य

(स) <u>तकनीकी आमेलन:</u>

(i) विदेशी विनिमय मे उपार्जन : शून्य

(ii) विदेशी विनिमय बहिर्गमन : ₹ 110.12 लाख

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह०–	–ह०–
(निधि कुमार नारंग)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं०–03473420	डीआईएन नं०–07979258

दिनांक : 25.08.2023
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–V

सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कम्पनी की सी॰एस॰आर॰ नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

उ॰प्र॰ की निगमित सामाजिक दायित्व (सी॰एस॰आर॰) नीति का मुख्य उद्देश्य पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) है :

- सीएसआर को समाज के सतत् विकास हेतु एक प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिससे कि समाज में वृहद पैमाने पर तथा अपने परिचालन के क्षेत्रों के आस–पास के समुदायों का आर्थिक कल्याण हो तथा जीवन शैली की गुणवत्ता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो।
- कम्पनी के समस्त हितधारकों के समक्ष अच्छी साख तथा सम्मान उद्गमित कराना।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा भारत वर्ष में कार्यान्वित कराए जा रहे समस्त सी॰एस॰आर॰ परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों पर यह नीति लागू होगी।

2. सी॰एस॰आर॰ समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशको के नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सी॰एस॰आर॰ समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सी॰एस॰आर॰ समिति की बैठकों की संख्या में उपस्थिति
1	श्री पी॰ गुरूप्रसाद	प्रबन्ध निदेशक/सीएसआर समिति के अध्यक्ष	2	1
	श्री सेन्थिल पेण्डियन सी.		2	1
2	श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	निदेशक परिचालन/सदस्य	2	0
	श्री राकेश कुमार सिंह		2	1
3	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव	निदेशक वित्त/सदस्य	2	1
4	श्री अनिल जैन	निदेशक नियोजन व वाणिज्य/सदस्य	2	2
		निदेशक–कार्य एवं परियोजना/सदस्य	2	2

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है: –

अ) सीएसआर समिति की संरचना–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–सीओएमएमआईटीटीईई

ब) सीएसआर नीति–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–पीओएलआईसीवाई

स) सीएसआर परियोजनाएं–एचटीटीपीएसः / / यूपीपीटीसीएल.ओआरजी / यूपीपीटीसीएल / ईएन / पीएजीई / सीएसआर–पीआरओजेईसीटीएस

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)। – लागू नहीं

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि यदि कोई हो, (₹ में)
1	2018-19	–	–
2	2019-20	–	–
3	2020-21	–	–
	योग	**–**	**–**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ / (हानि) – ₹ 8,258.39 लाख

7. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – ₹ 165.16 लाख

(ब) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष –शून्य

(स) वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक धनराशि, यदि कोई हो – ₹ 40,000.00

(द) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7अ+7ब+7स) – ₹ 165.16 लाख

8. (अ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर धनराशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 136(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि
₹ 1,65,57,000.00	–	–	–	–	–

(ब) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गयी राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्यक्ष– (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की प्रणाली– एजेंसी के माध्यम से (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	
	योग	–	–	–		–	–	–	–	–	–	

(स) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्यक्ष– (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की प्रणाली– एजेंसी के माध्यम से (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	गणेशरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का निर्माण	अनुसूची VII(VII)	हां	यू.पी./मथुरा		89,54,000	हां	–	–
2.	पालतू पशु शवदाह गृह का निर्माण	अनुसूची VII(VII)	हां	यू.पी./गाजियाबाद		9,89,000	हां	–	–
3.	माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सरदार नगर में छात्र–छात्राए बैठक हेतु डेस्क एवं बेंच का निर्माण	अनुसूची VII(II)	हां	यू.पी./गोरखपुर		20,94,000	हां	–	–
4.	जनपद के परिषदीय विद्यालयों हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	अनुसूची VII(II)	हां	यू.पी./वाराणासी		45,20,000	हां	–	–
	योग	–	–	–		1,65,57,000	–	–	–

(द) प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गयी राशि – शून्य

(य) प्रभाव आंकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – शून्य

(र) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) – ₹ ,1,65,57,000/-

(ल) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (हानि) का दो प्रतिशत	1,65,16,780.45
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1,65,57,000.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	40,000.00
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	–
(v)	अगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	40,000.00

9. (अ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अन्तर्गत अव्ययित सीएसआर खातें में हस्तांतरित राशि (₹ में)	विवरणीय वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–

(ब) पिछले वित्तीय (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान पत्र	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल धनराशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई धनराशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी धनराशि (₹ में)	परियोजना की प्रास्थिति– पूर्ण/जारी
1.	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–	–

10. पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किये गये सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई परिसम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करें (परिसम्पत्तिवार विवरण) – लागू नहीं

(अ) पूंजीगत परिसम्पत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ब) पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की तिथि : लागू नहीं

(स) ईकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि : लागू नहीं

(द) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसम्पत्तियों (पूंजीगत परिसम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हैं – लागू नहीं।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह०–	–ह०–
(निधि कुमार नारंग)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं०–03473420	डीआईएन नं०–07979258

दिनांक : 25.08.2023
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) सम्पत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	2	**23,77,239.70**	21,55,566.49
(ब) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	**6,95,180.88**	7,94,678.73
(स) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	4	**796.41**	448.71
(द) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	5	**4,064.39**	4,063.45
(य) अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	6	**–**	2,969.76
(र) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	7	**417.20**	454.34
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) वस्तु सूची (भण्डार एवं सामग्री)	8	**1,47,224.96**	1,60,896.89
(ब) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्य	9	**6,75,295.87**	6,35,752.60
(ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	10	**86,189.53**	65,096.10
(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	**37,001.42**	35,923.61
कुल परिसम्पत्तियाँ		**40,23,410.36**	38,55,850.68
समता एवं दायित्व			
समता			
(अ) समता अंशपूँजी	12	**18,34,727.37**	17,52,314.05
(ब) अन्य समता		**1,19,092.41**	1,08,969.38
दायित्व			
1. गैर चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	13	**12,53,164.87**	11,82,214.38
(ii) पट्टे की देनदारियाँ	14	**91.18**	97.23
(ब) प्रावधान	15	**41,156.31**	28,439.77
(स) अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	16	**9,338.66**	–
2. चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	17	**1,37,143.34**	1,45,492.48
(ii) पट्टे की देनदारियाँ	18	**6.05**	6.05
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	19	**20,061.67**	23,749.64
(ब) अन्य चालू दायित्व	20	**6,06,497.44**	6,13,086.70
(स) प्रावधान	21	**2,131.06**	1,481.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
लेखों पर टिप्पणियाँ	33		
टिप्पणियाँ 1 से 33 तक लेखे के अभिन्न अंग है।			
कुल समता एवं दायित्व		**40,23,410.36**	38,55,850.68

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–

(आंचल रस्तोगी)

साझीदार

स॰सं॰ 076935

फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

–ह॰–

(श्रवण बब्बर)

उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰

(वित्त एवं लेखा)

–ह॰–

(निधि कुमार नारंग)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन–03473420

–ह॰–

(ऋषि टण्डन)

कम्पनी सचिव

–ह॰–

(पी॰ गुरूप्रसाद)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन–07979258

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 26.09.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021 समाप्त हुए वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	22	**3,41,896.84**	3,30,299.98
II	अन्य आय	23	**27,124.33**	26,801.32
III	**कुल आय (I+II)**		**3,69,021.17**	3,57,101.30
	व्यय			
	कर्मचारी लाभों पर व्यय	24	**52,160.17**	34,861.16
	वित्तीय लागत	25	**1,21,456.85**	1,19,077.60
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	26	**1,56,167.46**	1,42,936.70
	अन्य व्यय			
	(अ) प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	27	**7,940.88**	6,422.05
	(ब) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	28	**39,104.49**	45,172.85
	(स) अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	29	**2,064.88**	–
IV	**कुल व्यय**		**3,78,894.73**	3,48,470.36
V	असाधारण वस्तुए एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		**(9,873.56)**	8,630.94
VI	असाधारण वस्तुए	30	**(33,444.27)**	–
VII	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VI-VI)		**(43,317.83)**	8,630.94
VIII	कर व्यय :			
	(अ) चालू कर		**–**	–
	(ब) अस्थगित कर	31	**12,308.42**	13,685.40
IX	सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		**(55,626.25)**	(5,054.46)
X	असतत संचालनों से लाभ/(हानि)		**–**	–
XI	असतत संचालनों पर कर व्यय		**–**	–
XII	असतत संचालनों से लाभ/(हानि) (कर के पश्चात) (X–XI)		**–**	–
XIII	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII)		**(55,626.25)**	(5,054.46)
XIV	अन्य व्यापक आय			
	(अ) (i) वह वस्तु जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।	32	**(4,166.61)**	1,299.25
	(ii) उन वस्तुओं से सम्बन्धित जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।			

(ब) (i) वह वस्तु जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।

(ii) उन वस्तुओं से सम्बन्धित जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।

XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII–XIV) (व्यापक लाभ / (हानि) एवं अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	**(59,792.86)**	(3,755.21)
XVI	प्रति समता अंश आय (सतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	**(31.13)**	**(3.17)**
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	**(31.13)**	**(3.17)**
XVII	प्रति समता अंश अर्जित आय (असतत हुए संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	–	–
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	–	–
XVIII	प्रति समता अंश से आय (सतत और असतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	**(31.13)**	**(3.17)**
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	**(31.13)**	**(3.17)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1		
	लेखों पर टिप्पणियाँ 33		

टिप्पणी 1 से 33 तक लेखे का अभिन्न अंग है।

[1] टिप्पणी संख्या 33 का बिन्दु संख्या 10 देखें।

–ह॰–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

–ह॰–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह॰–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

–ह॰–
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–
(आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

समता में परिवर्तन का विवरण

अ. समता अंशपूंजी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01.04.2021 को अवशेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण समता अंशपूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष रशि पुनः निर्धारित की गई	वर्ष के दौरान समता अंशपूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को अवशेष
17,52,314.05	0.00	17,52,314.05	82,413.32	**18,34,727.37**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01.04.2020 को अवशेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण समता अंशपूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में शेष रशि पुनः निर्धारित की गई	वर्ष के दौरान समता अंशपूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 को अवशेष
15,06,006.68	0.00	15,06,006.68	2,46,307.37	17,52,314.05

ब. अन्य समता

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लम्बित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं आधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2021 को अवशेष	–	1,92,277.79	1,341.75	(88,811.09)	680.10	1,05,488.55
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	–	(814.47)	–	4,295.30	–	3,480.83
01.04.2021 को पुर्नस्थापित अवशेष	–	1,91,463.32	1,341.75	(84,515.79)	680.10	1,08,969.38
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	(55,626.25)	(4,166.61)	(59,792.86)
लाभांश	–	–	–	–	–	–
धारित आय में अंतरण	–	–	–	(55,626.25)	–	(55,626.25)
कोई अन्य परिवर्तन	24,273.36	45,461.92	180.61	–	–	69,915.89
31.03.2022 को अवशेष	24,273.36	2,36,925.24	1,522.36	(1,40,142.04)	(3,486.51)	1,19,092.41

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लम्बित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं आधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2020 को अवशेष	51,594.38	1,55,021.58	1,291.56	(80,576.97)	(619.15)	1,26,711.40
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	–	(216.25)	–	(7,108.97)	–	(7,325.22)
01.04.2020 को पुर्नस्थापित अवशेष	51,594.38	1,54,805.33	1,291.56	(87,685.94)	(619.15)	1,19,386.18
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	(1,125.12)	1,299.25	174.13
लाभांश	–	–	–	–	–	–
धारित आय में अंतरण	–	–	–	(1,125.15)	–	(1,125.15)
कोई अन्य परिवर्तन	(51,594.38)	37,472.46	50.19	–	–	(14,071.73)
31.03.2021 को अवशेष	–	1,92,277.79	1,341.75	(88,811.09)	680.10	1,05,488.55

–ह०–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ०
(वित्त एवं लेखा)

–ह०–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह०–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

–ह०–
(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह०–
(आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स०सं० 076935
फर्म पंजी०सं० 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अ)	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	**(43,317.83)**	8,630.94
	समायोजन निम्नलिखित के लिए :–		
(अ)	अवक्षयण	**1,56,167.47**	1,42,936.70
(ब)	उपभोक्ता अंशदान से मान्यता प्राप्त आगम	**(16,394.37)**	(13,281.02)
(स)	उपभोक्ता अंशदान से आय	**61,856.29**	50,434.49
(द)	ब्याज और वित्त प्रभार	**1,21,456.85**	1,19,077.60
(य)	ऋण और अग्रिमों पर खराब एवं सवंदिग्ध ऋण (ओ एण्ड एम)	**1,961.60**	–
(र)	किए गए पूंजीगत व्यय पर हानि का प्रावधान	**55.28**	–
(ल)	स्टॉक आदि में भण्डार के अप्रचलित होने पर हानि का प्रावधान	**48.00**	–
(व)	उपार्जित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान (सेवानैवृत्तिक लाभ)	**7,744.68**	(370.02)
(श)	ब्याज से आय	**(1,143.27)**	(1,602.88)
(ष)	ग्रेच्युटी का प्रावधान – सीपीएफ कर्मचारी	**1,455.31**	1,443.59
(क्ष)	अन्य पूंजीगत कोष	**180.61**	50.19
(त्र)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**33,444.27**	–
(ज्ञ)	अस्थगित आय	**(6.05)**	(6.05)
	कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**3,23,508.84**	3,07,313.54
	समायोजन निम्नलिखित के लिए		
(अ)	वस्तुसूची (भण्डार एवं कलपुर्जो) में कमी / (वृद्धि)	**13,671.93**	1,923.51
(ब)	व्यापारिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	**(41,504.87)**	(75,786.28)
(स)	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**3,017.12**	3,095.16
(द)	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	**(43,721.50)**	13,785.10
	संचालन से उत्पन्न नकद	**2,54,971.52**	2,50,331.03
	घटाया : करों का भुगतान	**4,094.93**	2,596.55
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (अ)	**2,50,876.59**	2,47,734.48
ब)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(अ)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कमी / (वृद्धि)	**(3,69,446.34)**	(3,33,204.06)
(ब)	पीपीई पर समायोजित / घटाया गया अवक्षयण कोष	**(8,273.05)**	(5,509.35)
(स)	अमूर्त सम्पत्ति में कमी / (वृद्धि)	**(468.99)**	(440.76)
(द)	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में कमी / (वृद्धि)	**99,394.57**	(16,203.00)
(य)	अन्य गैर चालू सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**37.14**	1.96
(र)	अन्य वित्तीय सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(0.94)**	–
(ल)	प्राप्त ब्याज	**1,143.27**	1,602.88
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद (ब)	**(2,77,614.34)**	(3,53,752.33)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(अ)	उधारियों से प्राप्ति (शुद्ध)	**62,601.35**	22,878.98
(ब)	अंशपूंजी से प्राप्ति	**82,413.32**	2,46,307.37
(स)	अंश आवेदन से प्राप्त धनराशि	**24,273.36**	(51,594.38)
(द)	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**–**	(2,470.95)
(य)	ब्याज और वित्त शुल्क	**(1,21,456.85)**	(1,19,077.60)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (स)	**47,831.18**	96,043.42
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (अ+ब+स)	**21,093.43**	(9,974.43)
	वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य	**65,096.10**	75,070.53
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**86,189.53**	**65,096.10**

रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणियाँ :

(i) वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य :–

हस्तस्थ रोकड़	**5.86**	13.42
पारगमन में रोकड़		
बैंको में अवशेष		
चालू और अन्य खातो में	**86,183.67**	65,082.68
सावधि जमा खाते में		
योग	**86,189.53**	65,096.10

(ii) यह विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के पैरा 20 में प्रावधानित अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

(iii) नकद और नकद समतुल्यों में हस्तस्थ नकदी, चालू और अन्य खातों में बैंकों के अवशेष तथा बैंको के साथ सावधि जमा सम्मिलित है।

(iv) आवश्यकतानुसार पूर्व वर्ष के आकड़ों का पुनःसमूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/पुनर्आगणन किया गया है।

–ह०–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी०एफ०ओ०
(वित्त एवं लेखा)

–ह०–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह०–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

–ह०–
(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह०–
(आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स०सं० 076935
फर्म पंजी०सं० 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

टिप्पणी–1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (वित्तीय वर्ष 2021-22)

1) सामान्य/तैयार करने का आधार

(अ) शासी अधिनियम

कंपनी, लागू सीमा तक विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 में दिये गये प्रावधानों के अधीन शासित है।

(ब) अनुपालन का विवरण

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत लेखांकन के प्रोदभूत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये है, तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उसके बाद संशोधित भारतीय लेखांकन मानको, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक), कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान तथा लागू सीमा तक विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विचलन है, विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के संगत प्रावधान प्रभावी है। लेखांकन नीतियों को कम्पनी द्वारा जब तक अन्यथा वर्णित न हो के अतिरिक्त समनुरूपता से लागू किया गया है।

(स) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा :–

यह वित्तीय लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रूपये के निकटतम ₹ लाख से पूर्णांकित (दो दशमलव तक) कर प्रस्तुत किया गया है।

(द) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण :–

(1) कम्पनी द्वारा चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को प्रस्तुत किया गया है।

परिसम्पत्ति चालू है जब उसकी :–

- सामान्य परिचालकीय चक्र में वसूली होना या खपत होना अपेक्षित है;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली होना अपेक्षित है; या
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, जब तक प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह माह के लिए किसी दायित्व को चुकाने के लिए प्रयोग किये जाने अथवा आदान प्रदान किये जाने हेतु वर्जित न हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व चालू है जब :–

- इसको सामान्य परिचालकीय चक्र में निस्तारित करना अपेक्षित हो;
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह महीने के भीतर इसका निस्तारण नियत हो; या
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निस्तारण को स्थगित करने का बिना शर्त का अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) अस्थगित कर आस्तियों/देनदारियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(य) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार किए जाने हेतु प्राक्कलन एवं अभिकल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है जिसका सम्बन्धित अवधि के आस्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशि पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि ऐसे प्राक्कलन तथा अनुमान समस्त उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण विधि से तैयार किए जाते हैं परन्तु यह संगत मामलों में वास्तविक परिणामों से भिन्न भी हो सकते हैं तथा जिस अवधि में इस प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं उसी अवधि में इन अन्तरों को लेखों में अभिलिखित कर लिया जाता है।

2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(I) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ऐतिहासिक लागत पर संचयी अवक्षयण के पश्चात दर्शाये जाते है।

(ब) परिसम्पत्ति को प्रबन्धन द्वारा प्रयोजित तरीके से संचालित होने के लिए सक्षम होने की परिस्थिति एवं स्थान तक लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय लागत में सम्मिलित है।

(स) सम्पत्ति के प्रयोग में आने की स्थिति में, ऐसे प्रकरण जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निस्तारण होना शेष हो का अनन्तिम आधार पर पूंजीकरण समायोजन अन्तिम निस्तारण के वर्ष में कर दिये जाने के प्रतिबन्धाधीन किया जाता है।

(द) पारेषण तंत्र परिसम्पत्तियों को यूपीईआरसी टैरिफ विनियमन के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उपयोग करने के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

(य) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सम्पत्ति, संयत्र और उपकरण को पूनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं है।

(II) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत, निर्माण व्यय और अन्य खर्चों को पूँजीकरण की तारीख तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यात्मक इकाई की बहुलता के साथ–साथ इकाई विशेष में कार्यों की बहुलता के कारण, कर्मचारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत कार्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निम्नवत् रोपित किया जाता है:–

(1) पूँजीगत पारेषण कार्यों के लिए

(i) 132 एवं 220 के॰वी॰ उप–केन्द्रों एवं लाइनों पर 9%

(ii) 400 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 7%, और

(iii) 765 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों के मामलों में 5%

(2) अन्य पूँजीगत कार्यों पर 10%

(ग) जमा कार्यों पर पर्यवेक्षण व्यय पूंजीगत कार्य के कुल व्यय का 15% (टिप्पणियों के अन्तर्गत अन्यथा वर्णित को छोड़कर) की दर से रोपित है।

(घ) पीपीई के निर्माण के लिए आवंटित निर्माण के दौरान ब्याज को सीडब्लूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और संबंधित परिसम्पत्तियाँ जो पूंजीकृत होनी है में रोपित किया जाता है।

(ङ) सीडब्ल्यूआईपी के तहत आपूर्तिकर्ताओ/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत है।

(III) अवक्षयण

(क) संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण लागत वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक भाग पर अलग से ह्रास लगाया गया है।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ नियम तथा शर्ते) विनियम, 2019 के ''परिशिष्ट–I'' में दिये गए प्रावधानों के आधार पर अवक्षयण भारित किया गया है। उक्त विनियमावली दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए मान्य है।

(ग) उक्त बिन्दु (ख) के दृष्टिगत संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों के वास्तविक मूल्य का 10% अवशेष मूल्य मानते हुए अवक्षयण व्यय निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर भारित किया गया है। (लकड़ी के ढांचे जैसे अस्थायी निर्माण जहां अवक्षयण की दर 100% और आई॰टी॰ उपकरण और साफ्टवेयर के मामले में जहां मूल्यह्रास मूल्य 100% है और निस्तारण मूल्य शून्य को छोड़कर)।

(घ) वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिवर्धन मूल्य पर ह्रास व्यावसायिक संचालन के माह से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से घटौती की दशा में अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह तक लगाया जाता है जिस माह में परिसम्पत्ति निस्तारित की गयी है।

(ङ) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में (अन्य परिसम्पत्तियों के विपरीत जहां मूल्यह्रास योग्य मूल्य 90% है), मूल्यह्रास पट्टे पर ली गई परिसम्पत्ति की लागत का 100% (पट्टा परिसम्पत्ति की पहचान के लिए नाममात्र मूल्य छोड़कर) अपलेखन सीधी रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है।

(i) उपर्युक्त III (बी) के अनुसार या

(ii) पट्टे की अवधि के दौरान,

जो भी छोटा हो,

पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पट्टा समझौते में नवीनीकरण वाक्य, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया गया है।

(IV) उधारी लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण सम्बन्धित उधारी लागत को वाणिज्यिक परिचालन की प्रभावी तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो

आवश्यक रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागत उस अवधि के लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात की जाती है जिस अवधि में वे उपगत होती हैं।

V) भण्डार एवं कलपुर्जे

(क) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत भण्डार एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर लागत (अर्थात लेन–देन मूल्य) पर किया जाता है, जो उन्हें प्रतिस्थापन लागत वर्तमान लागत, आदि में समायोजित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नही देता है।

(ख) इस्पात अवशिष्ट का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर तथा इस्पात के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट सामान को जब बेचा जाता है, लेखो में लेखांकित किया जाता है।

(ग) वर्ष के अन्त में यदि सामग्री में आधिक्य/कमी परिलक्षित होती है तो उसे ''जांच के अधीन लम्बित सामग्री आधिक्य/कमी'' मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा जांच के अन्तिम होने के पश्चात यदि कोई आधिक्य निर्धारित होती है तो उसे आय के मद में लेखांकित किया जाता है। इसी प्रकार जांचोपरान्त कमी निर्धारित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, या तो कार्मिकों से वसूली की जाती है अथवा लाभ/हानि खाते में भारित किया जाता है।

(घ) चोरी अथवा अन्य कारणों से हुई कमी/हानि को प्रथमतः ''कार्मिकों के विरूद्ध विविध अग्रिम'' मद में डेबिट किया जाता है तथा जांच/निपटारे के अन्तिम होने तक ''चालू आस्तियाँ'' के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

VI) राजस्व मान्यता

(अ) अन्तःराज्यीय के अन्दर ऊर्जा के पारेषण के राजस्व को लेखों में माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रु–अप याचिका में प्रस्तुत टैरिफ में यदि कोई अन्तर हो तो उसे उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग के अन्तिम निर्णय के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) ''भारतीय लेखांकन मानक 115 –ग्राहक के साथ अनुबन्ध से राजस्व'' के प्रावधानों के अनुरूप, पूंजीगत सम्पत्ति की लागत के सापेक्ष प्राप्त उपभोक्ता अंशदान, जिसे प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में लेखांकित किया जाता है, को उपभोक्ता के साथ हुए अनुबन्ध के नियमों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अवधि को छोड़कर, निर्धारित समयावधि, जो विनियामक (अर्थात, सीईआरसी) द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 में दिये अधिकार का प्रयोग करते हुए, सी॰ई॰आर॰सी॰ विनियम के माध्यम से निर्धारित अवक्षयण की साधारण दर के आधार पर प्राप्त सम्बन्धित परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवनकाल है, में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपभोक्ता योगदान संचय प्रारंभिक अभिमान्यता के वर्ष, जब समान वार्षिक आय का केवल 50% राजस्व के रूप में अभिज्ञात है, तथा उपरोक्त कथित अवधि के अंत में जब सम्पूर्ण शेष अभिज्ञात राशि को छोड़कर, उपरोक्त कथित अवधि में समान वार्षिक राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

स) अन्तर–राज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एन॰आर॰एल॰डी॰सी॰ के माध्यम से प्रभार की अग्रिम वसूली की नीति तथा अन्तःराज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एस॰एल॰डी॰सी॰ द्वारा जारी भुगतान अनुसूची के दृष्टिगत्, ओपेन एक्सेस से होने वाले राजस्व को वसूली के उपरान्त

सी॰ई॰आर॰सी॰/यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य लेखांकित किया जाता है।

अग्रेतर, भारतीय लेखांकन मानक 115–'उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध से राजस्व' के अनुसार, अग्रिम के रूप में प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आने वाले लघु अवधि ओपेन एक्सेस अवधि के अनुपात मे तभी संज्ञान में लेना है जब या तो एक्सेस दे दिया गया हो या लघु अवधि ओपेन एक्सेस की समायवधि समाप्त हो गई हो एवं कोई कार्य शेष न हो या जब अनुबन्ध समाप्त हो गया हो। अपितु राजस्व के रूप में संज्ञान में लेने से पूर्व एस॰टी॰ओ॰ए॰उपभोक्ता से प्राप्त राशि को एक दायित्व के रूप में लेखांकित किया जाना है।

(द) सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में, अनुदान की प्राप्ति पर दायित्व के रूप में दर्शा कर लेखांकन किया जाता है तथा संचय में अस्थगित आय के रूप में केवल तभी अन्तरित किया जाता है जब उस से जुड़ी शर्तें पूरी हो चुकने का तर्कसंगत विश्वास हो। ऐसी अस्थगित आय लाभ–हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर एक अवधि में अभिज्ञात की जाती है जो अंतनिर्हित पूंजीगत सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल है जो कि अवक्षयण की सामान्य दर पर जैसा कि विनियामक (सी॰ई॰आर॰सी॰) द्वारा निर्धारित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निर्गत विनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

(य) जमा कार्यों पर पर्यवेक्षण प्रभार (लागू दरों के अनुसार) संबंधित अवधि के दौरान सम्बन्धित व्यय के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्य किये जाते है।

(र) बीमा और अन्य दावे, कस्टम ड्यूटी की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किये गये है। कर्मचारियों को दिये ऋण पर ब्याज का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर पूरा मूल धन वसूल होने के बाद किया गया है।

VII) पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियां :–

सभी पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियों के सुधार त्रुटि मिलने के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती प्रभाव से त्रुटि वाले वर्ष के दर्शाये गये तुलनात्मक आंकड़ो को बहाल कर किया गया है या जहाँ त्रुटि दर्शायी गयी सबसे पुरानी अवधि से भी पहले की हो तो सबसे पुराने दर्शायी गयी अवधि की परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर, जैसी भी परिस्थिति हो, किया गया है।

यदि सभी पूर्व अवधि त्रुटियों का अवधि–विशिष्ट प्रभाव/संचयी प्रभाव निर्धारित करना असम्भव है तो परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता/तुलनात्मक सूचनाओं को सबसे पुरानी सम्भव अवधि के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

VIII) कर्मचारी लाभ

(अ) कर्मचारियों की पेन्शन एवं उपादान सम्बन्धित दायित्वों का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है एवं इसका लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।

(ब) उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक परिभाषित लाभ योजना) हेतु प्रावधान का लेखांकन बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है।

(स) चिकित्सा लाभ एवं अवकाश यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए दावों तथा अनुमोदित किये गये दावों के आधार पर किया जाता है।

IX) प्रावधान, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य आस्तियाँ

(अ) प्रावधान का लेखांकन उस सीमा तक अनुमानित व्यय के आधार पर किया गया है, जहां तक संभव हो, वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाए और जितना सम्भव हो अनुमानित खर्च को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।

(ब) जब तक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना सुदूर नही है, तब तक खातों पर टिप्पणियों में सम्भाव्य दायित्वों का प्रकटन किया गया है। जबकि, जब तक आर्थिक लाभ का अंर्तप्रवाह संभावित नही हो जाता, तब तक खातों में सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन नहीं किया गया है।

(स) जहां किसी सम्भाव्य दायित्व या सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन करना व्यवहार्य नही है, उस तथ्य का प्रकटन किया गया है।

X) अस्थगित कर

भारतीय लेखा मानक–12 "आयकर" में कम्पनी का तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अस्थगित करों का लेखांकन वांछित है, जो तुलन–पत्र और उसके कर आधार में सम्पत्ति या देयता की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर केन्द्रित है।

कटौती योग्य अस्थायी अंतर के सम्बन्ध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की अस्थगित कर सम्पत्ति और कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की अस्थगित कर देनदारियों को तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी गई है।

XI) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण में भारतीय लेखांकन मानक–7 'रोकड प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

XII) वित्तीय सम्पत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप :

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्गमन सम्बन्धित लागत को जोड़ कर लेखांकित किया गया है क्योंकि कम्पनी इसे आर्मस लेन्थ मूल्य पर क्रय/अधिग्रहण करती है तथा आर्म्स लेन्थ मूल्य ही वह मूल्य है जिस पर परिसम्पत्ति का आदान–प्रदान हो सकता है।

बाद के माप :

(अ) ऋण अभिलेख :– एक ऋण अभिलेख भारतीय लेखा मानक–109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा गया है।

(ब) समता अभिलेख :– संस्थाओं में सभी समता अभिलेख लाभ व हानि (एफ॰वी॰टी॰पी॰एल॰) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि इन्हे व्यापार के लिए धारण नही किया जाता है।

XIII) वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक मान्यता और माप :

वित्तीय दायित्वों का लेखांकन दस्तावेजों के अनुबन्धीय प्रावधानों में तब किया जाता है जब कंपनी एक पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। कंपनी की वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक देयता, उधार और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

बाद के माप :

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य पर उधारों को मापा गया है। प्रभावी ब्याज दर विधि एक वित्तीय साधन की परिशोधित लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज और अन्य खर्चों को आवंटित करने की एक विधि है। चूंकि प्रत्येक ऋण पर ब्याज और जोखिम की अपनी अलग दर होती है, इसलिए जिस ब्याज दर पर उन्हें प्राप्त किया गया है उसे ईआईआर माना जाता है। व्यापार और अन्य देयता अनुबंध मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समापन हो जाता है।

–ह॰–	–ह॰–	यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
(श्रवण बब्बर)	**(निधि कुमार नारंग)**	**कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन–03473420	
–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(आंचल रस्तोगी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 076935
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

टिप्पणी-'2' सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2021 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2022 को
भूमि एवं भूमि अधिकार				
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	11,614.96	6,991.43	–	18,606.39
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	5.56	0.78	–	6.34
योग (i+ii)	11,620.52	6,992.21	–	18,612.73
भवन	1,34,865.88	14,184.11	23.96	1,49,026.03
अन्य जानपदीय कार्य	11,323.46	765.90	–	12,089.36
संयंत्र एवं मशीनरी	15,33,296.32	1,34,245.01	17,412.32	16,50,129.01
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	14,81,869.60	2,31,102.90	1,328.08	17,11,644.42
वाहन	332.91	10.12	–	343.03
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1,118.39	117.41	2.08	1,233.72
कार्यालय उपकरण	1,308.28	206.71	0.48	1,514.51
अन्य परिसम्पत्तियां	11,348.78	715.85	126.96	11,937.67
योग	31,87,084.14	3,88,340.22	18.893.88	35,56,530.48

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2021 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को अवशेष	31.03.2021 को अवशेष
भूमि एवं भूमि अधिकार						
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	–	–	–	–	18,606.39	11,614.96
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	–	–	–	–	6.34	5.56
योग (i+ii)	–	–	–	–	18,612.73	11,620.52
भवन	31,499.63	4,702.65	21.56	36,180.72	1,12,845.31	1,03,366.25
अन्य जानपदीय कार्य	4,047.60	432.96		4,480.56	7,608.80	7,275.86
संयंत्र एवं मशीनरी	4,91,317.94	76,029.46	7,088.59	5,60,258.81	10,89,870.20	10,41,978.38
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	4,93,797.01	73,936.47	1,051.93	5,66,681.55	11,44,962.87	9.88,072.59
वाहन	304.19	1.70		305.89	37.14	28.72
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	372.88	70.38	1.81	441.45	792.27	745.51
कार्यालय उपकरण	682.25	115.32	0.28	797.29	717.22	626.03
अन्य परिसम्पत्तियां	9,496.15	757.24	108.88	10,144.51	1,793.16	1.852.63
योग	10,31,517.65	1,56,046.18	8,273.05	11,79,290.78	23,77,239.70	21,55,566.49

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2020 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2021 को
भूमि एवं भूमि अधिकार				
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	**9,944.79**	**1,673.27**	**–**	**11,618.06**
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	**5.54**	**0.03**	**–**	**5.57**
योग (i+ii)	**9,950.33**	**1,673.30**	**–**	**11,623.63**
भवन	**1,23,005.50**	**11,862.50**	**2.10**	**1,34,865.90**
अन्य जानपदीय कार्य	**10,354.06**	**969.40**	**–**	**11,323.46**
संयंत्र एवं मशीनरी	**13,96,865.93**	**1,53,144.23**	**16,713.53**	**15,33,296.63**
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	**13,00,149.70**	**1,83,208.37**	**1,488.46**	**14,81,869.61**
वाहन	**337.14**	**1.44**	**5.67**	**332.91**
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	**997.58**	**120.81**	**–**	**1,118.39**
कार्यालय उपकरण	**1,211.23**	**97.05**	**–**	**1,308.28**
अन्य परिसम्पत्तियां	**11,008.64**	**387.52**	**47.38**	**11,348.78**
योग	**28,53,880.11**	**3,51,464.62**	**18,257.14**	**31,87,087.59**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2020 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को अवशेष	31.03.2020 को अवशेष
भूमि एवं भूमि अधिकार						
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	**–**	**–**	**–**	**–**	**11,618.06**	9,944.79
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	**–**	**–**	**–**	**–**	**5.57**	5.54
योग (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**–**	**11,623.63**	9,950.33
भवन	**27,402.62**	**4,256.92**	**1.89**	**31,657.65**	**1,03,208.25**	95,602.88
अन्य जानपदीय कार्य	**3,658.30**	**399.45**	**–**	**4,057.75**	**7,265.71**	6,695.76
संयंत्र एवं मशीनरी	**4,29,145.63**	**71,447.85**	**4,544.85**	**4,96,048.63**	**10,37,248.00**	9,67,720.30
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	**4,32,350.11**	**61,989.77**	**911.33**	**4,93,428.55**	**9,88,441.06**	8,67,799.59
वाहन	**302.94**	**2.14**	**5.23**	**299.85**	**33.06**	34.20
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	**299.65**	**64.46**	**–**	**364.11**	**754.28**	697.93
कार्यालय उपकरण	**592.48**	**136.02**	**–**	**728.50**	**579.78**	618.75
अन्य परिसम्पत्तियां	**8,865.67**	**736.14**	**46.05**	**9555.76**	**1,793.02**	2,142.97
योग	**9,02,617.40**	**1,39,032.75**	**5,509.35**	**10,36,140.80**	**21,50,946.79**	19,51,262.71

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी-'3' : प्रगतिशील पूँजीगत कार्य				
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य [1]	**2,62,659.16**		3,60,872.44	
घटाया : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की हानि के सापेक्ष प्रावधान (परित्याग या किसी अन्य कारण)	**253.88**	**2,62,405.28**	198.60	3,60,673.84
पूर्व वर्ष तक पूंजीकरण के लिए लम्बित ऋण लागत	**66,803.48**		56,018.39	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**17,462.62**		19,627.72	
घटाये : वर्ष के दौरान पूंजीकरण	**40,766.17**	**43,499.93**	8,842.63	66,803 48
निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों के साथ सामग्री	**3,60,106.53**		3,35,880.09	
घटाये : आपूर्तिकर्ताओं एंव ठेकेदारों को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजी)	**185.50**	**3,59,921.03**	185.50	3,35,694.59
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (सामग्री के अलावा अन्य)		**26,170.99**		30,628.31
घटाये : पूंजीगत कार्यो के सापेक्ष सदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान				
विकासाधीन अमूर्त सम्पत्ति		**3,183.65**		878.51
योग		**6,95,180.88**		7,94,678.73

[1] उधार लेने की लागत, विकास के सापेक्ष आमूर्त सम्पत्ति और सामग्री एवं ठेकेदारों के साथ अन्य अग्रिमों को छोड़कर।

टिप्पणी–4 : अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2021 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2022 को
अमूर्त आस्तियाँ				
साफ्टवेयर	870.33	**468.99**	–	**1,339.32**
योग	870.33	**468.99**	–	**1,339.32**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2021 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को अवशेष	31.03.2021 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ						
साफ्टवेयर	421.62	**121.29**	–	**542.91**	**796.41**	448.71
योग	421.62	**121.29**	–	**542.91**	**796.41**	448.71

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2020 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2021 को
अमूर्त आस्तियाँ				
साफ्टवेयर	429.57	**440.76**	–	**870.33**
योग	429.57	**440.76**	–	**870.33**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2020 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को अवशेष	31.03.2020 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ						
साफ्टवेयर	307.14	**145.72**	–	**452.86**	**417.47**	122.43
योग	307.14	**145.72**	–	**452.86**	**417.47**	122.43

टिप्पणी-'5' : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2022 को**	31.03.2021 को
सुरक्षा जमा राशि	**4,061.39**	4,060.57
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	**2.06**	2.01
अन्य निवेश (एनएससी)	**0.94**	0.87
योग	**4,064.39**	4,063.45

टिप्पणी-'6' : अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ

शुद्ध अस्थगित कर सम्पत्ति	**–**	2,969.76
योग	**–**	2,969.76

डीटीएल एवं डीटीए का विवरण

अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ

पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**–**		–	
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान / व्यय	**2,509.79**		5,087.27	
अप्रयुक्त कर हानियाँ	**1,66,080.92**		1,50,344.88	
अप्रयुक्त कर प्रत्यय	**–**		–	
अन्य	**–**	**1,68,590.71**	**–**	1,55,432.15
अस्थगित कर दायित्व				
पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**(1,77,929.37)**		(1,52,462.39)	
अन्य	**–**	**(1,77,929.37)**	–	(1,52,462.39)
योग		**(9,338.66)**		2,969.76

टिप्पणी-'7' : अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)	**417.20**	454.34
योग	**417.20**	454.34

टिप्पणी-'8' : वस्तु सूची

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भण्डार एवं उपस्कर		
(अ) भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य	**1,06,114.92**	1,30,171.83
(ब) भण्डार सामग्री–ओ एण्ड एम	**33,864.70**	24,106.02
(स) अन्य सामग्री[1]	**7,245.34**	6,619.04
योग	**1,47,224.96**	1,60,896.89

[1] अन्य भण्डार में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री, अप्रचलित भण्डार, अवशिष्ट सामान, मरम्मत के लिए भेजे गए परावर्तक, भण्डार, सामग्री जाँच हेतु लम्बित आधिक्य/कमी एवं पारगमन भण्डार सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-'9' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य[1]

व्यापारिक प्राप्य सुरक्षित, शोध्य विचारित				
–शोध्य विचारित		**6,75,295.87**		6,35,752.60
–जिससे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई		**1,961.60**		–
उपयोग		**6,77,257.47**		6,35,752.60
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		**1,961.60**		–
योग		**6,75,295.87**		6,35,752.60
व्यापारिक प्राप्य का विवरण :-				
मध्यांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, लखनऊ	**1,32,005.35**		1,20,774.69	
पूर्वांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, वाराणसी	**1,65,744.20**		1,49,584.21	
पश्चिमांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, मेरठ	**2,00,628.21**		1,97,827.93	
दक्षिणांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, आगरा	**1,52,263.21**		1,46,023.51	
केस्को, कानपुर	**9,274.47**		7,190.41	
अन्य	**17,342.03**	**6,77,257.47**	14,351.85	6,35,752.60

[1] व्यापार प्राप्तियों की आयु बढ़ने के लिए नोट 33 का बिंदु (13) देखें।

टिप्पणी-'10' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

अ) हस्तस्थ रोकड़	**5.86**	13.42
(डाक टिकट को सम्मिलित करते हुए)		
ब) पारगमन में रोकड़	**–**	–
स) बैंक में अवशेष		
चालू एवं अन्य खातो में (फ्लेक्सी अवशेष सम्मिलित)	**86,183.67**	65,082.68
योग	**86,189.53**	65,096.10

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी-'11' : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
असंरक्षित, शोध्य विचारित				
कर्मचारियों को अग्रिम		**5.39**		3.60
(वेतन से समायोजनीय / वसूली योग्य)				
स्रोत पर कर कटौती		**4,094.93**		2,597.18
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदार को अग्रिम (ओ एण्ड एम)		**1,206.80**		1,476.01
प्राप्य :				
कर्मचारियों	**796.68**		801.67	
अन्य	**5,774.56**		5,909.15	
	6,571.24		6,710.82	
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	**186.60**	**6,384.64**	186.60	6,524.22
प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		**3.35**		2.19
पूर्वदत्त व्यय		**0.75**		0.65
अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)		**17.97**		17.97
अंतर इकाई अंतरण **1**		**25,287.59**		25,301.79
योग		**37,001.42**		35,923.61

1 टिप्पणी 33 का संदर्भ बिन्दु (18) देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
टिप्पणी-'12' : समता अंश पूंजी		
(अ) अधिकृत पूंजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 250000000 समता अंश (पूर्व वर्ष सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 200000000 समता अंश)	**25,00,000.00**	20,00,000.00
(ब) निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता अंशपूँजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 183472739 पूर्ण प्रदत्त समता अंश (पूर्व वर्ष में सममुल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 175231405 पूर्ण प्रदत्त समता अंश)	**18,34,727.37**	17,52,314.05
योग	**16,34,727.37**	17,52,314.05

(अ) प्रतिवेदित अवधि के प्रारम्भ में तथा अन्त में अंशों की संख्या एवं बकाया धनराशि का समाधान :

	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को	31.03.2021 को
	अंशों की संख्या	(₹ लाख में)	अंशों की संख्या	(₹ लाख में)
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	**17,52,31,405**	**17,52,314.05**	15,06,00,668	15,06,006.68
वर्ष के दौरान निर्गत अंश–नवीन निर्गमन	**82,41,332**	**82,413.32**	2,46,30,737	2,46,307.37
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**18,34,72,737**	**18,34,727.37**	17,52,31,405	17,52,314.05

(ब) समता अंशों में सन्निहित शर्त/अधिकारः

(i) कम्पनी में केवल एक श्रेणी के समता अंश है जिसका सममूल्य ₹ 1000 प्रति अंश है।

(ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, कम्पनी द्वारा 8241332 अंश निर्गत किये गये हैं।

(iii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, भारी संचयी हानियों के कारण निदेशक मण्डल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(स) 5% से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरणः

अंश धारक का नाम	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को अंशों की	31.03.2021 को
	अंशों की संख्या	% धारण	अंशों की संख्या	% धारण
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**16,13,39,385**	**87.94%**	15,30,98,053	87.37%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि॰	**2,21,32,752**	**12.06%**	2,21,32,752	12.63%

(द) प्रवर्तकों की अंशधारिताः

वर्ष के अन्त में प्रवर्तकों द्वारा धारित अंश

प्रवर्तकों के नाम	अंशों की संख्या	कुल अंश का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**16,13,39,385**	**87.94%**	5.38%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि॰	**2,21,32,752**	**12.06%**	0.00%
कुल	**18,34,72,137**	**100.00%**	5.38%

अंश आवेदन धनराशि का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को अंश आवेदन धनराशि	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटन	31.03.2022 [1] को अंश आवेदन धनराशि
अंश आवेदन धनराशि	–	**1,06,686.68**	**82,413.32**	**24,273.36**

[1] अंश आवेदन धनराशि की स्थिति के लिए टिप्पणी 33 का संदर्भ बिन्दु 15 देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
टिप्पणी-'13' : गैर–चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ		
सरंक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**13,89,678.11**	13,26,201.47
(पीएफसी एवं आरईसी योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अनन्य प्रभारों से संरक्षित)		
असंरक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**630.10**	1,505.39
(उ॰प्र॰ सरकार द्वारा उपरोक्त सभी ऋण प्रत्याभूतित हैं)		
उप–योग सुरक्षित / असुरक्षित ऋण	**13,90,308.21**	13,27,706.86
घटाया : दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वता (सन्दर्भः अनुलग्नक–अ)	**1,37,143.34**	1,45,492.48
योग	**12,53,164.87**	11,82,214.38

1) उधार की शर्तों आदि का विवरण अनुलग्नक–अ में संलग्न किया गया है।

2) उधारियों को चुकता करने में हुई चूक का उल्लेख अनुलग्नक–ब पर संलग्न किया गया है।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित ऋण की शर्तों आदि का प्रकटन

टिप्पणी '13' अनुलग्नक अ

(₹ लाख में)

ऋण	प्रतिभूति एवं गारण्टी का विवरण	ब्याज दर	चुकता करने के नियम	31.03.2021 को अवशेष (अ)	31.03.2021 को दीर्घकालिक उधारियों के लिए चालू परिपक्वता (ब)	31.03.2021 को दीर्घकालिक उधारी स=(अ–ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण (वि.व. 21-22) (द)	वर्ष के दौरान चुकता ऋण (वि.व. 21-22) (य)	31.03.2022 को अवशेष र=(अ+द–य)	31.03.2022 को दीर्घकालिक ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (ल)	31.03.2022 को दीर्घकालिक ऋण व=(र-ल)
(अ) संरक्षित											
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि॰ (हाइपो)	पीएफसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	9.00% से 13.25%	चालीस से साठ समान त्रैमासिक किस्त	5,79,062.55	64,595.91	5,14,466.64	98,085.74	63.425.15	6,13,723.14	56,492.58	5,57,230.56
(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारोषण)	आरईसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	11% से 13%	दस समान वार्षिक किस्ते / एक सौ बीस समान मासिक किस्तों में	7,47,138.92	80,020.66	6,67,118.26	89,064.78	81,810.58	7,54,393.11	80,020.66	6,74,372.45
(iii) इण्डियन बैंक	इण्डियन बैंक योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	8.30%	एक सौ छप्पन समान मासिक किश्तों में	–	–	–	21,181.86	–	21,181.86	–	21,181.86
(iv) आईआरईडीए	आईआरईडीए योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	8.36%	एक सौ छप्पन समान मासिक किश्तों में	–	–	–	380.00	–	380.00	–	380.00
			योग [अ]- (i+ii)	13,26,201.47	1,44,616.57	11,81,584.90	2,08,712.38	1,45,235.73	13,89,678.11	1,36,513.24	12,53,164.87
(ब) असंरक्षित											
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	10.11%	एक सौ अस्सी समान मासिक किस्ते	1,505.39	875.91	629.48	–	875.29	630.10	630.10	–
			योग [ब]	1,505.39	875.91	629.48	–	875.29	630.10	630.10	–
			महायोग (अ + ब)	13,27,706.86	1,45,492.48	11,82,214.38	2,08,712.38	1,46,111.02	13,90,308.21	1,37,143.34	12,53,164.87

ईएमआई–समान मासिक किस्त, ईक्युआई–समान त्रैमासिक किस्त, ईवाईआई–समान वार्षिक किस्त,

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित उधारी चुकता करने में चूक का प्रकटन

टिप्पणी '13' अनुलग्नक–ब

(₹ धनराशि में)

ऋण	पूर्नभुगतान की शर्तें				31.03.2021 को चुकता करने में चूक				31.03.2022 को चुकता करने में चूक			
	पुनर्संरचना तिथि	किस्ते	पुर्नभुगतान देयता	ब्याज की दर (%)	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से
<u>संरक्षित</u>												
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि॰												
(ii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि॰												
योग (अ)												
<u>असंरक्षित</u>												
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि॰ (पीसीएल)												
योग (ब)												
महायोग (अ+ब)												

शून्य

(₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2022** को	31.03.2021 को
टिप्पणी-'14' : गैर वर्तमान देनदारियाँ –पट्टा देनदारियाँ		
आस्थगित आय	**91.18**	97.23
योग	**91.18**	97.23

टिप्पणी-'15' : गैर चालू प्रावधान

उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**27,713.80**	20,570.75
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कर्मचारी)	**13,442.51**	7,869.02
योग	**41,156.31**	28,439.77

टिप्पणी-'16' : आस्थगित कर देनदारियाँ

शुद्ध आस्थगित कर देनदारियाँ	**9,338.66**	–
योग	**9,338.66**	**–**

टिप्पणी-'17' : चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ

दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताए[1]

सुरक्षित ऋण	**1,36,513.24**	1,44,616.57
असुरक्षित ऋण	**630.10**	875.91
योग	**1,37,143.34**	1,45,492.48

[1] दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता का विवरण (सन्दर्भ अनुलग्नक–'अ') टिप्पणी संख्या 13 के साथ संलग्न किया गया है।

टिप्पणी-'18' : वर्तमान देनदारियाँ –पट्टा दायित्व

आस्थगित आय	**6.05**	6.05
योग	**6.05**	6.05

टिप्पणी-'19' : अन्य वित्तीय दायित्व

अर्जित ब्याज परन्तु उधार पर देय नहीं	**20,061.67**	23,749.64
योग	**20,061.67**	23,749.64

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2022 को		31.03.2021 को
टिप्पणी-'20' : अन्य चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्ति / कार्यों हेतु दायित्व		**1,20,187.89**		1,43,198.81
अनुरक्षण एवं मरम्मत आपूर्ति / कार्यों हेतु दायित्व		**13,112.74**		14,877.12
कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व		**11,033.92**		11,287.02
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से निक्षेप एवं प्रतिधारण		**1,35,555.87**		1,37,306.00
विद्युत वितरण निगमों के निक्षेप कार्य		**11,984.50**		11,812.07
विद्युतीकरण कार्यों हेतु निक्षेप		**1,98,968.24**		2,16,026.34
पीएसडीएफ के लिए निक्षेप (केन्द्र सरकार का अंशदान)		**10,539.95**		9,276.92
अन्तर निगमीय अवशेष		**29,539.20**		24,796.70
विविध दायित्व		**16,975.16**		20,220.11
व्ययों हेतु दायित्व		**2,877.92**		3,437.68
यू.पी. पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व (मूल राशि)	**3,825.94**		3,808.56	
जोड़े : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**9,885.94**		8,913.69	
	13,711.88		12,721.74	
जोड़े : पेन्शन एवं उपादान दायित्व	**23,461.96**	**37,173.84**	5,853.98	18,575.72
उ.प्र.पा.का.लि. सी.पी.एफ. ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
सीपीएफ दायित्व - (मूल अदत्त राशि)	**17,271.52**		1,157.21	
जोडे : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**1,276.69**	**18,548.21**	1,115.00	2,272.21
योग		**6,06,497.44**		6,13,086.70

टिप्पणी-'21' : चालू प्रावधान		
उपार्जित अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	**1,956.13**	1,354.49
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कार्मिक)	**174.93**	126.51
योग	**2,131.06**	1,481.00

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'22' : परिचालन से राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
पारेषण प्रभार	**3,29,405.86**	3,23,654.05
ओपेन एक्सेस प्रभार	**11,421.12**	6,118.02
उप–योग[1]	**3,40,826.98**	3,29,772.07
एसएलडीसी प्रभार[2]		
वार्षिक शुल्क	**187.60**	108.08
आवेदन शुल्क / संवर्तन शुल्क / एसएलडीसी प्रभार	**882.26**	419.83
प्रचालन से राजस्व (निवल)	**3,41,896.84**	3,30,299.98

1 विद्युत वितरण निगमों, केस्को, एनपीसीएल तथा राज्य के अन्दर पारेषण से सम्बन्धित पारेषण प्रभार माननीय उ.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर ₹ 0.2378 प्रति किलोवाट घण्टा (01.04.2021 से 08.07.2021 तक) एवं ₹ 0.2421 प्रति किलोवाट घण्टा (09.07.2021 से 31.03.2022 तक)। वित्तीय वर्ष के दौरान पारेषित / चक्रीय ऊर्जा 124074.640413 एमयू. (पूर्व वर्ष-119060.689559 एमयू) थी।

अवधि	पारेषित ऊर्जा (केडब्लूएच)	दर	राशि
01.04.2021 से 08.07.2021	34,13,22,87,850	0.2378	81,166.58
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क @ सामान्य दरों का 50%	2,29,06,432	0.1189	27.23
यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम 26 बी(iii) के अनुसार			
09.07.2021 से 31.03.2022	85,68,89,80,087	0.2421	2,07,453.02
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क @ सामान्य दरों का 50%	11,86,34,158	0.1211	143.61
यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम 26 बी(iii) के अनुसार			
पूरक बीजक एवं अन्य एजेन्सीज	4,11,18,31,886		16,298.54
2020-21 के लिए ट्रु–अप	–		35,738.00
कुल	**1,24,07,46,40,413**		3,40,826.98

2 एस॰एल॰डी॰सी॰ के स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा एस॰एल॰डी॰सी॰ के लेखे अलग से तैयार कराये जा रहे है। एस॰एल॰डी॰सी॰ से सम्बन्धित प्रभार का ब्यौरा निम्नवत हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'23' : अन्य आय				
ब्याज से आय :				
सावधि जमा	**0.06**		0.12	
कर्मचारी को ऋण	**0.13**		–	
अन्य	**1,143.07**	**1,143.26**	1,602.76	1,602.88
अनुरक्षण एवं शटडाउन प्रभार		**1,832.97**		2,430.72
अन्य गैर–परिचालन आय				
ठेकेदारों/आपूतिकर्ताओं से आय		**1,979.34**		4,395.71
उपभोक्ता अंशदान संचय से आय		**16,394.37**		13,281.02
पर्यवेक्षण प्रभार		**3,665.74**		4,614.94
कार्मिकों से किराया		**29.07**		47.75
विविध प्राप्तियाँ		**2,079.58**		428.30
योग		**27,124.33**		26,801.32

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'24' : कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन एवं भत्ते	**38,962.97**	39,519.20
महंगाई भत्ता	**10,468.46**	6,838.26
अन्य भत्ते	**1,791.10**	1,834.01
पेंशन एवं उपादान**1**एवं**2**	**4,562.17**	4,450.25
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)**3**	**279.26**	186 02
अर्जित अवकाश नकदीकरण**4**	**9,322.79**	970.13
क्षतिपूर्ति	**7.53**	5.03
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**3,407.74**	2,927.19
ट्रस्ट पर व्यय	**49.79**	158.31
कर्मचारी कल्याण व्यय	**42.26**	50.96
उभयनिष्ट व्यय (उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा भारित)	**2,554.75**	1,553.01
उप–योग	**71,448.82**	58,492.37
घटायें : पूंजीकृत व्यय कार्य में स्थानांतरित किया गया	**19,288.65**	23,631.21
योग	**52,160.17**	34,861.16

1 चूंकि उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आमेलन अभी तक उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अन्तिम नहीं किया गया है अतएव उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों में पेंशन एवं उपादान मद में किए जा रहे प्राविधान की अनुरूपता में पेंशन एवं उपादान मद में प्रावधान करने के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2000 (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) को मानते हुए मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग पर क्रमशः 16.70% एवं 2.38% की दर से लेखों में प्रावधान किया गया है एवं तदनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया स्थगित रहने तक अग्रेतर उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नया बीमांकक मूल्यांकन कराये जाने की दशा में यथा आवश्यकतानुसार लेखों में प्रावधान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

2 भारतीय लेखांकन मानक 19 की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी ने बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सी॰पी॰एफ॰ योजना द्वारा आवरित कार्मिकों की ग्रेच्युटी से उत्पन्न अपनी देयता को मापा और लेखांकन किया है।

3 चिकित्सा लाभ तथा अवकाश यात्रा रियायत का लेखांकन वर्ष में प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

4 चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर बनाये गये उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक लाभ) हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'25' : वित्तीय लागत				
(अ) ब्याज व्यय				
दीर्घकालिक ऋण				
पीएफसी	**61,957.61**		62,729.80	
घटाया : ब्याज में छूट	**1,421.30**		1,455.18	
	60,536.31		61,274.62	
घटाया : ब्याज में सहायिकी	**3,702.86**		6,917.44	
	56,833.45		54,357.18	
आरईसी	**80,812.37**		84,341.83	
इण्डियन बैंक	**1,259.26**		–	
आईआरईडीए	**8.09**	**1,38,913.17**	–	1,38,699.01
(ब) अन्य उधारी लागत				
गारंटी प्रभार		–		0.02
बैंक प्रभार		**6.30**		6.29
उप योग		**1,38,919.47**		1,38,705.32
घटायेः पूंजीकृत ब्याज/कार्यशील पूंजीगत कार्य को अन्तरण		**17,462.62**		19,627.72
योग		**1,21,456.85**		1,19,077.60
टिप्पणी-'26' : अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय				
स्थावर आस्तियों पर अवक्षयण एवं अपाकरण				
भवन		**4,711.00**		4,363.26
अन्य जानपदीय कार्य		**432.75**		389.50
संयंत्र एवं मशीनरी		**77,426.75**		73,816.17
लाईन, केबिल नेटवर्क आदि		**72,535.15**		63,406.02
वाहन		**1.87**		0.84
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**66.42**		62.71
साफ्टवेयर		**120.82**		114.48
कार्यालय उपस्कर		**115.84**		107.35
अन्य आस्तियाँ		**756.86**		676.37
योग		**1,56,167.46**		1,42,936.70

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'27' : प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय				
लेखा परीक्षक को भुगतान				
(अ) वैधानिक सम्प्रेक्षक				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**17.70**		17.70	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**3.17**	**20.87**	2.85	20.55
(ब) अन्य सम्प्रेक्षक				
(आंतरिक सम्प्रेक्षा, लागत सम्प्रेक्षा कर सम्प्रेक्षा एवं सचिवीय सम्प्रेक्षा)				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**63.66**		76.95	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**1.03**	**64.69**	4.84	81.79
विज्ञापन व्यय		**310.81**		320.40
संचार व्यय		**223.42**		259.15
परामर्श व्यय		**63.97**		47.65
टैरिफ मूल्यांकन और लाइसेंस शुल्क		**640.31**		653.61
विद्युत व्यय		**206.68**		177.35
मनोरंजन		**–**		0.04
न्यास पर व्यय		**12.57**		6.25
निगमित की समाजिक दायित्व		**165.17**		5.00
बीमा		**1.43**		1.78
जीपीएफ एवं सीपीएफ अवशेष पर ब्याज		**1,133.95**		989.04
विधिक व्यय		**230.02**		201.57
प्रशासनिक के लिए आउटसोर्स श्रमिक शक्ति		**2,222.76**		1,832.65
विविध व्यय		**254.18**		276.45
छपाई एवं लेखन सामग्री		**124.79**		123.87
दर एवं शुल्क		**1,277.95**		550.66
किराया		**0.20**		1.63
तकनीकी शुल्क एवं प्रोफेशनल प्रभार		**182.82**		204.60
यात्रा एवं अनुगमन		**581.77**		612.05
जल प्रभार		**0.59**		0.40
उभयनिष्ट व्यय (यूपीपीसीएल द्वारा प्रभारित)		**0.34**		0.61
क्षतिपूर्ति (कार्मिकों के अलावा)		**–**		4.60
अन्य व्यय एवं हानियाँ		**221.59**		50.35
योग		**7,940.88**		6,422.05

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'28' : मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय				
संयंत्र एवं मशीनरी		**32,907.71**		37,450.40
भवन		**1,419.45**		1,509.53
अन्य जानपदीय कार्य		**28.14**		109.21
लाईन्स, केबिल नेटवर्क आदि		**4,529.46**		5,968.56
वाहन व्यय	**1,946.19**		1,675.62	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत/ओ एण्ड एम	**1,946.19**	**–**	1,675.62	–
कार्यों/प्रशासनिक व्ययों में अन्तरित				
संविदा कार्मिको पर व्यय	**5,892.47**		6,028.84	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत तथा ओ एण्ड एम/	**5,892.47**	**–**	6,028.84	**–**
प्रशासनिक व्यय में अन्तरित				
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**16.18**		–
साफ्टवेयर		**148.97**		76.67
कार्यालय उपकरण		**54.58**		58.48
योग		**39,104.49**		**45,172.85**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'29' : अशोध्य ऋण एवं प्रावधान		
पूंजीगत व्यय पर हानि के लिए प्रावधान	**1,961.60**	–
हानि का प्रावधान–आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम	**55.28**	–
स्टॉक में भण्डार आदि के अप्रचलित होने पर हानि का प्रावधान	**48.00**	–
योग	**2,064.88**	**–**
टिप्पणी-'30' : असाधारण मदें		
आकस्मिकता के लिए प्रावधान–सीपीएफ और जीपीएफ ट्रस्ट	**33,444.27**	–
योग	**33,444.27**	–
टिप्पणी-'31' : अस्थगित कर		
अस्थगित कर व्यय / (आय)	**12,308.42**	13,685.40
योग	**12,308.42**	13,685.40
टिप्पणी-'32' : अन्य व्यापक आय		
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नही किया जाएगा।		
बीमांकिक (लाभ) / हानि–सी.पी.एफ.	**4,166.61**	(1,299.25)
कर्मचारी उपादान हेतु प्रावधान[1]		
योग	**4,166.61**	(1,299.25)

[1] चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन आख्या के आधार पर उपादान को लेखों में मान्य किया गया।

टिप्पणी संख्या–33

दिनांक 31.03.2022 के तुलन पत्र एवं तद्दिनांक को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के के साथ संलग्न तथा अंगभूत लेखों पर टिप्पणियाँ

1) (अ) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि॰ (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ अथवा 'कम्पनी') कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में अधिवासित एवं गठित एक कम्पनी है एवं अंशों द्वारा सीमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से कम्पनी को एक राज्य पारेषण उपयोगिता अधिसूचित किया गया हैं।

(ब) जब उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (31.05.2004 को गठित) के पार्षद सीमा नियम के नाम और उद्देश्य वाक्य को 13.07.2006 को बदल दिया गया था, तब कम्पनी अस्तित्व में आयी। कंपनी ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू किया।

(स) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) योजना, 2010 के अधीन दिनांक 01.04.2007 से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ को अलग–अलग कम्पनी के रूप में क्रमशः थोक विद्युत क्रय/विक्रय एवं पारेषण कार्यों को अलग–अलग किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गई योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पारेषण की गतिविधियाँ, आस्तियाँ, दायित्वों और सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित और निबन्धन एवं शर्तों की अवधारणा के लिए अन्तरण योजना जारी की गयी जिसके अनुसार पारेषण उपक्रम (उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰) में राज्य सरकार तथा/या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न किया जाए, सम्पूर्ण आस्तियां, दायित्व व कार्यवाहियां अनन्तिम रूप से पारेषण उपक्रम में निहित होंगी। यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य/परिचालन करना आरम्भ कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

(द) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014 लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 (अधिसूचना सं॰ 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010) के खण्ड–7 सपठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 131 की उप धारा 4 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम,

1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उप धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के अंतरण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 की अनुसूची के स्थान पर अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014, 3 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न अनुसूची के प्रतिस्थापन द्वारा इस अधिसूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 की निबन्धन एवं शर्तों में उपान्तरण, फेरबदल और अन्यथा परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 सभी अभिप्रायों एवं प्रयोजनों के लिए यथा इंगित संशोधनों के साथ अन्तरण स्कीम को अन्तिम कर दिया गया है।

(य) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2974/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गयी योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पारेषण उपक्रम के कार्मिकों एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों के अन्तरण के प्रयोजनार्थ तथा उन निबन्धन एवं शर्तों जिन पर ऐसा अन्तरण किया जाना प्रभावी होगा को अवधारित करने के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना जारी की गयी जिसमें अनन्तिम वर्गीकरण व अन्तरण, कार्मिकों के अन्तिम हस्तांतरण को उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

2) मूर्त आस्तियों को उपयोग से हटाये जाने/उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने/अप्रयोज्य होने पर जबकि उनका ऐतिहासिक मूल्य ज्ञात न हो, ऐसी आस्तियों को अनुमानित मूल्य एवं अवक्षयण लागत के आधार पर लेखों में समायोजित/लेखांकित किया गया है।

3) सभी परिसम्पत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया गया है जिस पर लेनदेन हुआ।

4) विदेशी मुद्रा में आय/व्ययः–

(₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2022** को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2021** को समाप्त वर्ष के लिए
अ) आयात का सीआईएम मूल्य	110.12	
ब) विदेशी मुद्रा में आय	–	
ग) विदेशी मुद्रा में कोई व्यय		
यात्रा व्यय (डालर में)	–	
परामर्श प्रभार (डालर में)	–	
योग	**110.12**	

5) चूंकि कम्पनी सैद्धान्तिक रूप से ऊर्जा के पारेषण का व्यवसाय कर रहा है और भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार अन्य कोई सूचनीय खण्ड नहीं है इसलिए, सेगमेन्ट रिपोर्टिंग पर भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार प्रकटन आवश्यक नहीं है। हांलाकि, एसएलडीसी के लेन–देनों से सम्बन्धित पृथक क्रियाकलापों का प्रकटन विशेष रूप से टिप्पणी 19 में किया गया है।

6) <u>पूँजीगत प्रतिबद्धता, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य परिसम्पत्तियां</u>

(निर्धारणीय तथा गैर प्रावधानित सीमा तक) **(₹ लाख में)**

	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
	सम्भाव्य दायित्व एवं पूँजीगत प्रतिबद्धता		
(i)	पूँजीगत कार्यों के विरूद्ध कार्य कराये जाने हेतु शेष बचे ठेके का अनुमानित मूल्य जिनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया	**2,65,748.73**	1,90,814.00
(ii)	कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया	**1,826.71**	12,642.00
	योग	**2,67,575.54**	2,03,456.00
	सम्भाव्य परिसम्पत्तियां		
(i)	कम्पनी द्वारा दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*	**1,31,681.00**	1,31,681.00
(ii)	अन्य	–	–
	योग	**1,31,681.00**	1,31,681.00

*वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए ट्रू–अप आदेश में ₹ 717.34 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ट्रू–अप आदेश में ₹ 599.47 करोड़ के राजस्व अंतर की अस्वीकृति करने के विरूद्ध एक समीक्षा याचिका दायर की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दायित्व, निगम के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये दावों के साथ–साथ अन्य पक्षों द्वारा दायर दावों, यदि कोई हों, जिनका अभिनिश्चय न किया जा सके, का निस्तारण उनके उद्भूत होने पर किया जाता है।

7) एमएसएमईडी एक्ट, 2006 से आवरित इकाईयों के भुगतान हेतु लम्बित दायित्वों एवं उस पर ब्याज हेतु अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न तो यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ की क्षेत्रीय इकाईयों और न ही अधिनियम से आवरित सम्बन्धित पक्षों द्वारा सूचित है।

8) <u>सम्बन्धित पक्ष की सूचना</u> :–

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार, कम्पनी से सम्बन्धित पक्ष निम्नलिखित है–

(क) <u>सम्बन्धित पक्षों की सूचना (शीर्ष प्रबंधन कार्मिक) :</u>

1. शीर्ष प्रबंधन कार्मिक एवं उनके सम्बन्धी :

नाम	पदनाम	कार्यकाल (वित्तीय वर्ष **2021–22** के लिए)	
		नियुक्ति	सेवानिवृत्ति / समाप्ति **31.03.2022** को
श्री एम॰ देवराज	अध्यक्ष	02.02.2021	कार्यरत
डा॰ सेंथिल पांडियन सी॰	प्रबन्ध निदेशक	10.09.2018	23.07.2021
श्री गुरू प्रसाद पोराला	प्रबन्ध निदेशक	23.07.2021	कार्यरत
श्री पंकज कुमार	प्रबन्ध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं नामित निदेशक	10.03.2021	कार्यरत
श्री अनिल जैन	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	06.05.2020	कार्यरत
श्री अनिल जैन	निदेशक (कार्य और परियोजना)	11.01.2021	कार्यरत
श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)	02.02.2021	कार्यरत
श्री बिभु प्रसाद महापात्रा	निदेशक (वित्त)	16.12.2019	22.05.2021
श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	22.05.2021	कार्यरत
श्री राकेश कुमार सिंह	निदेशक (आपरेशन)	15.07.2019	04.06.2021
डॉ॰ विनोद कुमार खरे	निदेशक (आपरेशन)	04.06.2021	07.10.2021
श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	निदेशक (आपरेशन)	09.10.2021	कार्यरत
डॉ॰ विनोद कुमार खरे	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	16.09.2019	17.10.2021
श्री अजय कुमार पुरवार	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	12.10.2021	कार्यरत
श्री नील रतन कुमार	नामित निदेशक, उ॰प्र॰ सरकार (वित्त)	06.10.2010	कार्यरत
श्री टीएससी बोस	नामित निदेशक (आर॰ई॰सी॰)	18.06.2020	कार्यरत
श्री संजय गुप्ता	नामित निदेशक (पावर ग्रिड)	10.02.2020	30.09.2021
श्री रवीन्द्र नागपाल	नामित निदेशक (पावर ग्रिड)	18.11.2021	कार्यरत
श्री जावेद असलम	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो)	09.09.2020	कार्यरत
श्री अनिल कुमार गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	28.07.2020	कार्यरत
श्री ऋषि टण्डन	कम्पनी सचिव	06.02.2020	कार्यरत

(ख) <u>सम्व्यवहारों :–</u> (धनराशि ₹ में)

विवरण	2021-22	2020-21
	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित
वेतन एवं भत्ते	**1,83,23,159**	1,81,74,894
ग्रेच्युटी / पेन्शन / भविष्य निधि के लिए अंशदान	**8,52,503**	13,69,302
निदेशकों से प्राप्य ऋण	–	–

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशक जिनकी नियुक्ति / मनोनयन उ.प्र. शासन द्वारा उ.प्र.पा.का.लि. के लिए किया गया है तथा उनके पास उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. का अतिरिक्त कार्यभार भी है, ने अपना पारिश्रमिक पात्रतानुसार उ.प्र.पा.का.लि. से प्राप्त किया है।

(घ) कम्पनी के पास राज्य नियन्त्रित उद्यम के अतिरिक्त कोई अन्य सम्बन्धित पार्टी उद्यम नहीं है जिस कारण भारतीय लेखांकन मानक–24 "रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर" के प्रस्तर–25 के दृष्टिगत विवरणों / सम्व्यवहारों का प्रकटीकरण नहीं किया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमो को अन्य सम्बन्धित पक्ष जो स्वयं भी राज्य नियंत्रित उद्यम है के साथ सम्व्यवहारों के प्रकटन से मुक्त करता है। ऐसे राज्य नियंत्रित उद्यमों (आमतौर पर डिस्कॉम्स) के साथ लेन–देन की प्रकृति में व्यापार के सामान्य अवधि में व्हीलिंग शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल है।

9) ₹ 6,598.89 करोड़ अनवशोषित मूल्यह्रास से उत्पन्न अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत चालू वर्ष के लिए लेखांकन लाभ और भविष्य के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दर को देखते हुए, यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध ऐसे अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

10) आधारभूत एवं तनुकृत प्रति अंश आय को लाभ–हानि खाते में भारतीय लेखांकन मानक–33 (ईपीएस) के अनुसार दर्शाया गया है। आधारभूत प्रति अंश आय हेतु वर्ष में कर के पश्चात शुद्ध लाभ / हानि को समता अंशों के भारित औसत से विभाजित करके आगणित किया गया है। प्रति समता अंश तनुकृत आय की गणना करने में समता अंशों की संख्या निर्धारित करने के लिए अंश आवेदन धनराशि (आबंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित हैं।

विवरण	31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(I) <u>आधारभूत ई.पी.एस.</u>	(धनराशि ₹ में)	(धनराशि ₹ में)
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**(55,626)**	(5,054)
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**17,87,16,654**	15,93,49,958
आधारभूत प्रति अंश आय उपार्जन (अ / ब)	**(31.13)**	(3.17)
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000
(II) <u>तनुकृत ई.पी.एस.</u>		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**(55,626)**	(5,054)
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**18,18,35,796**	16,17,13,406
तनुकृत प्रति अंश आय (अ / ब)	**(31.13)**	(3.17)
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000

11) मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण।

(धनराशि ₹ में)

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	**11,08,15,635**	9,48,41,816
शुद्ध ब्याज लागत	**5,53,29,078**	5,39,37,737
मान्य व्यय	**16,61,44,713**	14,87,79,553

ब) वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पी एण्ड एल खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक राशि	–	–
बीमांकिक (लाभ)/देयताओं पर हानि	**41,66,60,581**	(12,99,25,406)
बीमांकिक (लाभ)/सम्पत्ति पर हानि	–	–
अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय ओसीआई में स्वीकृत	**41,66,60,581**	(12,99,25,406)

स) तुलन–पत्र में स्वीकृत राशि

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	**(1,36,17,44,309)**	(79,95,53,155)
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध दायित्व	**(1,36,17,44,309)**	(79,95,53,155)
परिसम्पत्ती हद के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	–	–
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवत (दायित्व)/परिसम्पत्ति	**(1,36,17,44,309)**	(79,95,53,155)

नकदीकरण अवकाश

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय।

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	**9,83,87,741**	6,48,42,201
शुद्ध ब्याज लागत	**15,17,22,626**	15,20,53,656
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**68,21,68,266**	(11,98,83,004)
मान्यता प्राप्त व्यय	**93,22,78,633**	9,70,12,853

ब) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	**2,96,69,92,286**	2,19,25,23,504
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**–**	–
शुद्ध दायित्व	**2,96,69,92,286**	2,19,25,23,504
परिसम्पत्ति सीमा के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	**–**	–
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (देयता)/परिसम्पत्ति	**2,96,69,92,286**	2,19,25,23,504

12) प्रावधानों में संचालन का प्रकटन :

(धनराशि ₹ लाख में)

विवरण	प्रावधानों का संचलन			
	01.04.2021 को अवशेष	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित किये गए प्रावधान	31.03.2022 को अवशेष
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	187	0	0	**187**
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान– ग्राहको से बकाया	0	1,962	0	**1,962**
सी॰डब्ल्यू॰आई॰पी॰ हानि हेतु प्रावधान (परित्याग या अन्यथा के कारण)	199	55	0	**254**
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजीगत)	186	0	0	**186**
भण्डार आदि के स्टॉक के अप्रचलित होने पर हानि का प्रावधान	0	48	48	**0**
योग	572	2,065	48	**2,589**

13) व्यापार प्राप्य बढ़ने की अनुसूची

(धनराशि ₹ में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है	16,99,97,13,059	15,71,55,42,512	30,53,95,43,159	4,10,56,16,673	16,91,72,223	67,52,95,87,626
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य–जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	19,61,59,761	19,61,59,761
योग	**16,99,97,13,059**	**15,71,55,42,512**	**30,53,95,43,159**	**4,10,56,16,673**	**36,53,31,984**	**67,72,57,47,387**

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारीः

ए) एक अचल संपत्ति जो कंपनी के नाम पर नहीं है।

सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित होते हैं) कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

बी) प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत परिभाषित) को व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम नहीं दिए जाते हैं।

सी) सभी चल रहे पूंजीगत कार्यों का आयुवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल का खुलासा नहीं किया जा सका।

डी) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संशोधित) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ई) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

एफ) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

जी) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अन्तर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

एच) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक अवधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या शुल्क की संतुष्टि दर्ज की है।

आई) अनुपात

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 22 को	31 मार्च, 21 को	अन्तर	अन्तर के लिए कारण > 25%
वर्तमान अनुपात	इन्वेंटरी (भंडार और अतिरिक्त)+ व्यापार प्राप्य+ नकद और नकद समतुल्य+अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	उधार+लीज देनदारियाँ+ अन्य वित्तीय देनदारियाँ+ अन्य वर्तमान देनदारियाँ+ प्रावधान	1.23	1.15	7%	–
ऋण समता अनुपात	गैर–वर्तमान उधार +वर्तमान उधार +गैर चालू पट्टा+ दायित्व+वर्तमान पट्टा दायित्व	भुगतान की गई पूंजी+अंश आवेदन आवंटन के लिए लंबित धन+निःशुल्क आरक्षित राशि+ बरकरार रखी गई आय	0.81	0.80	1%	–
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ+ ब्याज+मूल्यह्रास और परिशोधन+ असाधारण वस्तुएँ	ब्याज+मूलधन चुकौती और गैर चालू उधार	0.18	0.19	–5%	–
समता* पर वापसी	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ	समता	–	–	–	–
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत सूची	2.21	2.04	8%	–
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	0.52	0.55	–5%	–

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	1.89	2.90	–35%	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक अंतर में ₹ 510 करोड़ (₹ 868 करोड़– ₹ 357 करोड़) का अंतर
शुद्ध लाभ अनुपात	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	–	–	–	–
नियोजित पूंजी अनुपात पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले लाभ	चुकता पूंजी+ शेयर आवेदन आवंटन के लिए लंबित धन+ निःशुल्क आरक्षित राशि+गैर चालू उधार+गैर चालू पट्टा दायित्व+ चालू उधार+ आस्थगित कर देनदारियां	3%	4%	–25%	–

*समता पर रिटर्न और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ के रूप में नहीं की जाती है।

**व्यापार देय और निवेश पर रिटर्न अनुपात लागू नहीं है।

जे) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों के लेखों में दर्ज नहीं किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या उद्घटित किया गया हो।

के) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	किए गए व्यय की राशि	साल के अंत में कमी	पिछले वर्षों की कुल कमी	कमी के कारण	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति
165.17	165.57	–	–	–	पशु कल्याण, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा को बढ़ावा देना

वित्त वर्ष 2021–22 में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई ₹ 40,000 की अतिरिक्त राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर दायित्वों (यदि कोई हो) के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

एल) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

एम) 'अतिरिक्त नियामक जानकारी' के खंड (ii), (iii), (iv) और (xiii) हमारे मामले में लागू नहीं हैं।

15) वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 2,42,73,36,000 के अंश आवेदन राशि के प्रति समता अंश वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित किये गये है।

16) i) कम्पनी ने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/कम्पनियों को निम्नलिखित भूमि हस्तगत की है :

अ) ताजमहल ईस्ट गेट रोड, आगरा में स्थित पर्यटन विभाग को मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए 5.9 एकड़ भूमि,

ब) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र, नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि,

स) पर्यटन विभाग, इटावा को 2.2250 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा।

ii) कम्पनी ने उपयोग के अधिकार के आधार पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132 केवी एसजीपीजीआई उपकेन्द्र पर स्थित 2380 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है।

17) अंतर कम्पनी अवशेषों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से देय ₹ 403 करोड़ और ₹ 108 करोड़ प्राप्य की राशि शामिल है तथा अंतरों के समाधान के अधीन है, जो एक सतत प्रक्रिया है और उसी के लिए लेखांकन किया जाता है एवं जब किसी कम्पनी के लेखों में जैसा भी मामला हो, किया जाता है।

18) वि॰व॰ 2017–18 से सम्पूर्ण कम्पनी के आई॰यू॰टी॰ सम्व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावशाली नई प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। परिणामतः, वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात कोई भी असमाधानित सम्व्यवहार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व के अन्तर इकाई अवशेष अन्तरों के समाधान के अधीन है जो कि एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका लेखांकन तभी किया जाता है जब कभी सम्बन्धित इकाइयों में से किसी एक की पुस्तकों में, जैसा मामला हो, यह पाया जाता है।

19) उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्र संख्या 108/24–उ.नि.नि.प्रा./22–525/2008 टीसी दिनांक 22.07.2022 के अनुपालन में कंपनी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की इकाई एसएलडीसी कंपनी से अलग हो गयी है और सीआईएन संख्या यू40106यूपी2022एसजीसी169330, पैन संख्या एएडीसीयू1676क्यु एवं टैन संख्या एलकेएनयू07835सी के साथ 22.08.2022 से एक नई कंपनी ''यू॰पी॰एस॰एल॰डी॰सी॰ लिमिटेड'' शामिल की गई है।

20) यूपी पावर कॉरपोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट द्वारा डी॰एच॰एफ॰एल॰ की सावधि जमा में किए गए कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि योगदान के निवेश के कारण संभावित हानि के विरूद्ध ₹ 334.44 करोड़ का प्रावधान लेखों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर किया गया है।

21) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 115बीएए का विकल्प चुना है, जहां कम्पनी की कुल आय के सम्बन्ध में देय आयकर की गणना बाईस प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर को जोड़कर की जायेगी, जबकि इस तरह के विकल्प को अपनाने से पहले निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर की दर तीस प्रतिशत तथा लागू अधिभार और उपकर जोड़कर था।

22) पूर्व वर्ष के आंकड़ो का यथोचित पुनर्समुहीकरण/पुनर्वर्गीकरण/पुनर्आगणन किया गया है।

23) तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियों में दिखाए गए आंकडे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निकटतम लाख ₹ में पूर्णांकित किये गये है।

24) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ विशिष्ट रूप से पहली बार अभिग्रहण हेतु उपयुक्त रूप से संशोधित की गई है, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है।

25) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल द्वारा 29 अगस्त, 2022 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

–ह॰–
(श्रवण बब्बर)
उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰
(वित्त एवं लेखा)

–ह॰–
(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–03473420

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह॰–
(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

–ह॰–
(आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

25) 31.03.2022 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2021 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
<u>परिसम्पत्तियाँ</u>					
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	21,50,946.79		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(0.01)		
		कार्मिक लागत	(3.39)		
		ह्रास	4,623.10		
			–	4,619.70	21,55,566.49
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	7,95,832.17		–		
		अन्य आय	214.94		
		मरम्मत और अनुरक्षण	104.76		
		कार्मिक लागत	(1,353.44)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(119.70)		
			–	(1,153.44)	7,94,678.73
अन्य अमूर्त सम्पत्ति	417.47		–		
		ह्रास	31.24		
			–	31.24	448.71
अन्य वित्तीय सम्पत्ति			–		
		अन्य आय	(0.01)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	0.01		
		पुनर्वर्गीकरण	4,063.45		
			–	4,063.45	4,063.45
अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	2,969.76		–		
			–	–	2,969.76
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	454.34		–		
			–	–	454.34
2. चालू परिसम्पत्तियाँ					
सूचियाँ (भण्डार एवं संयंत्र)	1,60,791.32		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	105.57		
			–	105.57	1,60,896.89
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			–		
व्यापारिक प्राप्तियाँ	6,35,762.13	विद्युत बिक्री से राजस्व	(9.53)		
			–	(9.53)	6,35,752.60
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	65,475.64		–		
		अन्य आय	(56.19)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(252.91)		
		कार्मिक लागत	(72.95)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	5.60		
		पुनर्वर्गीकरण	(2.89)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(0.20)	(379.54)	65,096.10
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	39,936.76				
		अन्य आय	20.07		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(8.31)		
		कार्मिक लागत	7.38		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	28.25		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(4,060.54)		
			–	(4,013.15)	35,923.61

25) 31.03.2022 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2021 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
समता एवं दायित्व			–		
समता			–		
समता अंश पूंजी	17,52,314.05		–		
			–	–	17,52,314.05
अन्य समता (एसओई देखे)	1,05,488.55		–		
		अन्य आय	715.74		
		01-04-2019 को पुर्नस्थापन का प्रभाव	4,295.30		
		लाभ / (हानि) का शुद्ध पुर्नस्थापन	(1,530.21)	3,480.83	1,08,969.38
दायित्व			–		
1. गैर चालू दायित्व			–		
वित्तीय दायित्व			–		
उधारियाँ	11,82,214.38		–		
			–	–	11,82,214.38
पट्टा दायित्व	–		–		
		पुनर्वर्गीकरण	97.23		
			–	97.23	97.23
प्रावधान	28,439.77		–		
			–	–	28,439.77
अन्य गैर चालू दायित्व	97.23	पुनर्वर्गीकरण	(97.23)	(97.23)	0.00
2. चालू दायित्व			–		
वित्तीय दायित्व	–		–		
उधारियाँ	–		–		
		पुनर्वर्गीकरण	1,45,492.48		
			–	1,45,492.48	1,45,492.48
पट्टा दायित्व	–				
		पुनर्वर्गीकरण	6.05		
			–	6.05	6.05
अन्य वित्तीय दायित्व	1,69,242.13		–		
		पुनर्वर्गीकरण	(1,45,492.49)		
			–	(1,45,492.49)	23,794.64
अन्य चालू दायित्व	6,13,309.27		–		
		अन्य आय	(62.32)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(176.51)		
		कार्मिक लागत	33.42		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(31.80)		
		पुनर्वर्गीकरण	(6.05)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	20.69	(222.57)	6,13,086.70
प्रावधान	1,481.00		–		
			–	–	1,481.00
पुर्न स्थापन का शुद्ध प्रभाव			**–**	**(0)**	**0.00**

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–

(श्रवण बब्बर)

उपमहाप्रबन्धक एवं सी॰एफ॰ओ॰

(वित्त एवं लेखा)

–ह॰–

(निधि कुमार नारंग)

निदेशक (वित्त)

डीआईएन–03473420

–ह॰–

(आंचल रस्तोगी)

साझीदार

स॰सं॰ 076935

फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

–ह॰–

(ऋषि टण्डन)

कम्पनी सचिव

–ह॰–

(पी॰ गुरूप्रसाद)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन–07979258

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 26.09.2022

आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय : 4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010 (भारत)

दूरभाष : +91 522 4043793, 2304172
ईमेल : आरएमएलएएलएलसीओ@आरएमएलएएलएलसीओ.काम

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन,
लखनऊ।

एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

मर्यादित अभिमत :

हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (''एकल वित्तीय विवरणों'') जिसमें छः पारेषण परिक्षेत्रों (''परिक्षेत्रों'') के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और हानि, अन्य व्यापक आय सहित, इसके हानि, इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समता में परिवर्तन को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।

परिमित अभिमत का आधार :

हम 'अनुलग्नक–I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले :

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' के अलावा इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी सम्प्रेक्षा में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख सम्प्रेक्षा के मामले नहीं हैं।

विषय का महत्व अनुच्छेद :

यूपी पावर कॉरपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने अधिशेष संचित निधि को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सावधि जमा में निवेश किया। उक्त कंपनी के दिवालिया होने के कारण, इसमें निवेश की गई राशि, अप्राप्त ब्याज और उस पर अनुमानित ब्याज सहित नष्ट हो गई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि डीएचएफएल में खोई गई राशि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड डिस्कॉम, यूपी राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड से ट्रस्ट द्वारा उनके जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के अनुपात में प्राप्त की जाएगी। ।

इस संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 33,444.27 लाख का प्रावधान किया है और असाधारण मद के रूप में वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। इसे निदेशक मंडल द्वारा 29-08-2022 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है (टिप्पणी संख्या 33 अनुच्छेद 20 देखें)।

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें :

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाएँ सम्मिलित हैं किन्तु एकल वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन को इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उपर्युक्त अभिज्ञात अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा में प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है।

जब हम उपरोक्त अभिज्ञात प्रतिवेदन को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों से संप्रेषित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करेगें।

एकल वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :

अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन एकल वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, रोकड़ प्रवाह एवं समता में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन, ऐसे अनुमान एवं निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो, हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत् व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।

ऐसे शासन प्रभारित लोग कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण

उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।

एस॰ए॰ के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :–

- एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।
- ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटन समेत एकल वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।

एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।

हम नियंत्रण प्रभारियों को विवरण प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।

नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।

अन्य मामले :

कम्पनी के एकल वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र (एल॰सी॰:11 एवं 12), गोरखपुर परिक्षेत्र (एल॰सी॰:13 एवं 14), लखनऊ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 15, 16 एवं 17), मेरठ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 18 एवं 19), आगरा परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 20 एवं 21) और झांसी परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 22 एवं 23) में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एवं प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2021 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III (ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।
3. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर सूचित करते है कि :

अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।

स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।

द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों तथा परिक्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों जहाँ हमारे द्वारा यात्रा व सम्प्रेक्षा नहीं की गई से मेल खाते है।

य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सपठित निर्गत संगत नियम का अनुपालन करते हैं।

र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–

i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी।

iii. कोई राशि नहीं थी जिसे निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।

iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित में कोई फंड अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ यह करेगा :

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'')को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दें या निवेश करें।
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करे।

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी यह करेगीः

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार दे या निवेश करे या
- अंतिम लाभार्थियों से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

(सी) निष्पादित सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नीचे दिए गए अभ्यावेदन में उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
यूडीआईएन : 22076935एवीईयूएई9835

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ऐसी जांचें जो हमनें उपयुक्त मानी हैं के आधार पर तथा हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

1. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अर्न्तगत अधिसूचित अधोलिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया हैः

   अ. व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–9), अन्य चालू आस्तियां (टिप्पणी–11) और अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी–20) को चालू आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, में अवशेष सम्मलित है, जिसका नकदीकरण एवं निस्तारण गत वित्तीय वर्षों से लम्बित है तथा पर्याप्त जानकारी के आभाव में वसूली/निपटान के लिए बकाया शेष राशि वर्ष की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अन्दर उन्हें गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के कारण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानक 1 के साथ असंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मौजूदा चालू आस्तियाँ/देनदारियाँ अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ अवमूल्यित है।

   ब. टिप्पणी–8 भण्डार–(अ) सामग्री का भण्डार–पूंजीगत कार्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंश के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्य, मापित और उद्घाटित नहीं किया गया है।

   स. टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या–2 (VI)(एफ) द्वारा आवरित बीमा और अन्य दावों की मान्यता, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज, कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज और आय के अन्य मद को नकद आधार पर शामिल किया गया है। यह वित्तीय विवरणों भारतीय लेखांकन मानक 1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

   द. कर्मचारी लाभ का लेखांकन : जी॰पी॰एफ॰ योजना से आवरित कर्मचारियों के उपादान दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया गया है (संदर्भ टिप्पणी 24 का नितल टिप्पणी 1)। यह भारतीय लेखांकन मानक–19 के साथ असंगत है।

   य. कंपनी द्वारा सम्पत्ति के क्षरण का आकलन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक–36 की परिसम्पत्ति के क्षरण के साथ असंगत है।

   र. वित्तीय परिसंपत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–9), कर्मचारियों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰), प्राप्य (टिप्पणी–11) को भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है (टिप्पणी –1 का अनुच्छेद 2(XII) ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' देखें) और भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय साधनों में आवश्यक उचित प्रकटीकरण इसके लिए नहीं किया गया है। (टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 3 ''लेखों पर टिप्पणियाँ'' देखें)

2. स्वामित्व/भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिकार और भवनों के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए स्वामित्व के साथ–साथ अवशेषों की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को हस्तांतरित की है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।(टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 16)

4. कंपनी ने ताजमहल, ईस्ट गेट रोड पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।(टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 16)

5. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर की अपनी भूमि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है। (टिप्पणी–33 का अनुच्छेद 16)

6. ₹ 25287.59 लाख़ की राशि के अंतर इकाई अंतरण, (टिप्पणी–11 और 33 के अनुच्छेद 18 देखें) समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

7. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (टिप्पणी–3), व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–9), कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰) और कर्मचारियों और अन्य से प्राप्तियां (टिप्पणी–11), पूंजी के लिए देयता/ओ॰ एंड एम॰ आपूर्तिकर्ता/कार्य, आपूर्तिकर्ताओं से जमाए, डिस्कॉम्स, विद्युतीकरण कार्य, पीएसडीएफ, अंतर कम्पनी अवशेष (टिप्पणी–20) पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

8. यह देखा गया कि पक्षवार व खातावार सहायक बहीखातों का रखरखाव और खातों की प्राथमिक पुस्तकों यानी रोकड़ बही और अनुभागीय जर्नल के साथ इसका मिलान उचित और प्रभावी नहीं है।

9. टिप्पणी–29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के अनुच्छेद 6 में प्रकट सम्भाव्य दायित्व के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त अभिलेखीय लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान नहीं किए गए।

10. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी–1 के अनुच्छेद 2(II)(सी) में जमा कार्य के लिए प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को आयगत आय (गैर टैरिफ आय) के रूप में माना गया है और दूसरी ओर इसे पूंजीगत संचय में जमा करके पूंजी प्राप्ति के रूप में भी माना गया है। सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, जब प्राप्ति और संबंधित खर्चों को आयगत प्रकृति के रूप में माना गया है, तो इसे फिर से पूंजी प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए, पूंजीगत संचय और पूंजीगत व्यय दोनों को ₹ 3665.74 लाख़ से अधिमूल्यित है।

11. ₹ 6,95,180.87 लाख के सीडब्ल्यूआईपी के विरुद्ध (टिप्पणी सं॰ 3), एजिंग शेड्यूल नहीं दिया गया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं (टिप्पणी 33(14)(सी))।

12. परिक्षेत्रों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उन्हें छोड़कर जिन्हें अंकेक्षण में कहीं और उचित रूप से निपटाया गया है :

i) प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसी : 11 और 12)

अ. भण्डार सामग्री (एजी–22) में ''भण्डार सामग्री आधिक्य/कमी लंबित जांच'' शामिल है जो समाधान और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के लिए बहुत समय से पुराने लंबित पड़े हैं। इकाईवार भण्डार सामग्री आधिक्य का विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	इकाई का नाम	नवीन एलसी	शीर्ष खाता	धनराशि (₹ में)
1	ई.765 केवी उपकेन्द्र, अनपरा	113	22.810	64,78,120.17 करोड़

ब) ₹ 61.48 करोड़ दस वर्ष पुराने पूंजीगत कार्य के संबंध में ऐसे कार्य जहां ठेकेदारों के साथ विवादों के कारण काम बंद करना पड़ा है और अभी तक फिर से शुरू नहीं किया गया है। परियोजना की लागत ऐसी बंद परियोजनाओं से जुड़े जोखिम और दायित्व के अधीन है।

ii) गोरखपुर परिक्षेत्र (एलसी 13 और 14)

सामग्री स्टॉक (एजी–22), में ''सामग्री स्टॉक अधिक/कम जांच के लिए लंबित'' पुराना शामिल है जो समाधान और उससे उत्पन्न होने वाले आवश्यक समायोजन, के अधीन है।

iii) लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 15, 16 और 17)

परिक्षेत्र में ₹ 355.32 करोड़ का भण्डार सामग्री है, हालांकि संबंधित इकाइयों द्वारा केवल मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन मूल्यांकन के साथ भण्डार अभिलेख सम्प्रेक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थे और वित्तीय वर्ष के अंत के भण्डार के मूल्यांकन के मदवार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

iv) मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 18 और 19)

अ) परिक्षेत्र ने ट्रांसमिशन इकाइयों के तहत ₹ 62.71 करोड़ और सिविल इकाइयों के तहत ₹ 0.05 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिया था और ट्रांसमिशन और सिविल परिक्षेत्र के सामग्री भण्डार खाते में, संपत्ति के त्याग के महीने तक मूल्यह्रास चार्ज करने के बाद, क्रमशः ₹ 40.72 करोड़ और ₹ 0.005 करोड़ दिखाया है। हमारे अभिमत में ऐसी विधि परिसंपत्तियों के क्षरण इंडएएस–36 और इन्वेंट्री के इंडएएस–2 का उल्लंघन है। परित्यक्त आस्तियों का मूल्य और ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास परिक्षेत्र में संपूर्ण अभिलेखों के अभाव में अचल संपत्ति अनुसूची से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

ब) परिक्षेत्र ने पारेषण खण्ड और जानपद खण्ड में पूंजीगत डब्लूआईपी में क्रमशः ₹ 518.03 करोड़ व ₹ 113.77 करोड़ की धनराशि दिखाई थी और ऐसे सीडब्ल्यूआईपी में से उस परियोजना के पूरा होने में देरी का कोई कारण ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया है जो ₹ 118.24 करोड़ और ₹ 45.23 करोड़ से 3 साल पहले शुरू की गई थी। इसलिए उपयुक्त प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

स) सीडब्ल्यूआईपी मूवमेंट यानी, वर्ष की शुरुआत, वर्ष के दौरान किए गए कार्य, पूंजीकरण और समापन का कार्यवार अवशेष विवरण सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था और केवल 31.03.2022 तक सीडब्ल्यूआईपी का समापन शेष और एजिंग उपलब्ध था। परिक्षेत्र में सीडब्ल्यूआईपी में पारेषण खण्ड और जानपद खण्ड में क्रमशः ₹ 245.31 करोड़ और ₹ 47.30 करोड़ 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, सीडब्ल्यूआईपी की वर्तमान स्थिति के अभाव में हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

द) परिक्षेत्र पारेषण खण्ड में ₹ 348.35 करोड और जानपद खण्ड में ₹ 0.001 करोड़ की इन्वेंट्री दिखा रहा है। सत्यापन के लिए कोई इन्वेंटरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और परिक्षेत्र द्वारा इन्वेंटरी का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अभाव में हम इन्वेंट्री के मूल्यांकन, धीमी/गैर–चलती इन्वेंट्री की पहचान और इन्वेंट्री के अस्तित्व को सत्यापित करने में असमर्थ हैं इसलिए हम इन्वेंट्री की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। परिक्षेत्र इस संबंध में इंडएएस–2 का पालन नहीं कर रहा है।

य) परिक्षेत्र को विभिन्न सरकार/गैर सरकारी संगठन से विभिन्न कार्यों को करने के लिए ट्रांसमिशन इकाइयों में ₹ 577.88 करोड़ जमा/अनुदान प्राप्त हुआ था। सरकारी अनुदान के संबंध में इंडएएस–20 का भी परिक्षेत्र द्वारा पालन नहीं किया गया है। समाधान के समय उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, इस स्तर पर पर पता लगाने योग्य नहीं है।

र) लीज किराया/ भूमि के उपयोग पर किराए के लिये ₹ 0.76 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। कंपनी ने लीज के लेखांकन के लिए इंडएएस–116 का पालन नहीं किया था।

ल) कंपनी की लेखांकन नीति में परिभाषित व्यक्तिगत संपत्ति के अनुसार मूल्यह्रास चार्ज करने के बजाय संपत्ति की श्रेणी के आधार पर संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, जो बचाव मूल्य को 10% बनाए रखने और कुल लागत का अधिकतम 90% मूल्यह्रास प्रभारित करने की नीति निर्धारित करता है ।

13. पूरी जानकारी के अभाव में, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 12 तक और इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
यूडीआईएन : 22076935एवीईयूएई9835

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

i) (अ) क) कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

ख) कम्पनी ने अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

ब) कम्पनी द्वारा आगरा व झांसी परिक्षेत्र के सिवाय सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही, सिवाय आगरा व झांसी परिक्षेत्र के जहां सम्प्रेक्षको द्वारा निम्नवत प्रतिवेदित किया गया है :–

आगरा परिक्षेत्रः

''जैसा कि हमें बताया गया, पारेषण परिक्षेत्र (दक्षिण पश्चिम) की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल पर कराया गया है।''

झांसी परिक्षेत्रः

''जैसा कि हमें बताया गया, पारेषण परिक्षेत्र (दक्षिण मध्य) की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल पर कराया गया है।''

स) आगरा व झांसी परिक्षेत्र को छोड़कर, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।

द) क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का पुनर्मूल्यांकन कंपनी पर लागू नहीं है (टिप्पणी–1 अनुच्छेद 2.1 ई देखें)।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

य) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संशोधित) और वित्तीय वर्ष के अंत में उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।(टिप्पणी–33(एफ) देखें)।

ii) (अ) i) भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है।

ii) लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर व प्रयागराज परिक्षेत्रों के सम्प्रेक्षको ने निम्नवत सूचित किया हैः–

मेरठ परिक्षेत्र

इन्वेंट्री खंड के भौतिक सत्यापन के अभाव में 10% या उससे अधिक की किसी भी विसंगति के उपचार के सम्बन्ध में पता लगाना संभव नहीं है।

लखनऊ

हम इन्वेंट्री के मूल्यांकन भाग पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह मात्रा के भौतिक सत्यापन के साथ प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है।

गोरखपुर एवं प्रयागराज परिक्षेत्र

''हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन प्रबंधन (इकाइयों के एसडीओ) द्वारा किया गया है। भौतिक रूप से सत्यापित अवशेष राशि की तुलना बुक बैलेंस के साथ की जानी चाहिए, विसंगतियों की पहचान करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और उनका समाधान किया जाना चाहिए। प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने वाले भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को इकाइयों के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार मजबूत करने की आवश्यकता है। चूंकि इकाईया/परिक्षेत्र भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख रखाव नहीं कर रही, हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या भण्डार सामग्री के भौतिक और बुक बैलेंस के बीच विसंगतियों को लेखा पुस्तकों के भीतर ठीक से निपटाया गया है''

इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है।

ब) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी समय के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझीदारी या अन्य पक्षों में निवेश नहीं किया है, कोई प्रत्याभूति या सुरक्षा नहीं प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई संरक्षित या असंरक्षित ऋण, कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। अनुच्छेद 3(iii) का ''आदेश'' लागू नहीं है।

iv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानानुसार कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति नहीं प्रदान की है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iv) का ''आदेश'' लागू नहीं है।

v) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी जमा (मानी गई जमा सहित) को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(v) का ''आदेश'' लागू नहीं है।

vi) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा बनाये गए है। हालांकि हमने इसका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

vii) अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर अविवादित वैधानिक बकाया वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया उपयुक्त प्राधिकारी को जमा करने में नियमित है।

ब) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देयताएं, उपयुक्त प्राधिकारियो को निम्नलिखित बकाये को छोडकर बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये है:

अधिनियम का नाम	बकाये का नाम	धनराशि (₹)	अवधि जिससे राशि सम्बन्धित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	32,49,201.00	2014–15 से 2017–18	इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज
सिविल प्रक्रिया संहिता, 2008	व्यय	29,87,847.79	1986–87	इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज
वैट	यूपी वैट	2,22,91,317.00	2011–12 से 2012–13	उप आयुक्त विभाग, वाराणसी
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,73,045.00	2011–12	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) विभाग, वाराणसी
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,42,678.00	2012–13	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) विभाग, वाराणसी
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	47,75,873.00	2014–15	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) विभाग, वाराणसी
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	46,91,721.00	2015–16	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) विभाग, वाराणसी

viii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने साल के दौरान किसी भी लेनदेन को सरेंडर या प्रकटित नहीं किया है, जो पहले आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में लेखा पुस्तकों में आय के रूप में दर्ज नहीं था। तदनुसार, ''आदेश'' के परिच्छेद 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

ix) अ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किसी ऋणदाता के ऋणों या अन्य उधारी की अदायगी अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ब) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया।

स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

द) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधि का उपयोग लंबी अवधि उद्देश्य.के लिए नहीं किया गया है।

य) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों सहयोगी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

र) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतिया गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं उठाया है।

x) अ) उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी गयी। तदनुसार, अनुच्छेद 3(xअ) का ''आदेश'' लागू नहीं है।

ब) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो परिवर्तनीय ऋणपत्र पूर्णतः या अंशतः या वैकल्पिक परिवर्तनीय में परिवर्तित किये गये हैं। तदनुसार, अनुच्छेद 3(xब) का ''आदेश'' लागू नहीं है।

xi) अ) एकल वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या प्रतिवेदित नहीं की गई है।

ब) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है

स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्हिसिल–ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं की गई हैं;

xii) कंपनी निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश का वाक्य 3(xii) लागू नहीं है।

xiii) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहाँ भी लागू है के अनुपालन में हैं, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) अ) कंपनी के पास उस के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

ब) लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

xv) प्रबन्धन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

xvi) अ) हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई॰ए॰ के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

ब) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना किसी भी गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन कंपनी ने नहीं किया है।

स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

द) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चूंकि कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए पैरा 3(xvi डी) लागू नहीं है।

xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक के इस्तीफे का कोई मामला सामने नहीं आया है।

xix) एकल वित्तीय विवरण के नोट 33 (i) में बताए गए वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, बोर्ड के निदेशकों और प्रबंधन योजनाओं के अनुसार लेखा परीक्षक के ज्ञान के आधार पर, हमारी राय में ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

xx) अ) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का दूसरा परंतुक, के अनुपालन में कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर हस्तांतरित नहीं की है।

ब) किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत व्यय न की गई कोई धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

xxi) चूँकि कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कारो 2020 के अनुच्छेद 3 का परिच्छेद (xxi) लागू नहीं है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
यूडीआईएन : 22076935एवीईयूएई9835

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र. सं.	निर्देश	अभ्युक्ति
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	आई॰टी॰ प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संशोधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है। सेक्शनल जर्नल्स अन्तर्गत एस॰जे॰1, एस॰जे॰2, एस॰जे॰3 और एस॰जे॰4 तथा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है, लेकिन बहीखातों/उप बहीखातों का रखरखाव नहीं किया जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय आरोपण के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना एवं ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र के समप्रेक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
यूडीआईएन : 22076935एवीईयूएई9835

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वि॰व॰ 2021-22 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.33% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ ने वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.33% की है जो कि राज्य आयोग द्वारा वि॰व॰ 2021-22 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत है।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि

क्र. सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
	उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार दिखाते हुए कुल व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
यूडीआईएन : 22076935एवीईयूएई9835

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

अनुलग्नक–IV

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के वाक्य (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण पर प्रतिवेदन।

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी सम्प्रेक्षा के साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये उ॰प्र॰ पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो का सम्प्रेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश लेख टिप्पणी में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चत करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।

सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर (दिशानिर्देश लेख) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हुए माने गये है तथा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू सीमा तक दोनों ही आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा दोनो ही भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत किये गये हैं। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।

हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की

कार्यसाधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य

कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय प्रपत्रों की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

प्रबन्धकीय कमियों, नियंत्रण के लंघन तथा आपसी साँठ–गाँठ की सम्भावनाओं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिग की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा सम्भव है कि त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण सारभूत मिथ्याकथन विद्यमान हों जिनका पता न लग पाया हो। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आंकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियो या कार्यप्रणालियों के अनुपालन की कोटि/श्रेणी विकृत कर सकता है।

अभिमत

हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2022 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।

अ) प्रयागराज और गोरखपुर परिक्षेत्र

(i) परिक्षेत्र की सभी इकाइयों में बैंकिंग और नकद लेनदेन पर दोहरा नियंत्रण आवश्यक है,

(ii) किसी विशेष तिथि पर रोकड़ शेष का पता लगाने के लिए रोकड़ बही के दैनिक नकद अवशेष की संस्तुति की जाती है।

ब) **प्रयागराज परिक्षेत्र**

(i) अग्रिमों, देनदारियों, जमाओं, अंतर इकाई लेनदेन/अवशेष राशि से संबंधित उच्च मूल्य वाले पुराने शेषों से संबंधित आवधिक समीक्षा, लेखांकन और समायोजन।

(ii) उच्च मूल्य के अनुबंध कार्यों की उचित स्तर पर समय–समय पर समीक्षा, पूर्ण लेकिन लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना/बंद करना और अग्रिमों आदि के समायोजन के साथ संबंधित सामग्रियों के लिए लंबित लेखांकन।

(iii) कच्चे माल और तैयार माल का भौतिक सत्यापन उसी इकाई/विभाग के व्यक्तियों के बजाय एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

स) **लखनऊ परिक्षेत्र**

(i) परिक्षेत्र में भण्डार सामग्री के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। भण्डार का केवल मात्रात्मक भौतिक सत्यापन किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में वस्तुवार भण्डार सामग्री का मूल्यांकन तैयार नहीं किया जाता है।

(ii) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के साथ सुलह और/या शेष राशि की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं है और कुछ मामलों में लेखें प्रतिकूल शेष राशि को दर्शाते हैं। यह संभावित रूप से एमटीबी में आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के अवशेषों के मिथ्याकथन का परिणाम हो सकता है।

(iii) इकाई/क्षेत्र स्तर पर अंतर–इकाई खातों के समाधान की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले प्रारंभिक बकाया राशि का बड़ा भाग लम्बित है।

(iv) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं पर कार्यवाही में सुधार की आवश्यकता है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आंचल रस्तोगी)
साझीदार
स॰सं॰ 076935
यूडीआईएन : 22076935एवीईयूएई9835

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 26.09.2022

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–II), उ॰प्र॰
''आडिट भवन'', टीसी–35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सत्यमेव जयते

पत्रांकः म॰ले॰ (ऑडिट–II)/ए॰एम॰जी॰–II/लेखा/ट्रांसमिशन/2021-22/डी168 दिनांक : 13.07.2023

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ।

महोदय,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

यह रिपोर्ट लेखापरीक्षिती द्वारा दी गयी एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बनायी गयी है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश लेखापरीक्षिती की किसी भी गलत सूचना और/अथवा गैर जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीया,

–ह॰–
(शैलेश अग्रवाल)
वरि॰ उपमहालेखाकार/एएमजी–II

संलग्नक : यथोपरि

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के माध्यम से किया गया होना इंगित है।

मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है।

मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :

अ. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

गैर चालू परिसम्पत्तियां

सम्पत्ति संयत्र एवं उपकरण (नोट–2) : ₹ 23,772.40 करोड़

संदिग्ध व्यापार प्राप्य – शून्य

1. उपरोक्त में किदवई नगर में 220 केवी सबस्टेशन और पनकी–सी थर्मल पावर प्लांट में बीएचईएल यार्ड में तीन मुख्य गैन्ट्री में चल रहे कार्य की लागत ₹ 33.38 करोड़ शामिल है, जिसे उक्त कार्यों/परियोजनाओं को चालू किए बिना गलत तरीके से पूंजीकृत किया गया था।

   इसके परिणामस्वरूप संपत्ति संयंत्र और उपकरण का अधिक विवरण और पूंजीगत प्रगतिशील कार्य का प्रत्येक ₹ 33.38 करोड़ कम बताया गया।

ब. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

2. कंपनी ने 400 केवी सबस्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन में द्विपक्षीय ट्रांसमिशन शुल्क के संबंध में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को ₹ 48.79 करोड़ की धनराशि का भुगतान (जून 2022) किया, वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में क्रमशः बागपत, शाहजहाँपुर और सोहावल का लेखा–जोखा रखा गया।

कंपनी ने विरोध के अन्तर्गत पीजीसीआईएल की राशि का भुगतान किया और विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सीईआरसी के उक्त आदेशों के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर निर्णय लंबित था। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के खातों के नोट्स में इस महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक
की ओर से
–ह०–
(संजय कुमार)
महालेखाकार

स्थान : लखनऊ
दिनांक :

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–II), उ०प्र०
''ऑडिट भवन'', टीसी–35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सत्यमेव जयते

पत्रांकः म०ले० (ऑडिट–II)/ए०एम०जी०–II/लेखा/ट्रांसमिशन/2021-22/डी172 दिनांक : 14.07.2023

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ।

विषय : 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रबंधकीय पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा संपादित की गयी है। लेखों पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु आपत्तियां इस पत्र के साथ संलगन है।

इस सम्बन्ध में प्रबंधन द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा आगामी वर्ष की लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी। यदि प्रबंधन ने त्रुटियों पर सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की होगी तो उक्त लेखाओं पर आपत्ति प्रस्तावित की जाएगी।

भवदीय,

–ह०–
(शैलेश अग्रवाल)
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/एएमजी–III

संलग्नक : यथोपरि

सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक खातों पर अवलोकन की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रबंधन पत्र संख्या पत्रांकः
म॰ले॰(ऑडिट–II)/एएमजी–II/लेखा/ट्रांसमिशन/2021-22/172 दिनांक 14-07-2023 का अनुलग्नक

तुलन पत्र

संपत्ति

गैर तात्कालिक परिसंपत्ति

संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण ₹ 23,772.40 करोड़ (टिप्पणी–2)

1) उपरोक्त में बीओडी निर्णय (अगस्त 2019) के उल्लंघन में पर्यवेक्षण शुल्क का ₹ 6.60 करोड़ अतिरिक्त पूंजीकरण शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' और 'पूंजी रिजर्व' में से प्रत्येक का विवरण ₹ 6.60 करोड़ से अधिक हो गया।

लाभ एवं हानि का विवरण

व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय ₹ 521.60 करोड़ (टिप्पणी–24)

2) उपयोग के लिए उपलब्ध संपत्ति अर्थात भूमि, फर्नीचर कंप्यूटर आदि से संबंधित पूंजीगत व्यय पर कर्मचारी लागत न वसूलने के संबंध में कंपनी की नीति का उल्लंघन करते हुए, 132 केवी सबस्टेशन कैराना और 132 केवी सबस्टेशन बिलोचपुरा की भूमि लागत के संबंध में ₹ 0.35 करोड़ की कर्मचारी लागत का पूंजीकरण किया।

इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय को कम बताया गया और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ₹ 0.35 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष का घाटा भी उसी सीमा तक समझा गया।

वरिष्ठ सम्प्रेक्षा अधिकारी/ए॰एम॰जी॰–II

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
7/581/10, सेक्टर–7, विकास नगर, लखनऊ–226 022
मोबाईल : 7355060301, ईमेल : एमएआरडीएएनएस59@जीमेल.काम

फार्म नं॰ एम आर–3

सचिवीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं॰–9 के अनुसार।

दिनांक 31-03-2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,

सदस्यगण,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
सी॰आई॰एन॰–यू40101यूपी2004एसजीसी028687

मेरे द्वारा उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, (एतद्वारा कम्पनी से सम्बोधित) में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कम्पनी में अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय सम्प्रेक्षण किया गया है। सचिवीय सम्प्रेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे मुझे निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने तथा उक्त मूल्यांकन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की लेखों, दस्तावेज, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न एवं कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेख एवं कंपनी के संचालन के दौरान, कंपनी इसके अधिकारियों, सचिवीय सम्प्रेक्षक द्वारा संचालित एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली सम्प्रेक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन हैं–इसके बाद ढंग से की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसके अधीन तंत्र मौजूद है:

मैंने प्रावधानों के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (''कंपनी'') द्वारा रखी गई लेखों, दस्तावेजों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमय

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियमः– लागू नहीं

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम – लागू नहीं

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
7/581/10, सेक्टर–7, विकास नगर, लखनऊ–226 022
मोबाईल : 7355060301, ईमेल : एमएआरडीएएनएस59@जीमेल.काम

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम :– लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः – लागू नहीं

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 :– लागू नहीं

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 :– लागू नहीं

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 200ः– लागू नहीं

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 :– लागू नहीं

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण)

(एफ) विनियम, 2008 :– लागू नहीं

(जी) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 :– लागू नहीं

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 एवं :–लागू नहीं

(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 :– लागू नहीं

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(जे) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः

<u>टिप्पणी</u> :–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2021 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। वार्षिक साधारण सभा 30.09.2021 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में कम्पनी विफल रही है।

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
7/581/10, सेक्टर–7, विकास नगर, लखनऊ–226 022
मोबाईल : 7355060301, ईमेल : एमएआरडीएएनएस59@जीमेल.काम

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि इस सम्प्रेक्षा में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित करते हुए प्रभावी वित्तीय अधिनियमों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इस विषय पर सांविधिक सम्प्रेक्षक तथा अन्य नामित पेशेवर के स्तर पर समीक्षा की जानी है।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि उपरोक्त कथनों के प्रतिबन्धाधीन कम्पनी के निदेशक मण्डल का स्वरूप कार्यपालक निदेशक, एवं गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन के साथ उपयुक्त रूप से गठित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के स्वरूप में जो भी परिवर्तन हुए वे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही किए गए है। समस्त निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठकों के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना दी गई है। एजेण्डा तथा एजेण्डा पर विस्तृत नोट पहले से ही प्रेषित कर दिये गये थे तथा बैठक को सार्थक प्रतिभागिता हेतु बैठक से पूर्व ऐजेण्डा बिन्दुओं पर और ज्यादा सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है। निदेशक मण्डल की बैठकों मे प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित करते हुये कार्यवृत्त में दर्ज किया गया।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि कम्पनी के आकार एवं परिचालनों की अनुरूपता में प्रभावी अधिनियमों, नियमों, विनियमो तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा उसकी देखरेख हेतु कम्पनी में समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है।

ह/–
(मर्दन सिंह)
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफ॰सी॰एस॰ : 1933, सी॰पी॰न॰ : 10705
यूडिन : एफ001933डी002652341

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 08.12.2022